खण्ड-276, अंक-3
बुधवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1890
(19 मार्च, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 276 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४१४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री

इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुवसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री

कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपाल दत्त, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
घंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र पाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रतापनरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री

जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
टी० पी० मोरा, श्री
ठाकुर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मबीर, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धाम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री

नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम नारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)

रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
राम चरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राम, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

राम वचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम वचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम मूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन शुक्ल, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम सुरेख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालता शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालरा, श्री
लालरा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री

वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्तिचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह बानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री

सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीता राम, डाक्टर
सखबीर, श्री
सुख पाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा-फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा-पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९९०७-सी/१२-सी-ए-२५(१२)-६८, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९६६) की धारा १३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं

प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष महोदय, यह अब तक सर्वथा विदित हो चुका है कि राज्य सभा में प्रधान मन्त्री ने इस बात की घोषणा की है कि इस सदन के द्वारा जो शपथ के लिये कार्य किया गया जिसमें वैधानिक रूप से शपथ मान कर उस शपथ को दिलाने की व्यवस्था की गयी, उसके बारे में उन्होंने घोषणा की कि वह इस व्यवस्था को इस सदन में बदलेंगी, उसके लिए यहां दबाव देंगी। इस प्रकार इस सदन की स्वतंत्रता की अवहेलना हुई है। मैं समझता हूं कि यह सदन स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो जो इस सदन का सदस्य नहीं है इस सदन की प्रक्रिया और कार्य-कलाप के बारे में कोई अनुचित दबाव डालने का अधिकार नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष---

यह सूचना आपने कहां से प्राप्त की ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह मेरी व्यक्तिगत सूचना है। यद्यपि समाचारपत्रों में भी निकला है लेकिन मैंने उनके आधार पर नहीं दिया है। यह मेरी अपनी सूचना है कि उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री अध्यक्ष---

आपको कोई आथाराइज्ड वर्जन उनके भाषण का लाना चाहिए था। एक बात तो यह है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां आप को यह अधिकार है कि आप स्वतंत्र हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए और आपने विचार प्रकट किये तो बाहर का आदमी आपके भाषण के ऊपर टीका नहीं कर सकता और यदि करे तो प्रिविलेज का सवाल होता है। ऐसे ही राज्य सभा या लोक सभा के भी विशेषाधिकार हैं। वहां के सदस्य जो वहां पर बहस करते हैं उसके ऊपर आप टीका-टिप्पणी करके कोई उनके विरोध में बात नहीं कह सकते। अगर इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना करना प्रतीत हो तो भी आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। केवल अपनी शिकायत अध्यक्ष द्वारा उसी सदन के अध्यक्ष के पास जिस सदन के सदस्य ने हमारे सदन का अवमान किया प्रतीत होना होता है उचित कार्यवाही के लिये भेज सकते हैं। इसी तरह से राज्य सभा में अगर कोई कही हुई बात है, किसी ने भी कही है, और उसने विशेषाधिकार भंग किया हो तो उसके लिए इस सदन से शिकायत भेजी जा सकती है। लेकिन पहले तथ्य मालूम होना चाहिये और उसका तरीका यह है कि अगर आप मुझे चिट्ठी लिख कर सही तथ्य प्राप्त करने को कहें

---

†छापी नहीं गई।

तो मैं राज्य सभा के सभापति द्वारा प्रधान मन्त्री के भाषण का सही उद्धरण मंगवा लेता। उसके बाद अगर यह दिखाई देता कि हमारे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो उस पर इस सदन की शिकायत हम वहां के सभापति के पास भेज सकते थे। वर्तमान हालत में मैं आपको विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की स्वीकृति नहीं दे सकता हूं क्योंकि अभी तथ्य मालूम नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इसके लिये आप समय हमें दें। हमें व्यक्तिगत जानकारी इसके बारे में रही है और इसके बारे में मैं आपको पूरी सामग्री दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, अलग-अलग अखबारों में अलग-अलग चीज आई है। अभी तक हमारे सामने कोई तथ्य नहीं है। यह जो आपने कहा है, यह तो आपकी कल्पना है, कोई तथ्य नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, आज अखबार के देखने से ऐसा लगता है कि श्री राजनारायण जी ने राज्य सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उसमें उसके संबंध में प्रधान मन्त्री जी ने एक निश्चित राय प्रकट की.....

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, अभी आप ने एक कॉलिंग दी है। फिर भी क्या उस पर कोई माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---

अभी प्रश्न तो वह नहीं उठा रहे हैं। जो कुछ प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में वक्तव्य दिया है वह अलग-अलग अखबारों में अलग-अलग ढंग से आया है। उसके ऊपर आप टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि राज्य सभा में उन्होंने भाषण दिया है। इसके लिए उनका प्रथाराइज्ड वर्जन आना चाहिये, यदि कोई शिकायत उसमें आपको है। आप लिख कर उस तथ्य समेत हमें भेजिए और हमें समझा दीजिए कि इस तरह से उसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो मैं उस सदन से जानकारी हासिल करके श्री सभापति के पास उसे भेजूंगा। अभी मुझे भाषण का तथ्य मालूम नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं। जैसा अखबार में छपा है, उससे मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से इस सदन की अवमानना हुई है।

श्री अध्यक्ष---

अखबार पर आधारित जो चीज होगी वह काल्पनिक होगी और जो तथ्य होगा वह वहां के सेक्रेटरी के द्वारा उनकी सूचना से मिल सकता है। इस घटना के बारे में इस सदन के सचिव से यहां से सूचना मांगी गयी थी तो जो तथ्य था वह लिख कर वहां भेज दिया गया था कि कार्य-वाहक अध्यक्ष ने शपथ एक दिन दिलाई थी और जो लोग उस दिन रह गये थे उनको दूसरे दिन शपथ दिलाई गई। यह सूचना उन्होंने मांगी और जो तथ्य था वह उनके पास भेज दिया गया यहां से और उसी आधार पर उन्होंने वहां पर चर्चा का जवाब दिया। लेकिन बिना यहां से पूछे हुए केवल अखबारों में कोई चीज छपी या किन्हीं मेम्बरों ने कोई चीज कही उसके आधार पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है---ऐसी चीज नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह बहुत महत्व का प्रश्न है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस विषय पर आप पर केन्द्रीय सरकार की ओर से दबाव पड़ेगा। इसलिए इस बारे में मैं सरकार का रवैया जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सरकार के रवैये से सदन को जानकारी करायें अपने सुविधानुसार समय पर। ऐसा अखबारों से लगता है कि यहां पर नियमों में संशोधन भी ऐसा किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी, यदि चाहें तो इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया है ---अखबारों में भिन्न-भिन्न वर्जन उस वक्तव्य के निकले हैं, जो प्रधान मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में दिये हैं। एक बात मैं सफाई के साथ अवश्य कह देना चाहता हूं कि यह सदन अपना कार्य चलाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है और उसकी स्वतन्त्रता कोई छीन नहीं सकता। यदि कहीं नियमों में परिवर्तन करने का भी कोई सवाल है तो भी वह इस सदन की परिधि के अन्दर ही होगा। यदि सदन अपने नियमों में परिवर्तन करना चाहे तो वह कर सकता है और यदि वह न करना चाहे तो वह नहीं करेगा और कोई बाहर का हस्तक्षेप इस विषय में इस सदन की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सकता।

१९६८-६९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष---

(संसदीय कार्य मंत्री से) अब आइटम नं० १, अर्थात् वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा मांगों पर मतदान पर विचार होगा। अब यह सामान्य चर्चा कब तक होगी? इस विषय में आप निश्चित सुझाव दे दें तो फिर उसके बाद मैं निश्चय करूंगा।

उद्योग मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)---

मैंने अपोजीशन के लोगों से सलाह की थी और महीलाल जी ने अपने साथियों से बातें की और यह हम सब ने निश्चय किया है कि जनरल डिस्कशन ४ बजे तक हो और उसके बाद वित्त मंत्री जी उनका जवाब दे दें और उसके बाद सब पर वोट एक साथ ले लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

तो यह सब को मंजूर है क्योंकि किसी ने आपत्ति नहीं की। ४ बजे तक सामान्य विवाद होगा और उसके बाद मंत्री जी की तरफ से उत्तर होगा और उसके बाद मांगों पर मतदान ले लिया जायेगा। ऐप्रोप्रियेशन बिल उसके बाद आयेगा।

*श्री बलवीरसिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सामने सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है जिस पर यह चर्चा आरम्भ रहो ही है। इसमें ५९ करोड़ ९६ लाख ८४ हजार ६ सौ रुपये की मांग की गयी है और इससे पहले अगस्त के महीने में जो सप्लीमेंटरी बजट आया था उसमें करीब ३१ करोड़ ४२ लाख ६७ हजार ५ सौ रुपये की मांग आयी थी। इस तरह से ९१ करोड़ ३९ लाख ५२ हजार १ सौ रुपये इन दोनों सप्लीमेंटरी बजटों के जरिये से सरकार ने इस साल के लिये चाहा है। सब से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक सप्लीमेंटरी बजट का सम्बन्ध है यह कांस्टीट्यूशन के देखने से पता चलता है कि यह एक तरह से इमजेंसी पावर्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में है और यह इसलिये है कि ऐसी आवश्यकता के वक्त ही सप्लीमेंटरी बजट आवें जब कि सरकार को रुपये की कमी हो गयी हो और जो पैसा पहले बजट में दिया जा चुका है वह पैसा नाकाफी है। मुझे इस सप्लीमेंटरी के द्वारा लगभग १ अरब रुपये की मांग को देख कर बड़ा ताज्जुब होता है। अगर इतनी बड़ी रकमें सप्लीमेंटरी बजट के जरिये मांगी जाती रहेंगी तो उसका मतलब तो यही होगा कि सरकार का इरादा कुछ और है। इसके बाद वोट आन एकाउन्ट में ५ या ६ महीने के लिये धनराशि उधार ली जायगी और इधर यह सप्लीमेंटरी बजट में १ अरब रुपये के करीब। अगर साल का पूरा बजट पेश हुआ होता तो माननीय सदस्यगण यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी पर बहस करने का मौका कम से कम १ महीने तक मिलता लेकिन इस तरह से सप्लीमेंटरी बजट के जरिये से रुपया ले लिया जाय और उसके बाद वोट आन एकाउन्ट से रुपया प्राप्त करें और फिर ४ या ५ महीने तक खामोश हो कर बैठ जायं और शान्ति के साथ सो जायं ताकि इस सदन के सदस्यगण को अपनी बातों को रखने का मौका ही न मिले इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से इतनी बड़ी रकमें सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा लेना उचित नहीं है।

मान्यवर, बजट को देखने से पता चलता है कि इसमें बहुत सी अनुदानें हैं और सब पर इस वक्त नहीं कहा जा सकता है। मैं केवल एक अनुदान नम्बर ९ जो चुनाव के सम्बन्ध में है, उस पर थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा। मान्यवर, इस मांग में ३३ लाख ५० हजार रुपया मांगा गया है। यह रुपया मध्यावधि चुनाव में खर्च हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में टैक्स पेयर को इतना ज्यादा रुपया इस वजह से देना पड़ता है कि जो हमारे नेतागण हैं वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। प्रजातन्त्र के क्या मायने हैं, डेमोक्रेसी का असल मंत्र क्या है इसको वह भूल जाते हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र एक जिन्दगी का तरीका है। यह हमारे दिमाग का एक एटीट्यूड होना चाहिये। इसके अन्दर सबसे ज्यादा सहानुभूति और बरदाश्त की शक्ति होनी चाहिये कि हम दूसरे लोगों के विचारों को बरदाश्त करें और दूसरी पार्टियों को काम करने का मौका दें, तभी डेमोक्रेसी चल सकती है लेकिन देखने में यह आया है और पिछली दफा भी देखा गया है और अब भी रोज देखते हैं कि कांग्रेस सरकार माननीय चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में बनी। उन्होंने यह फैसला किया नजर आता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया तो मानो उन्होंने सरकार के खिलाफ ही वोट दिया है। इसलिये ऐसे लोगों को तंग किया जाना चाहिये और उनके साथ सख्ती का व्यवहार होना चाहिये। मान्यवर, इस तरह की भावना यदि जनता में फैलाई जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यही होगा कि दूसरी तरफ के लोगों पर भी इसकी प्रतिक्रिया होगी। दूसरी पार्टी भी यह महसूस करेंगी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इसीलिये यह तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू हो गई है। पिछली दफा भी तोड़-फोड़ की कार्यवाही शुरू हुई थी और सब से पहले उसकी पहल कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई थी। मान्यवर यह बात सही है कि जिस पार्टी का बहुमत हो उसकी सरकार बने। इस दफा कांग्रेस पार्टी सब से बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव में जीतकर आई तो इस लिये उसको गवर्नमेन्ट बनाने का मौका मिलना चाहिये। हम इससे सहमत थे और भारतीय क्रान्ति दल का जो दृष्टिकोण इस विषय में था वह बहुत पहले ही १२ तारीख को चौधरी चरण सिंह साहब के स्टेटमेन्ट में आ गया था कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार चलने देंगे और हम अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन मान्यवर, बड़ा दुःख उस वक्त देखकर हुआ जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी शासन चलाने की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया बल्कि तोड़ फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी। दूसरी पार्टियों के लोगों को लालच देकर तरह तरह से दाबव डालकर तोड़ना शुरू किया। हमने देखा कि जनसंघ के एक सदस्य को किस प्रकार से लालच देकर तोड़ा। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यही होगा कि कोई गवर्नमेंट जम नहीं सकेगी और ये आया राम गया राम आते जाते रहेंगे। आये भी वह और गये भी वह खतम खजाना हो गया। इसलिये यह सरकार फिर खतम होगी क्योंकि इस तरह से पहले भी होता आया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह खर्चा

[श्री बलबीर सिंह---]

जो हुआ है यह इस दृष्टिकोण से हुआ है कि हमारे कांग्रेस के नेताओं ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने अवेयरनेस एटीट्यूड आफ माइंड ऐसा नहीं बनाया जो डेमोक्रेसी के लिये होना चाहिये। उसका नतीजा मध्यावधि चुनाव हुआ है। इस पर इतना अधिक व्यय किया गया है इसके लिये हमको दुख है।

दूसरी मांग जो अनुदान संख्या ३१—सिंचाई के सम्बन्ध में है इस पर १ करोड़ ३६ लाख ४८ हजार ५ सौ रुपया मांगा गया है। इसी तरह की दूसरी मांग अनुदान संख्या ३२ है जो सिंचाई से सम्बन्धित है उसमें भी ४६ लाख ४ हजार मांगा गया है। इस तरह से यह रुपया सिंचाई के लिये मांगा गया है। मान्यवर, सिंचाई में रुपया लगाना सही है इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन शिकायत वहां पैदा होती है जब सिंचाई का ठीक-ठीक इन्तजाम नहीं हो पाता है। आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल और आज भी यह नौबत है कि नहरों के अन्दर पानी नहीं है। बम्बे सूखे पड़े हैं, किसान उससे परेशान है, पैदावार नहीं बढ़ती। साथ ही पैदावार बढ़ाने के जो दूसरे साधन खाद वगैरह हैं वह भी ठीक-ठीक नहीं मिल पाते हैं, उसमें बेहद ब्लैक होता है। ट्यूबवेल खराब हालत में पड़े हैं, ४-४, ५-५ महीने नहीं बन पाते और जिस वक्त किसान को पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं मिल पाता, उससे फसल ठीक नहीं होती है। किसान अगर अपना पैसा खर्च करके अपना ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो तरह-तरह की बातें आती हैं। संविद सरकार ने एक आलीशान कारनामा करके दिखलाया कि किसान को अपने पैसे से ट्यूबवेल लगाने की बेहद छूट दी जिससे पैदावार बढ़ी। लेकिन उसके बाद आज मामूली-मामूली बातों में उनको परेशान किया जाता है। मेरे क्षेत्र के मेरठ के बहुत से आदमी परेशान हैं कि हमको नो-आब्जेक्शन सार्टिफिकेट मिलना चाहिये। मैं विद्युत मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं वह इस वक्त सुनने के मूड में नहीं हैं कि अगर कमांड के अन्दर कोई किसान ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो उसको सहूलियत मिलनी चाहिये, लेकिन आज लोग दरख्वास्तें लिये फिरते हैं। सरकारी ट्यूबवेल का पानी पहुंचता नहीं है, इसलिये अगर अपने पैसे से वह ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो उसको इजाजत मिलनी चाहिये। सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े रहते हैं यह अक्सर देखने में आया है, और बहुत सी दिक्कतें होती हैं जिससे किसानों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिये जिले के अफसरों को हिदायत की जाय कि नो-आब्जेक्शन सार्टिफिकेट में बहुत ज्यादा लिबरल हों।

जहां तक सिंचाई के जरिये पैदावार बढ़ाने का सवाल है वह बढ़ सकती है, यह सही है, लेकिन एक अहम बात यह है कि अगर ठीक मुआवजा पैदावार का न मिले तो भी पैदावार नहीं बढ़ सकती है। इसलिये सबसे पहले जरूरी चीज यह है कि सरकार ऐसे नियम बनाये जिससे ठीक-ठीक मुआवजा पैदावार का मिल सके। पिछले साल ईख की पैदावार में ठीक-ठीक मुआवजा मिला, १८-२० रुपया क्विन्टल तक के वाजिब दाम किसान को मिले, लेकिन हमने जब हिसाब लगाकर देखा तो सही बात यह है कि गरीब को सिर्फ दो रुपया क्विन्टल ही मिलता है, अगर २२ रुपया क्विंटल दाम उसको दिया जाय। क्योंकि २० रुपया तो उसके घर के काम करने वालों की मजदूरी पानी, खाद, बीज की कीमत में चला जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि १० रुपया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े हाथ जोड़ कर उद्योगपतियों से प्रार्थना की कि वह किसानों को जरूर दिया जाय और इलेक्शन से पहले किसी तरह उनको मना सके। मैं नहीं जानता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी कमजोरी थी इस तरह से उनकी मिन्नतें करने में। बहरहाल, वह उनको कुछ दिन ही मिल पाया और जनता ने देखा कि वह मोजिजा इलेक्शन्स तक ही था, फिर उनको वह भाव नहीं मिला और अब बहुत कम मिल पाया है। इसी तरह से सब चीजों का हाल है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंचाई की ओर अधिक ध्यान दीजिये और किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलवाइये।

एक मांग के बारे में मेरा और निवेदन है। जहां आप एक अरब की डिमांड पेश कर रहे हैं, वहां आपका यह भी कर्तव्य है कि आप खर्च में कमी करें। अब तक आप खर्च में कमी नहीं

करेंगे, आपकी समस्या हल नहीं होगी क्योंकि आपको फिर अधिक टैक्सेज लगाने पड़ेंगे। इस सप्लीमेंटरी बजट में कोई जिक्र नहीं है कि टक्सेज किस तरह लगायेंगे। यह एक अरब रुपया किस तरह से पूरा किया जायेगा इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़ा है, उसमें १७५ करोड़ के घाटे का जिक्र किया गया है। उसको पूरा करने के लिये साधन जुटाने होंगे। इससे यह झलक मिलती है कि टैक्सेज भी आने वाले हैं। टैक्सेज की जगह आप खर्चे में कमी करें, यह मेरा सुझाव है। इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

हमारे यहां लेजिस्लेचर में दो सदन हैं---एक विधान सभा और एक विधान परिषद्। मैं पूछता हूं कि इस विधान परिषद् का क्या कार्य है? कोई भी फाइनेन्स बिल वहां पेश हो नहीं सकता, वह केवल अपनी राय ही दे सकता है, उसको भी मानने न मानने का अधिकार इस सदन को है। फिर उसकी क्या जरूरत है? ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक नकल यहां पर भी की गयी है। मैं कहता हूं कि हर चीज में नकल करने की जरूरत नहीं है। वहां पर लार्ड्स हैं, इसलिये हाउस आफ लार्ड्स है। यहां पर कोई लार्ड नहीं है। हां, जो लोग इलेक्शन में हार जाते हैं, जिन पर मुख्य मंत्री जी की कृपा होती है लल्लो चप्पो की वजह से उनको वहां भेज दिया जाता है ताकि ३०० रुपये महीना और भत्ता आदि उनको मिलता रहे। वहां पर सब भत्ता आदि मिला कर अगर आप देखेंगे तो करीब एक लाख रुपया माहवार का खर्चा आता है। यह बिल्कुल फिजूल खर्ची है और उस सदन का कोई उपयोग नहीं है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि पंजाब की सरकार ने अपने यहां विधान परिषद को तोड़ने को सिफारिश की है। इसके लिये मैं उस सरकार को मुबारकबाद देता हूं। उनकी इस अकलमन्दी के लिये, उनकी इस देशभक्ति के लिये मैं दाद देता हूं क्योंकि जब भी हमारे राज करने वाले, सरकार चलाने वाले, अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ कर या अपनी यार दोस्ती के मोह में न पड़ कर कोई उचित कदम उठाते हैं तो वे मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ऐसे कदम उठाकर ही हम गरीब जनता को टैक्सेज से राहत पहुंचा सकते हैं। मैं माननीय गुप्ता जी से यह आशा करता हूं। इस मंत्रिमंडल से यह आशा हम करते हैं कि वह इस तरफ कदम जरूर उठायेगा। इस सदन से इसके लिये रेजोल्यूशन की जरूरत है। आर्टिकल १७२ के मातहत यह सदन एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है जिसके जरिये दूसरा सदन खत्म कर दिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। विधान परिषदों के सिलसिले में, उनके रहने या न रहने के सम्बन्ध में कोई चर्चा प्रासंगिक है अथवा नहीं? आप यह देखें कि इस बजट से और विधान परिषद् से या जैसा कि माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं, उसका क्या मतलब निकलता है?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि उससे खर्चा कम हो जावेगा। खर्चा कम करने की तरकीब बता रहे हैं।

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की समझ में आ गया होगा कि किसलिये इस तरह की बात कहनी जरूरी है। परेशानी दरअसल यह है कि इसी तरफ मैं संकेत कर रहा था। किसी एक व्यक्ति के इरादे को मैं गलत नहीं कहना चाहता, और न ही कोई आक्षेप करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था—प्रजातन्त्र में जो हमारा एक मानसिक तरीका है सोचने का और विचार करने का वह पहले सही होना चाहिये, वह निरपेक्ष होना चाहिये, निष्पक्ष होना चाहिये। अपने साथी सम्बन्धियों के ही हित में वह न हो और हम यहीं गलती कर जाते हैं। इसलिये माननीय सदस्य का सुझाव.....

श्री अध्यक्ष—

इस पर टीका करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया वह काफी है।

श्री बलवीरसिंह—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय सदन के समक्ष कि बहुत सी उन बातों में से जिसमें से हम कटौती कर सकते हैं उनमें विशेष रूप से यह भी है। इसके अलावा बहुत से मसले आदि हैं उनमें भी हम कटौती कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो देखने में आये हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। उन महकमों का भी उपयोग नहीं है, उनसे नुकसान ही पहुंच रहा है। मान्यवर, मेरा मतलब है ग्राम पंचायतों से है जो गांवों में कायम की गई हैं। उत्तर प्रदेश में जो गांव समाज हैं उनमें अत्यन्त हानि हो रही है खास तौर से न्याय पंचायतों से। न्याय हो नहीं पाता, पार्टी बाजियां होती हैं, द्वेष होता है, दुश्मनी हो जाती है। मान्यवर, इलेक्शन तो एक हो चुकी है। इस इलेक्शन में हमने देखा कितना मन मुटाव हुआ है। इसको हम मेरठ के रहने वाले अनुभव कर चुके हैं, उसका नतीजा कितना खराब होता है। बेगुनाह लोगों पर भी पुलिस की ज्यादतियां कराई जाती हैं। तो मान्यवर, गांवों में भी यही हालत होती है। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो अपव्यय होता है वह बिल्कुल गलत है। तो श्री उदित नारायण ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका भी समर्थन करता हूं।

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो अनुपूरक डिमान्ड आई उसके सम्बन्ध में भी हमारे कुछ साथियों ने कुछ बातें रक्खीं। पहले तो यह कहा गया कि जो चुनाव का खर्चा है यह नहीं होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव कैसे हुआ? चुनाव की जिम्मेदारी किस पर थी? ३१ मार्च तक कुछ हमारे साथी कांग्रेस में रहे और यकायक एक अप्रैल को वहां से हटे। नतीजा क्या हुआ कि एक अप्रैल को संयुक्त विधायक दल बना, क्यों बना? वह महज इसलिये था कि कुछ साथियों को मंत्रि परिषद् में आना था। मुख्य मंत्री होना था। जब वह चली नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े हुए, फेल हुई, बाद में प्रेसीडेंट रूल हुआ, तो चुनाव तो होना ही था। यह जो चुनाव का खर्चा है इस मध्यावधि चुनाव का, यह किसकी जिम्मेदारी है? जहां तक मध्यावधि चुनाव की जिम्मेदारी है वह हमारे कुछ ही साथियों की जिम्मेदारी है। जनता तो स्वयं परेशान है ही। जो खर्चा डाला गया वह विरोधी दल की जिम्मेदारी पर जाता है। जो मध्यावधि चुनाव हुआ उसके खर्चों की डिमान्ड क्यों न की जाय? कोई भी व्यक्ति ऐसा न होगा कि वह कुछ सामान ले आये, और उसका भुगतान न करे। यह जो यहां पर भाषण किया गया है वह उचित नहीं है। दूसरी बात यह कही गई कि सिंचाई का साधन नहीं है, बड़ा अपव्यय हो रहा है, उसके सम्बन्ध में हम श्रीमान् के सामने यह रखना चाहेंगे कि जब पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त चार फर्लांग तक बिजली फ्री दी जाती थी और बारह सौ रुपये की सबसिडी दी जाती थी। क्या इसको आप अपने पुराने साथियों से पूछेंगे? उन्होंने ही सारी सुविधायें बन्द कर दी थीं। अब वे ही साथी इन साधनों की चर्चा करते हैं कि हम उन सुविधाओं को नहीं दे रहे हैं। यह एक गम्भीर प्रश्न है। जहां तक बीज और खाद का सवाल है वह यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और आज यही कारण है कि जो भाव बढ़ने वाले थे वह नहीं बढ़ रहे हैं।

इसके अलावा, जो आपने यह कहा कि दूसरा सदन नहीं होना चाहिये उसके बारे में सोचें कि कुछ इन्टेलीजेन्ट क्लास चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वह यहां पर आगे नहीं आ सकता। उनकी गाइडेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरे सदन के कारण ही हमें उनके गाइडेंस से उनकी राय मालूम होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, आप कह रहे हैं कि अपर हाउस में सब इन्टलीजेंट लोग आते हैं, इसका यह अर्थ हो जाता है कि लोअर हाउस में इन्टेलीजेंट नहीं हैं। यह सदन का अपमान है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि अपर हाउस के लोग ज्यादा अच्छे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि कौंसिल में जो सदस्य आते हैं उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते लेकिन इंटेलीजेंट हैं जैसे सुरत नारायण मणि त्रिपाठी हैं। अगर चुनाव होता तो वे नहीं आते।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

व्यवस्था का प्रश्न है। यहां के मेम्बरों के विरुद्ध यह एक स्वीपिंग रिमार्क है। यह सदन का अपमान है कि जो इंटेलीजेंट क्लास है वह अपर हाउस में जाती है और शेष लोग यहां आते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप उनके कहने का जो अर्थ लगा रहे हैं, वह उनका तात्पर्य नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

यहां इंटेलीजेंट लोग नहीं आते हैं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है किन्तु मैं यह कह रहा था कि बहुत से ऐसे इंटेलीजेंट लोग हैं जो चुनाव लड़कर आना पसन्द नहीं करते, वे कौंसिल में आ जाते हैं।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मतलब है इंटेलीजेंशिया क्लास से और विरोधी दल के माननीय सदस्य उसको इंटेलीजेंट समझ रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अगर यह भी मान लिया जाय कि इंटेलीजेंशिया क्लास के लोग इस सदन में नहीं आते हैं तो भी यह सदन का अपमान है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैं तो केवल यह कह रहा था कि कुछ इंटेलीजेंट ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना पसन्द नहीं करते हैं। दूसरी बात यह भी कही गयी कि न्याय पंचायतों के चुनावों में झगड़ा होता है, इसलिये उनको खत्म कर देना चाहिये। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि जब हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं फिर न्याय पंचायतों को किस प्रकार से खत्म किया जाना उचित होगा। न्याय पंचायत एक सब से नीचे की इकाई है अगर हमारे कृषक नागरिक वहां ट्रेनिंग नहीं पायेंगे तो फिर जनतंत्र की नींव ही मजबूत कैसे होगी जहां तक गलती की बात है वह तो सभी कर सकते हैं। हम भी गलतियां कर सकते हैं वह भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। भूलें हम सबसे हो सकती हैं और हमें इन भूलों से ही आगे सीखना होगा और अपने भविष्य को सुधार कर एक रूप देना होगा ताकि लोकतंत्र सुदृढ़ हो सके। इसलिये न्याय पंचायतों को तोड़ने का प्रश्न नहीं है। मैं आशा करता था कि सप्लीमेंटरी बजट पर कोई ठोस सुझाव आयेंगे और जिस डिवीजन में विश्वविद्यालय नहीं हैं वहां विश्वविद्यालय खोले जायं, जिस डिवीजन में मेडिकल कालेज नहीं हैं वह वहां खोले जायं, इस तरह के रचनात्मक सुझाव देकर केवल वादविवाद के लिए ही तर्क दिये गये हैं। आपने कहा पानी और बिजली के बारें में कि दस हार्स पावर की जो बिजली होती है उसमें १२ सौ रुपये की छूट मिलती थी वह बन्द हो गई है वह सब जानते हैं। ऐसी हालत में जो सुझाव आये हैं वह ज्यादा उचित नहीं हैं और अन्त में मैं डिमान्ड्स का अनुमोदन करते हुये आशा करता हूं कि उनको पास किया जायगा।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुपूरक बजट पर हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं इससे पूर्व अगर हम यह देखें कि श्री मोरार जी देसाई और महामहिम राज्यपाल के भाषण में क्या खास बात है तो पता चलेगा कि अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को हम ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है और उसका नतीजा क्या होगा। मुझे भी अब यह कहने की ताकत मिली कि बजटिंग जो होती है उसी में कहीं कमी है और जो प्लानिंग होती है उसका पैसा हम खर्च नहीं कर पाते, यह भी एक बड़ी कमी हो सकती है। माननीय राज्यपाल ने स्वीकार किया है कि हम एक योजना पीछे पिछड़ चुके हैं। ३,०५० करोड़ रुपया अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना में खर्च कर दें तब कहीं हम चौथी योजना के आरम्भ में ही अपने को पायेंगे। इससे साफ जाहिर है कि एक पंचवर्षीय योजना का समय हम खो चुके हैं और इसके माने यह हैं कि हमारा प्रदेश पीछे पिछड़ चुका है। यह सप्लीमेंटरी बजट कहीं न कहीं हमारी योजना को रोककर हमें लाकर खड़ा कर देता है और नान-प्लान पर हम खर्च कर डालते हैं। बाद में हम कहते हैं कि यह रुपया हमारा दे दो। यह ६० करोड़ रुपया हम मांग रहे हैं कौन सी योजना हमने खत्म कर दी। श्री मोरार जी देसाई ने कहा कि यू० पी० में सूखा होने के कारण यहां की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, दो तीन साल ऐसा हुआ यह ठीक है लेकिन जब माननीय राज्यपाल और मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं तो मालूम होता है कि हमें केन्द्र से इतना धन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिये। अगर हम राज्यपाल जी के और मुख्य मंत्री जी के भाषण को मिलायें तो मालूम होगा कि आज हमारी प्लानिंग भी गड़बड़ है और हां केन्द्र से भी पूरा धन नहीं मिलता। कहते हैं कि जन-संख्या के आधार पर हमको मिलना चाहिए। अगर हमने गत वर्षों में कुछ किया होता तो आज २० साल के बाद नई पीढ़ी की दिशा कुछ और होती। वे तोड़-फोड़ न करते, बसों पर पत्थर फेंककर उन्हें न तोड़ते और रेल के डिब्बों को न जलाते और लूटते। आज हम देखते हैं कि इस नयी पीढ़ी का यही काम रह गया है। बजट द्वारा हमको मालूम होना चाहिए था कि हमने कितना एम्प्लायमेंट खोया, कितनी प्लान्स को इम्लीमेंट किया, लेकिन इसमें यह कुछ नहीं दिखता है वह बजट से हमको सब कुछ होच-पोच दिखायी देता है।

दूसरे हम यह देखते हैं जो धनराशि बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए इसमें दी गयी है जैसे रामगंगा बांध पर ८ करोड़ से ऊंचे खर्च का प्रश्न है वह मूल बजट में होनी चाहिए थी जिससे उस पर विस्तृत रूप से बहस हो पाती। अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा सब इस प्रकार के खर्चों को मिनटों में स्वीकृत कराने की योजना बना रखी है। हम कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि केवल इन शेष १४ दिन के लिए यह इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत की जाय। हम नहीं समझते हैं कि किस प्रकार से इतनी बड़ी-बड़ी धनराशि को इस थोड़े से समय में वे खर्च कर सकेंगे। होता यह है कि फर्जी वाउचर बन जायेंगे, और पेमेंट हो जायगा। ऐसा भी देखने में आया है कि सड़क बन भी गयी और गायब भी हो गयी बरसात में। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस रुपये को आगामी बजट में रखें। नये अनुदान ५ महीने में होंगे और आप इस रुपये को इस अनुपूरक बजट द्वारा मांग रहे हो।

आपने कुछ रुपया अध्यापकों के देने के लिए दिखाया है। ठीक है उस कार्य के लिए व्यय होने में हमें कोई एतराज नहीं है। हमें दुख है कि प्राइमरी टीचर्स की ओर अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गत चुनाव के समय देखा यह गया है कि जिसने कांग्रेस का प्रचार नहीं किया, जिसने कांग्रेस के लिए चन्दा नहीं दिया उनका ट्रांस्फर हुआ और ट्रांसफर रोकने के लिए कहीं पर १०० रुपये और कहीं पर २०० रुपये रेट था। अगर किसी ने नहीं दिया तो उसे दूर फेंक दिया गया। बदायूं जिले में ३० या ३५ अध्यापक निलम्बित कर दिए गये हैं। उनसे कहा जाता है कि माफी मांगो तो हम बहाल करेंगे। इस प्रकार उन पर नाजायज दबाव डाले गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

मोरार जी भाई ने कहा है कि हाई ईल्ड वैराइटीज के बीच और सिंचाई का प्रबन्ध किया जायगा लेकिन इस बजट में हम देखते हैं कि यह कुछ नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इरीगेशन और इम्प्रूव्ड सीड किसानों को देने के लिए उन्होंने क्या फैसीलीटीज दी है। जो रुपया एग्रीकल्चर के उत्थान और सहकारिता में लगना चाहिए था वह भी नहीं लगा। आज सहकारिता में करोड़ों रुपये का गड़बड़ घोटाला है जो किसान को नहीं मिल पाता है। डेवलपमेंट बैंक से रुपया मिलता है तो सिंचाई के लिये ही मिलता है और किसान को रुपया किसी दूसरे काम के लिये नहीं मिलता है। नतीजा यह है कि आज किसान पीछे पड़ता जा रहा है। सड़क व शिक्षा की कमी बतलाई जा रही है। लेकिन जब प्लानिंग गलत हो जाती है तो सब चीजें पीछे रह जाती हैं और हम मंजिले मकसूद से बहुत पीछे हट जाते हैं। प्लानिंग में हमारी जो गड़बड़ी रही है वह ठीक होना चाहिये ताकि सब चीजें ठीक हो जायं।

प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स कह रहे हैं कि उनको जिला बोर्ड्स से अलग कर दिया जाय और उनका एक बोर्ड बना दिया जाय ताकि उनको पैसा वक्त से मिलने लगे। सहकारिता विभाग में आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। खजान्ची और सेक्रेटरी फर्जी अंगूठे से फर्जी बाउचर बनाते हैं जिसके कारण कोआपरेटिव सोसाइटीज में लाखों रुपये का गबन है। ऐसी कितनी ही समस्यायें खड़ी हो गयी हैं जिनको देखना व ठीक करना है। जब उधर से किसान को सुविधा देने की बात कही जाती है तो मैं यह जानना चाहूंगा क्या सरकार फर्टिलाइजर को सस्ता करेगी और सिंचाई के लिये उनको कौन-कौन सी सुविधा देगी ?

मोरार जी भाई ने लोक सभा में भाषण दिया है। उसको देखने से पता चलता है कि स.व की सरकार में २० हजार ट्यूबवेल्स को बिजली दी गयी जब कि कांग्रेस में ११,७०० ट्यूबवेल्स को ही बिजली दी गयी थी। (व्यवधान) आप जो आक्षेप कर रहे हैं वह सब ठीक है लेकिन तथ्य अपनी जगह पर मौजूद हैं। मौके पर जाकर आप देखें कि वह चीज मौजूद है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कागज में तो है लेकिन मौके पर गायब।

किसान का भला इसमें होगा कि जितनी पैदावार हो रही है उसको उसका उचित मूल्य मिले। फसल का बीमा होना चाहिये, जिसका प्राविधान अभी तक नहीं है। गांव की समस्या हल करने पर ही प्रदेश का पिछड़ापन दूर होगा। जब सूखा और ड्राट पड़ा तब समझ में आया कि औद्योगीकरण पर जोर देना गलत है, किसान को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। लिहाजा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अनपूरक बजट के द्वारा जो रुपया मांगा गया है और यह जो होच-पोच मामला है ऋण देने का इसको फिलहाल स्थगित रखें और आगामी बजट में इसको रखें ताकि सारा कार्य ठीक से हो सके।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो ५९ करोड़ ९६ लाख रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ है वह उचित है। मान्यवर, हमारे बहुत से साथियों ने जो विरोधी दल के हैं इस बजट पर आश्चर्य प्रकट किया है लेकिन कार्य को देखते हुये यह मांग कोई ज्यादा नहीं है। अप्रैल, मई और जून, जुलाई के लिये यह मांग की गयी है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इन्हीं महीनों में ज्यादा काम होता है और सारा खर्चा इन्हीं महीनों में होता है और जो अनुदान मांगा गया है पिछली संविद सरकार ने भी इसी तरह का अनुपूरक अनुदान पेश किया था जिस पर बहुत बहस मुबाहिसा नहीं हुआ था और वह यों ही पास कर दिया गया था। यह तो एक काम में अड़ंगा लगाने की बात है। अनुपूरक अनुदान को बगैर बहस के पास करना चाहिये, हमेशा से यही परम्परा चली आयी है दूसरे जो विरोधी पक्षों में से मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में वे अनुपूरक अनुदान की बहस में जिस तरह की बातें कहते हैं मैं समझता हूं कि वह उनको नहीं कहनी चाहिये। सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिस पर होती है उस पर विश्वास और भरोसा रखा जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी—]

जहां तक सिचाई, खेती का उत्पादन और कृषि में उन्नति लाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि केवल विरोध पक्ष ही नहीं इस पक्ष का भी यही प्रयास है। मुझे खेद है कि कांग्रेसी सरकार के बीस वर्षों की बहुत दुहाई दी जाती है लेकिन कांग्रेस सरकार ने बीस वर्षों में जो सुविधायें किसानों को दी थीं वे सभी संविद सरकार ने अपने दस महीने के शासन में समाप्त कर दीं। चार फर्लांग की छूट कांग्रेस के जमाने में किसानों को दी गयी थी जिसे समाप्त करके संविद सरकार ने एक फर्लांग कर दिया। खाद पर सबसिडी दी जाती थी वह भी संविद सरकार ने खत्म कर दिया। जितनी सुविधायें ऐग्रीकल्चर के लिये कांग्रेस ने दी थीं वह सब संविद सरकार ने खत्म कर दीं। यही नहीं, जितना अहित प्रदेश के किसान का हुआ है संविद के जमाने में वह कहा नहीं जा सकता। किसान में यह जागृति पैदा हो गयी थी कि पानी के मामले में वह आत्मनिर्भर बने लेकिन संविद सरकार ने उसको खत्म कर दिया। यही नहीं, पटेल कमीशन के अन्तर्गत कांग्रेस सरकार ने ५ हजार की सबसिडी कुयें बनाने के लिये किसान को दी थी, लेकिन संविद सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। मान्यवर, यही नहीं किया बल्कि जहां सूखा पड़ा था, जो उपेक्षित क्षेत्र थे, जहां गल्ला नहीं हुआ था, जहां के किसान कराह रहे थे और जहां के मजदूर भूखों मर रहे थे, वहां पिछला लगान जो कांग्रेस सरकार के जमाने में माफ था उसको भी कड़ाई के साथ वसूल किया गया। यही नहीं, मुख्य मंत्री जी, जो इस हाउस में सदन के नेता हैं, उन्होंने चार आने छूट की घोषणा की थी उसमें भी दो आने की छूट को वसूल किया गया। आज ये लोग प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं, खेती के उत्पादन के लिये नारे दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े नारे लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो अपोजीशन में बैठते हैं, जो प्रदेश में मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर तथा जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं, जो प्रदेश के भाग्य का निर्णय करने के लिये बैठाये गये थे, उनके यह कारनामे हैं। यही नहीं, आज माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो यह अनुदान पेश किया गया है उसके ऊपर भी उनको बड़ी हैरानी और परेशानी है। उनका यह कहना है कि यह कर दिया जाय वह कर दिया जाय। जब हम यहां चुन कर आये हैं तो चाहे किसान मजदूर का मसला हो, चाहे उद्योग का मसला हो, चाहे पोलिटीकल मसला हो और चाहे निर्माण का मसला हो, हम सबको मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाना है।

अभी कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही थी कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। कारण जो भी हो, उसको तो जिम्मेदार आदमी ही बतायेंगे लेकिन हमारे प्रदेश में दुबारा इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी संविद सरकार पर है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया। पहली अप्रैल को हमारी सरकार गिरी तो हमने इनसे कहा कि आप अपनी सरकार बनाइये और हम आपको सहयोग देंगे। हमारे सहयोग देने पर भी जैसी छीछालेदर इन्होंने की है उसने प्रदेश के इतिहास को बदनाम किया है, प्रदेश के ऊपर धब्बा लगाया है। उनसे सरकार नहीं चल सकी। आज ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं।

बहुत से हमारे पुराने साथी यहां नहीं आ सके हैं और बहुत से यहां मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं जिनको सरकार चलाने का अनुभव है, जिनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो अपने को मंत्री कहते थे, सिचाई मंत्री कहते थे, प्लानिंग मंत्री कहते थे, उनसे तो सरकार नहीं चली और जो आज सरकार चलाते हैं उसमें अड़ंगे लगाते हैं। वे किसानों के अहित का काम करते हैं। उनका कहना है कि उनके जमाने में फसल बहुत अच्छी हुई। लेकिन अप्रैल में जब उनकी सरकार कायम हुई तो फसल कट चुकी थी। यह कमाई हुई चीज हमारी थी और श्रेय वे लेना चाहते हैं। हमने ब्लाक के माध्यम से किसानों को पानी और अच्छे बीज दिये। इसी से अच्छी फसल हुई। जब इनकी सरकार कायम हुई उससे पहले ही फसल कट चुकी थी। किसान गल्ला घर ले जा चुका था

आज चीनी का भाव केन्द्रीय सरकार की पालिसी के कारण ऊंचा हो गया है। हमारी सरकार की पालिसी नहीं थी बल्कि केन्द्रीय सरकार के बजट का असर पड़ा है। हमारी संविद सरकार के खाद्य मन्त्री माननीय झारखंडे राय जी अब हाउस में नहीं हैं वे नारे लगाते थे

कि तीन पाव का राशन है बड़ा निकम्मा शासन है। लेकिन उन के जमाने में चीनी ६ रुपये ५० पैसे किलो बिकी थी। खाद्य पदार्थ जितने महंगे उस समय थे वे आज नहीं हैं। चाहे कीमतों पर केन्द्रीय सरकार के बजट का असर पड़ा हो। लेकिन वह नौबत नहीं है जो पहले थी। संविद सरकार में साढ़े सात रुपये किलो चीनी मिलती थी। मान्यवर, यही लखनऊ शहर है---हर एक आदमी मार्केट में जाकर कोई भी सामान ले सकता है लेकिन संविद सरकार के जमाने में सारे सामान बाजार से गायब हो गये। हमारे जनसंघ के साथी, बी० के० डी० के साथी जो आज प्रजातंत्र का नारा लगाते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास और देश के विकास का नारा लगाते हैं और जो इस तरह की बात कहते हैं कि खर्चे को कम करना चाहिये, उन के द्वारा पेश किये गये बजट को हमने पास किया और उसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन आज जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिस के बिना उत्तर प्रदेश का काम नहीं चल सकता है, उस का यह लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ उस में अड़ंगा भी लगाते हैं। मैं अपने विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप स्वस्थ परम्परा कायम करके प्रजातंत्र की रक्षा कीजिये। प्रजातंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी जितनी मेरे ऊपर है उतनी ही जिम्मेदारी आप के ऊपर भी है। हमारे सम्मानित सदस्य जो हैं, वे बड़े परेशान हैं। उन की एक बात का जवाब मैं और देना चाहता हूं। मान्यवर, नारा तो बड़ा लगाया गया कि हम खेत-खेत में पानी, घर घर में पानी देंगे।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, हमारे माननीय त्रिवेणी राय अभी यहां पर भाषण कर रहे थे और उस सिलसिले में उन्होंने तीन पाव राशन और चीनी के दाम बढ़ने का हवाला दिया। तो तीन पाव राशन का बिल तो वे खुद ला रहे हैं अब और इस के लिए उन को बधाई देता हूं। उन की जानकारी के लिए मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी के भाव केन्द्रीय सरकार तय करती है।

*श्री हुक्म सिंह (जिला आगरा, फतेहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पूर्व इस विधान सभा को यह मौका मिला था वह अपने प्रदेश के विषय में अपना बजट बनावे और उसको पास करे। उसके बाद वह विधान सभा १९६७-६८ में भंग हो गयी। पिछले वर्ष का जो बजट है उस पर इस विधान सभा के सदस्यों को--यहां विधान सभा तो थी ही नहीं, इसलिए उन को उस पर विचार करने का कोई मौका ही नहीं मिला कि वे उस बजट को पास करें। उस बजट को लोक सभा ने पास किया। दो वर्ष के बाद विधान सभा के सदस्यों को यह मौका मिला था कि इस बीच में, दो सालों में जो घपले हुये हैं, प्रदेश में जो अनियमितताएं हुई हैं, जो धन विधान सभा के सदस्यों ने पास किया था, उसको किस प्रकार से खर्च किया गया, किस प्रकार की अनियमितताये हुई हैं, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करते। खेद है कि विधान सभा के सदस्यों के उस अधिकार को हमारी सरकार ने अनुपूरक बजट पास कर के उस मौके को छीन लिया। विधान सभा के सदस्य जो शासन में हिस्सा लेते हैं वे कोई दूसरी आफिस होल्ड नहीं करते। केवल विधान सभा में बैठ कर के उन कर्मचारियों के बारे में सरकार के कर्मों के बारे में और जो अनियमितताएं होती है, उन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से बजट खर्च हुआ है और किस विभाग में कितनी अनियमितताएं हुई हैं। अगर विभाग वाइज बजट पेश होता, तो हर सदस्य को प्रत्येक विभाग के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुक्म सिंह]

करीब एक साल ही संविद की सरकार रही । उस ने क्या-क्या अच्छे काम किये, क्या-क्या बुरे काम किये, इन सब पर विधान सभा के सदस्यों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलता कि वे अपने विचार व्यक्त करते । लेकिन उस मौके को--- ऐसी क्या आपातकालीन घटना हो गयी थी, क्या बात हो गयी थी, क्या डर था जो सरकार पूरे बजट को सदन के सामने न लाकर इतनी बड़ी धनराशि वोट आन एकाउन्ट के रूप में लेने जा रही है और विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों का अपहरण कर रही है कि किस प्रकार एस० वी० डी० सरकार को भंग किया जाय । जिस समय एस० वी० डी० सरकार परास्त हुई उस समय केन्द्रीय नेताओं के इशारे पर विधान सभा को भंग कर दिया गया इस एक साल में जो राष्ट्रपति शासन रहा है उस में निरंकुश नौकरशाही ने जनता पर जो अत्याचार किये हैं उस का मौका मिला था सोचने का, मन में बड़ी भारी टीस थी, जो विधान सभा के सदस्य अपने अरमान लेकर आये हैं जनता की आवाज को रखेंगे । इस बीच में निरंकुश नौकरशाही ने जो कारनामे किये हैं उस के बारे में एक बहुत बड़ा इतिहास है । श्रीमन्, आगरा में ही तीतलपुर साफीपुर में ढाई लाख रुपये की सम्पत्ति को १ जून, १९६८ को थाना फीरोजाबाद की पुलिस लूट कर ले गयी, तीन दिन तक लूट चलती रही । हजारों मन गल्ला, मनों चांदी और कई किलो सोना पुलिस लूट कर ले गयी औ आज तक वापस नहीं किया । इस कांड की चर्चा लोक सभा में हुई । गृह उपमन्त्री ने जुडिशियल इनक्वायरी का आश्वासन दिया । उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन परिवारों के घरों को नष्ट कर दिया गया है जिन की सम्पत्ति लूट ली गयी है उन को बसाने की कार्यवाही करेंगे । श्रीमन्, इतनी बड़ी डकैती अंग्रेजी काल में भी नहीं हुई जो एक जनतन्त्र में हुई, इस जनता के राज्य में जनता के सेवक कहलाने वाले अफसरों ने तीन दिन तक लूट की । यह जनतन्त्र के ऊपर कलंक है । इस घटना की प्रदेश भर में चर्चा है ।

बकेवर कांड की घटना हुई जिस में चार आदमी सरकारी सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मार दिये और वह भी इस बात के लिए कि जनता ने एक पुलिस थानेदार के खिलाफ, जिस ने एक अमानुषिक कार्य किया था, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था । उस में चार आदमी सरकारी सूत्रों के अनुसार मारे गये लेकिन श्रीमन्, सही बात यह है कि १३ आदमी लापता हैं । पुलिस ने मार कर दूसरी जगह जला दिया । गोंडा जिले की घटना भी इसी प्रकार की घटना है । (शोर) ।

श्री अध्यक्ष---

आपस में झगड़ा न करें ।

श्री हुक्म सिंह---

केन्द्रीय नेताओं के इशारे पर विधान सभा को इसलिए भंग किया गया था कि बहुमत की सरकार चुनकर आये और एक पार्टी का रूल हो । राज्यपाल को उसी समय यहां से स्थानांतरित कर देना चाहिये था, जिस समय कांग्रेस पार्टी की हार हुई । केन्द्रीय नेताओं की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई, फिर भी विधान सभा अल्पमत में आयी । जब जनता ने सुना कि गुप्ता जी की सरकार बन रही है तो गरीब जनता के ऊपर सांप लोट गया। वही अत्याचारी शासन फिर से हमारे ऊपर आ गया । श्रीमन्, मेरे आगरे में ही सेठों ने घी के दिये जलाये कि अब फिर से चोरबाजारी करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है । गुप्ता जी की सरकार के समय में जो कुछ पहले हुआ है उसकी याद करके उस दिन प्रदेश भर के सेठों और पूंजीपतियों ने घी के दिये जलाए जिस दिन गुप्ता सरकार शपथ ले रही थी । जिस दिन गप्ता की सरकार आई रिक्शे वाले, तांगे वाले बेचारे गरीब कह रहे थे कि अब फिर से गरीबों के बुरे दिन आ गए और अमीरों को हलवा-पूरी खाने के दिन आ गए । उसी दिन से पूंजीपतियों ने स्टाक करना शुरू कर दिया, भरना शुरू कर दिया ब्लैक करने के लिए, क्योंकि ब्लैक का उन्हें बड़ा अच्छा मौका मिला ।

श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबों का शोषण करने के लिए पूंजीपतियों को मालोमाल करने के लिए यह घपला किया गया है, यह सप्लीमेंटरी बजट मांगा गया है। मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि यह हमारा हाऊस इस बात पर विचार करे कि यह अनुपुरक बजट नहीं है, यह घपला करने के लिए एक रास्ता है। यह जनता का पैसा चूसने के लिए और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का एक साधन है। जनता के प्रतिनिधियों को खरीदने के लिए इसमें पैसा मांगा गया है जिससे सरकार अपनी मेजारिटी के बल पर घपला और गोलमाल कर सके। चूंकि कांग्रेस सरकार बहुमत में नहीं आई इसलिए अब इस बजट के धन से जनता के प्रतिनिधियों को गायों-भैंसों की तरह खरीदा जाएगा। यह सरकार गांधीवाद और समाजवाद की बात कहती है, लेकिन यह उसका केवल थोथा नारा मात्र है और कार्य उसके विपरीत ही करती है। यह सरकार चौधरी चरण सिंह पर आरोप लगाती है उनको बदनाम करती है कि बी० के० डी० के लोगों ने जनता को वोट नहीं डालने दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि गुप्ता जी ने अपने चुनाव क्षेत्र में कई लाख रुपये खर्च किये और लाखों हजारों रुपये देकर वोट खरीदे गए। जब मैं अपने चुनाव में जीत गया तो वहां पर गुप्ता जी के रिश्तेदार हमको धमकी देते हैं कि आपको मरवा दिया जाएगा। लेकिन मुझे उसका कोई डर नहीं है। मेरी हाउस से अपील है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस बजट को ठोकर मार दें और पुनः पूरा बजट पेश करने को कहें।

*श्री लालबहादुरसिंह (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि चार बार उठने के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं कि दो साल के गैप के बाद जब कि प्रजातंत्र का गला प्रदेश में घोंट दिया गया था उन्होंने प्रजातंत्र की पुनः स्थापना की। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यह हाउस है जहां प्रजातंत्र की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी एक मिनट में सत्ता से अलग हो गए थे। आज जब उनके कन्धे पर प्रजातन्त्र का भार पड़ा तो कैसी बहादुरी के साथ वह आगे आए, यह आपको देखना है। साथियो चाहे आप इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, यह मत सोचिएगा कि प्रजातंत्र में आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है और इधर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आपको खुद अनुभव होगा। चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों जब ब्यूरोक्रेसी का शासन था तो क्या हो रहा था सारे प्रदेश में। यह किसके कारनामे थे, आप अपने सीने पर हाथ रखकर इस पर सोचिए। यह आपके कारनामे थे और यदि पुनः आप ने वही किया तो फिर प्रदेश को वही दुर्दिन देखना पड़ सकता है। आप सभी ने नौकरशाही का आतंक और उसका नग्न नाच देखा है। प्रजातन्त्र यदि खत्म होता है तो यह केवल हमारी ही जिम्मेदारी नहीं होगी। आपकी भी जिम्मेदारी होगी और आनेवाली संताने आपको भी कोसेंगी। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे ऐड्रेस करें, उनको नहीं।

श्री लालबहादुरसिंह--

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह कल्याणकारी बजट है। अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उन जगहों पर पहली बार पहुंचे हैं जहां पानी की बहुत कमी है। वहां उन्होंने वायदा किया और प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि किसी आदमीको वे पानी से त्रसित नहीं होने देंगे और किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। ब्यूरोक्रैसी के शासन के एक साल के तुरन्त बाद यह मामूली काम नहीं है कहना। आज इस प्रदेश और देश की जो हालत हो गयी है वह किसी से छिपी नहीं है। ब्यूरोक्रैसी के जमाने में कितनी अराजकता थी यह आप सब जानते हैं केरल से काश्मीर तक कहीं भी नियमबद्ध शासन की रूपरेखा नहीं है। प्रजा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री लालबहादुर सिंह]

तन्त्र के लिए सब से बड़ी बात है नियमित शासन की रूप रेखा का अपनाया जाना और अगर वह नहीं किया जायगा तो प्रजातन्त्र कहां चला जायगा यह आप पड़ोसी देशों से जान लें कि वहां क्या हालत हो रही है । आप तो खुद विद्वान, समझदार और अपनी-अपनी जगह जिम्मेदार लोग हैं, मैं आप से क्या कहूं, लेकिन आप के बहुत से साथी शासन में रह चुके हैं, वे आप को बतलावेंगे कि किस तरह से शासन किया जाता है और किस तरह से शासन की बागडोर चलायी जाती है । अनुपूरक अनुदानों को देखने से कहीं कोई चिन्ह नहीं मिलता जहां गैर जरूरी चीजें लायी गयी हों ।

अभी एक सज्जन ने उधर से कहा था कि पूरा बजट क्यों नहीं लाया गया । मुझे ताज्जुब हुआ यह सुनकर क्योंकि पूरे बजट के लिए थोड़ा समय चाहिये था और आप को भी पढ़ने और समझने के लिए समय कम था और इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार ने अनुपूरक अनुदानों को रखकर बुद्धिमानी का कार्य किया है । मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार सप्लीमेंटरी बजट रखकर एक सुन्दर बजट रखने के तरीके को रखा है । मैं निवेदन करूंगा कि इस अनुपूरक अनुदान को बिना किसी कटमोशन और बिना किसी बहस के पास कर देंगे और जब पूरा बजट आवें, तब बहस करें और कटमोशन दें क्योंकि आप को और हम को और बहुत से जरूरी काम है । हमारे क्षेत्रों में पानी और अनाज की भी कमी है अपने-अपने क्षेत्रों में काम करने की कमी है और इसलिए हम अपने-अपने क्षेत्रों में जावें और जिस सेवावृत्ति की शपथ लेकर हम लोग यहां आये हैं उस को पूरा करने के लिए चलें । असेम्बली तो उस सेवावृत्ति को पूरा करने के लिए एक साधन है, मार्ग है, यह बजट और यह सरकार उस में सहायक हो सकती है लेकिन असल सेवक तो हम जनता के हैं और उसको वहां चलकर पूर्ण करना है जिस के लिए उन्होंने हमें यहां भेजा है और जिसके लिए यहां व्रत लेकर आये हैं ।

यह कल्याणकारी बजट है और इस को ब्यूरोक्रेसी का बजट नहीं कहा जा सकता है । जब तक चुनाव नहीं हुआ था उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में हम आप की बात को कोई सुननेवाला नहीं था । जनता की कोई बात नहीं सुन रहा था । आज इतनी बात तो है कि अगर जनता त्रस्त होगी तो वह हमारे और आप के जरिये से अपनी बात पहुंचा सकती है । क्या यह कम बात है ? इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र जरूरी है और अगर उत्तर प्रदेश से जनतन्त्र खत्म हो जायगा तो हिन्दुस्तान से प्रजातंत्र खत्म हो जायगा और आस-पास के देश चाहे कम्युनिस्ट देश हों और चाहे डिमोक्रेटिक देश हों सभी जगह अशान्ति है । हमारा देश ही पंचशील का सब से बड़ा देश है और यह अनुपूरक अनुदान पंचशील की स्थापना में सहयोग देगा । इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पंचशील को सफल बनावें । यह बजट उस से ओतप्रोत है । सभी मदें इस में पब्लिक के फायदे के लिए रखी गयी हैं और अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे प्रदेश और देश की जनता का लाभ हो तो हम सरकार को मजबूत करें और सरकार मजबूत होगी तो जनता मजबूत होगी । आप पिछली सरकार के कारनामों को देख लीजिये कि वह सरकार किस तरह से फेल हुई । हम यह आशा लगाये थे कि वह सरकार मजबूती के साथ चलेगी । आप कहते थे कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं और यह नया प्रयोग सफल होगा लेकिन देखा कि वह तरीका सफल नहीं हुआ । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो और दो हमेशा चार होते हैं कभी दो और दो छै नहीं हो सकते हैं । चाहे कितना ही बड़ा कोई अर्थशास्त्री हो या कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो वह साबित करने या कहने से कुछ नहीं होता है । यह प्रजातन्त्र का मूल सिद्धान्त है कि जो पार्टी मेजारिटी में हो वह अपनी सरकार बनाये । यह कोई तरीका नहीं था कि प्रजातन्त्र की हत्या करने के लिए सब इकट्ठा होकर एक ऊटपटांग तरीके से काम करें । आप यह देखें कि जो इस में रुपया रखा गया है वह पानी के इन्तजाम के लिए रक्खा गया है । कई जिलों का यह हाल है कि पानी के बिना लोग मर रहे हैं । क्या आप यह चाहते हैं कि पानी के बिना लोग प्यासे मर जायं ? इस बजट में जो यह रुपया रखा गया है मुख्य मन्त्री जी ने जल्द से जल्द व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है जिस से कोई आदमी

बिना पानी के मर न जाय । अगर पूरे बजट का इन्तजार करते और जिलों से सूचना मांग कर सूचना इकट्ठा करते और तब यह प्रबन्ध करते तो उस में बहुत समय लग सकता था । मुख्य मन्त्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी से इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए रुपये का इन्तजाम करके इस मांग को रखा है ताकि कोई आदमी पानी के बिना परेशानी में न पड़े । इस वजह से यह सप्लीमेंटरी आप के सामने पेश कर दिया । आप लोग एक-एक अनुदान को पढ़ लें । उन में एक रुपया भी ऐसा नहीं है कि जो अच्छे काम के लिए न रखा गया हो ।

मैं अन्त में एक बात मन्त्रिमण्डल से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को विक्टिमाइज करना नहीं चाहिये । यह सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जायगा । आप देखें कि किस तरह से हड़ताल यहां पर चल रही थी । टीचर्स की हड़ताल चल रही थी और दूसरे लोगों की भी हड़ताल चल रही थी लेकिन मुख्य मन्त्री जी के प्रयास से सब हड़ताल खत्म हो गयी । मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में यह सरकार गठित हुई जो योग्यता के साथ काम करेगी । आप सब मिल कर उनके हाथ मजबूत करें । मेरे पुराने दोस्त भी उधर बैठे हुये हैं । मैं उन सब से कहूंगा कि वे भी मुख्य मन्त्री जी के हाथ मजबूत करें जिस से सब मिल कर जनता के हित में काम करें ।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुपूरक बजट का इसलिए विरोध करता हूं कि कई अनुपूरक बजट पेश करने की परम्परा गलत है । कई अनुपूरक बजट पेश करने में बहुत सा-रुपया अपव्यय हो जाता है । आज इस उत्तर प्रदेश की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है । हम और हमारे दूसरे साथी जो सत्ताधारी दल में बैठे हुये हैं सभी अपने क्षेत्रों के मतदाताओं के बड़े-बड़े अरमानों को ले कर आये हैं । इस प्रदेश के किसान, मजदूर और पिछड़े हुये लोग इस सरकार से आशा लगाये बैठे हैं । माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह चर्चा जोरों के साथ हुई है कि सब से अधिक ध्यान पिछड़े इलाके की तरफ दिया जायगा । पिछड़े हुये इलाकों में पानी और बिजली की सुविधा दी जायगी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश का सब से पिछड़ा हुआ इलाका इटा ा जिले का वह अंचल है जो बड़ा बीहड़ इलाका है । पूर्वी इलाके को भी कहा जाता है लेकिन यह जमुना, चम्बल और कुवारी नदी के बीच का बड़ा ही भयंकर इलाका है जिस को चम्बल घाटी या पारपट्टी के नाम से पुकारा जाता है । उस इलाके के गरीब किसानों के बच्चे इस देश की हिफाजत के लिए आज भी मोर्चों पर डटे हुये हैं । उन किसानों के पास बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन है । जो है उस को नदियों ने काट-काट कर बीहड़ बना दिया है । उन किसानों की ऐसी स्थिति नहीं है कि उस जमीन से अपना गुजारा कर सकें । इसी कारण से हर एक किसान का बच्चा भरती होकर फौज में गया और आज मोर्चे पर डटा हुआ है। उन के पास खाने के लिए इन्तजाम नहीं है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान उस अंचल की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर वाकई पिछड़े हुये अंचल की आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में सब से ज्यादा पिछड़े हुये इलाके को पानी और बिजली देना चाहते हैं तो इटावा जिले का वह इलाका जो औरैया से शुरू होकर उस तहसील का दक्षिणी इलाका और भरथना के दक्खिन की तरफ पड़ता है वह इस तरह का इलाका है कि जहां पर लोगों के खाने-पीने का कोई साधन नहीं है । उन को जमीन भी उपलब्ध नहीं है । वह इतना बीहड़ इलाका है कि इसी वजह से लोगों ने डकैती का धंधा अख्तियार कर लिया था ।

इस सदन को स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटे हुये इस इलाके में इस सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने करोड़ों रुपया डाकू उन्मूलन के लिये खर्च किया। सन्त विनोबा भावे ने आत्म समर्पण का मिशन चलाया जो कामयाब हुआ । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलाके की तरक्की के लिये आप पानी की व्यवस्था करें क्योंकि पानी वहां १०० फुट गहराई पर मिलता है । यही वजह है कि वहां बिजली का ट्यूबवेल ही कामयाब

[श्री भारतसिंह चौहान]

हो सकता है। यह सरकार यदि वाकई में अपने को जनवादी सरकार कहती है तो सबसे पिछड़े हुये चम्बल इलाके की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर भी मंत्रि-परिषद् के सदस्यों का ध्यान औरैया और विधूना तहसील की ओर दिलाना चाहता हूं कि वे उस भूभाग का दौरा करें। वहां फसल कट रही है पर वहां पानी का इन्तजाम न होने से फसलें खराब हैं। वहां किसान के पास अपने परिवार की गुजर करने लायक गल्ला नहीं हुआ और सूबे की जनता पर टैक्स लगाने की योजना बनायी गयी है, अगर किसानों पर वहां टैक्स बढ़ा या गया तो वह इलाका भुखमरी के कगार पर खड़ा हो जायेगा। मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारे जिले के इस इलाके का सर्वे करायें और जहां वाकई गल्ला पैदा नहीं हुआ, भयंकर सूखा है उस इलाके के किसानों को राहत देने के लिये इस फसल का लगान माफ कर दे और तकावी की व्यवस्था कर के वसूली स्थगित कर दे।

इसके साथ ही साथ मैं इस प्रदेश में निरन्तर पड़ रही डकैतियों, हत्याओं और अपराध की बिगड़ती हुयी स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन दो-एक डकैती न हो। हफ्ते में वहां एक हत्या हो जाती है। औरैया में थाने से २० कदम की दूरी पर ठीक पिछवाड़े २१–२२ फरवरी की रात में सरदार संतोष सिंह सिख की हत्या हुई, औरतें भी घायल हुईं। इस कांड में पुलिस ने जो लापरवाहीपूर्ण आचरण बरता उसके लिये उन्हें सजा मिलनी चाहिये। हमारे यहां एक थाना है सहावल, वहां लगातार हरिजनों पर अत्याचार और हत्यायें होती हैं। उनको पकड़ कर बन्द कर दिया जाता है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज यहां जनवादी सरकार बहुत अर्से के बाद बनी है। चाहे वह कोई भी सरकार हो एस० बी० डी० की हो या कांग्रेस की, हम लोगों की आदत पड़ गयी है कि सरकारी पक्ष की ओर बैठने वाले सदस्य सरकार की हर सही गलत बातों का समर्थन करते हैं और विरोधी पक्ष वाले हर सही बात का भी विरोध करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यहां पर जो बातें हों वह अपने-अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिये, प्रदेश की खुशहाली के लिये हों और सरकार की जानकारी में सच्ची बातों को लाने के लिये होनी चाहिये।

यहां बकेवर कांड की चर्चा हुई। मैं इटावा जिले का हूं। वहां से ७ विधायक चुनकर आये हैं। ५ कांग्रे से और दो भारतीय क्रांति दल के। कानून तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य रहा और पिछली बार भी विधान सभा में उसी पार्टी से चुनकर आया था, लेकिन अब मैंने अपने नेता चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सीखा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। आज पुलिस के लोग भी कानून तोड़ते हैं, जनता के भी तोड़ते हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता भी तोड़ते हैं। बकेवर में जो कुछ हुआ उसकी जिला सत्र न्यायाधीश ने जांच की और उसका प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक भी जवाब पेश नहीं हुआ। उसकी रिपोर्ट भी स्वीकृत हो गयी पर आज जनवादी सरकार पर पोलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है कि बकेवर कांड में बलवा कराने के लिये, हिंसा कराने के लिये जो राजनीतिक नेता दोषी पाये गये हैं उन पर कार्यवाही न हो। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इटावा जिले के विधायकों से बात करे और जो कुछ वहां हुआ उसकी वास्तविक जानकारी करके उचित कदम उठाये। अगर कोई सही काम करता है पुलिस का कर्मचारी तो भी उसकी आलोचना होती है। जो शगूफा चुनाव जीतने के हथकंडे के तौर पर छोड़ा गया था वह सबको विदित है और आज यही वजह है कि वे बकेवर के इलाके में जितनी पार्टियों ने यह आन्दोलन किया था उन पार्टियों की जो हालत हुई वह इस सदन और सूबे की जनता से छिपी नहीं है। कुछ दिन पहले स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी अपनी मांगों के संबंध में, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना गया। उन्होंने फिर दो महीने का नोटिस दिया है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि को बढ़ाया

माननीय, अभी कुछ दिन पहले यह पढ़ने को मिला था कि विधायकों का वेतन व भत्ता बढ़ाया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप छोटे कर्मचारियों के वेतन भत्तों को नहीं बढाते, तब तक आपको विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। विधायकों को तो ३०० रुपये महावार वेतन और १५ रुपये रोज भत्ता तथा फर्स्ट क्लास का पास आदि तथा लखनऊ में रहने की तमाम सुविधायें मिलती हैं, लेकिन आज एक पुलिस कान्स्टेबिल को आप क्या देते हैं ? एक चौकीदार को आप क्या देते हैं ? आप पहले इन छोटे कर्मचारियों के वेतन भत्तों को बढाइये, उसके बाद ही विधायकों के वेतन बढ़ाने का प्रश्न आ सकता है। अगर बिना छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाये आपने विधायकों का वेतन बढ़ाया तो आपके प्रति जनता का विश्वास उठ जायेगा।

इसके अलावा हाईस्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। आज जो गरीब मजदूर और किसान हैं, पैसे के अभाव में उनके बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं। इसलिये हाईस्कूल तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये।

इटावा जिले में भंगनीपुर डिवीजन नहर तथा इटावा डिवीजन नहर ने पानी नहीं दिया। किसानों की फसलें सूख गयीं, लेकिन उनसे सात सात गुना आबपाशी (ताबान) वसूल की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इन नहरों का सर्वे कराया जाय और वाकई में अगर वक्त पर पानी नहीं दिया गया है, फसलें सूख गई हैं तो फिर किसानों से पैसा वसूल करने का अधिकार सरकार को नहीं है।

इटावा जिला सब से पिछड़ा हुआ जिला है। वहां दो के अलावा कोई पक्की लम्बी सड़क नहीं है। वहां पर ककोर से कंचौसी होते हुये रसूलाबाद तक पक्की सड़क होना चाहिये। इस से ४ जिलों का आपस में संबंध हो जायेगा।

इसके अलावा औरैया, डिबियापुर, सहार, कंचौसी, सहायल तथा याक़ूबपुर के इलाके के किसानों को अगर बिजली दे दी जाय तो इस से वहां के किसानों की हालत बहुत सुधर सकती है। इस से हमारा प्रदेश भी खुशहाल होगा।

आज यहां पर चौधरी चरण सिंह पर बहुत जातिवाद के आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं और कहा जाता है कि उन्होंने इस आधार पर इलेक्शन जीता। मैं कहता हूं कि चौधरी चरणसिंह को ईमानदारी से इस प्रदेश का किसान प्यार करता है। अगर माननीय गुप्ता जी इस प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकें, नौकरशाही पर नियंत्रण कर सकें, प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन दे सकें तो चौधरी चरणसिंह की तरह इस प्रदेश की जनता उनको भी प्यार करेगी। मगर विधायकों तक के साथ उनका बात करने का जो रवैया है वह आप सबको मालूम है। जब वे निकलते हैं तो बड़े-बड़े आफिसर्स उनको सलाम करते हैं लेकिन यह सारे आफिसर्स जब कोई विधायक, जिनके बल पर गुप्ता जी यहां मुख्य मंत्री बने बैठे हैं, जब ये किसी अफसर के पास जनता की फरियाद लेकर जाते हैं तो उनका इनके प्रति क्या व्यवहार का तरीका होता है ? इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दें कि उन्हें किस तरह से एक विधायक से बात करनी चाहिये, इसको समझें। वह विधायक चाहे किसी भी दल से संबंध रखता हो। विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है। उसको एक लाख मतदाता अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इन शब्दों के साथ में अध्यक्ष महोदय, आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे सम्मानित दोस्त जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों ने इस तरह की बातें कहीं हैं, कुछ इस तरह के सवाल उठाये हैं जिनके संबंध में मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंगबहादुर सिंह]

कुछ कहना चाहता हूं। पहले तो यह कि जो ३३ लाख ५९ हजार रुपया मध्यावधि चुनाव में खर्च किया गया है यह भी हमें सोचना है और हमारे सम्मानित सदस्यों को भी सोचना है कि यह अवसर आया क्यों प्रदेश के अन्दर। कुछ हमारे सम्मानित दोस्तों ने कहा कि जब यह एस० बी० डी० सरकार चल रही थी तो केन्द्र के शासन के इशारे पर और राज्यपाल महोदय ने यहां पर प्रेसीडेन्ट रूल कायम कर दिया। मैं बतलाना चाहता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है कि हमारे समय के मुख्य मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने स्वयं इस्तीफा दिया था और उन्होंने ही महामहिम राज्यपाल को सुझाव दिया था कि प्रदेश के अन्दर मध्यावधि चुनाव कराया जाय।

मध्यावधि चुनाव की स्थिति क्यों आयी, उसको सभी लोग जानते हैं। जो लोग यहां चुन कर आये हैं वे सब पूरे प्रदेश को रिप्रेजेन्ट करते हैं। अतः हमें सदा इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि जो कुछ क्रिया यहां हम लोग करते हैं, अथवा बोलते हैं उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ता है चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से पड़े अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़े। जो घटना उस समय पर यहां घटी, उस समय मैं यहां नहीं था, लेकिन उसको मैंने अखबारों में पढ़ा था और लोगों से सुना भी था (किसी के कुछ कहने पर) उसका संबंध उस बजट में इसलिये है कि उसी के कारण मध्यावधि चुनाव और उसी के कारण यह खर्चा हमें करना पड़ा। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? यह प्रश्न भी विरोधी दल के माननीय सदस्य ने उठाया है जिसके ऊपर ही मध्यावधि चुनाव कराये जाने की जिम्मेदारी है। अगर आपका सहयोग इस सरकार को चलाने वाले लोगों के साथ रहा तो वह स्थिति अब नहीं आ सकती। अगर आप लोग उस समय में सहयोग करते तो गरीब किसानों के रुपये का दुरुपयोग न होता।

जहां तक विधान परिषद् के समाप्त करने का प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता कि विधान बनाने वाले लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना थी। तमाम देश के लोगों ने इस विधान को बनाया था। फिर ऐसी बात भी नहीं है कि विधान परिषद् में जो लोग आये हैं वे सब कांग्रेसी ही हों। बहुत तो ऐसे लोगों को प्रधिकतर लिया जाता है जो डायरेक्ट चुनाव में हिस्सा लेना पसन्द नहीं करते। और जिनका अनुभव प्रदेश के लिये बहुत आवश्यक होता है। उन लोगों ने उपयोगिता को समझ कर ही विधान परिषदों की स्थापना की गयी थी। आज भी उसकी अहमियत वैसी ही बनी हुई है।

सिंचाई योजनाओं और बिजली के संबंध में भी बहुत सी बातें कही गयीं। कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जो सुविधायें किसानों को दी थीं, वे सुविधायें भी आपकी ९ महीने की सरकार ने छीन लीं। कांग्रेस सरकार ने १० हार्स पावर वाले जन पर २ फर्लांग तक मुफ्त लाइन देने की छूट दी थी, और अगर हम उसका कनेक्शन बना लेते थे तो मीलों तक हम लाइन को आगे ले जाते थे। इस सुविधा को संयुक्त विधायक दल की सरकार ने छीन लिया। विरोधी दल के सम्मानित नेता चौधरी चरण सिंह जो ही उस समय मुख्य मंत्री थे उन्होंने अपनी कलम से उन सुविधाओं को छीन लिया।

प्राइमरी अध्यापकों के संबंध में कहा गया कि कांग्रेस वाले एक ओर तो उनको तनख्वाह अधिक दे रहे हैं लेकिन वे और प्रेसीडेन्ट मिलकर दूसरे हाथ से उसको छीन लेते हैं, दूसरी तरह से चन्दे के रूप में उनसे वसूल कर लेते हैं। विचार में तो ऐसी बात नहीं है और मेरे जिले में कहीं ऐसी बात नहीं है। जिला परिषद् के सब अध्यापक प्रसन्न हैं और अपना काम कर रहे हैं।

एक सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो आगरा के व्यापारियों ने घी के दिये जलाये। अगर कांग्रेस सरकार व्यापारियों की इतनी फेवर करने वाली होती तो ल नऊ नगर से क्यों सारी सीटें विरोधी दल को चलीज तीं। प्रदेश में सबसे अधिक गरीब लोगों के वोट कांग्रेस को मिले हैं। ९ महीने के संविद के राज्य में लोगों ने देख लिया कि उनके हित की केवल कांग्रेस ही रक्षा कर सकती है। जिन विघटनकारी ताकतों ने इस बार जनता को धोखे में डालकर उनका वोट प्राप्त कर लिया है, उनके कारण से किसी न किसी रूप में

जब जनता के सामने आयेंगे तो अगली बार उनको भी जनता सबक सिखायेगी। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं। यह जनता की सरकार को चलाने के लिये अत्यावश्यक है। अतः मैं एक बार फिर उन आवश्यक मदों का समर्थन करता हू।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने १९६८-६९ के लिये सप्लीमेंटरी बजट ६० करोड़ रुपये का रखा गया है। इस से पहले जो इसका असली बजट था वह लोक सभा में पास हुआ लेकिन अफसोस है कि आज सूबे के कोने कोने से चुने हुए माननीय सदस्यों को यह नहीं मालूम कि इस एक साल में सरकार ने क्या-क्या किया। करोड़ों रुपये का बजट पहले मंजूर हुआ और ६० करोड़ की मांग और आई। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमें कोई लिटरेचर वगैरह नहीं दिया गया जिस से मालूम होता है कि वह बजट को करोड़ों रुपये का रकम और यह ६० करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हमा सूबे ने क्या प्रगति की और देश कहां जा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट जब सन् ६६ के अन्दर सी सदन में पेश हुआ था तो उन्होंने उसमें कुछ वादे किये थे और कहा था कि इस साल के बाद १८ करोड़ रुपया छोटी सिंचाई योजनाओं पर खर्च करेंगे। ५ करोड़ रुपया ट्यूबवेल्स पर खर्च होगा, १७,००० मेसोनी वेल्स बनवाये जायेंगे, ४० हजार की बोरिंग होगी और २० हजार पम्पिंग सेट्स लगेंगे। कहा गया था कि इतना काम कर के बाद हम खूराक के मामले में सेल्फसफीशिएन्ट इस प्रदेश को कर देंगे। यह वादे मौजूदा मुख्य मंत्री जी ने सन् ६६ में किये थे। उसके बाद जब एस० वी० डी० की सरकार आई तो उसने भी कुछ ट्यूबवेल्स वगैरह लगाये और पानी का प्रबन्ध किया और उनके समय में भी कुछ काम हुये लेकिन इस सबके बावजूद अफसोस है कि आज भी यह सूबा खूराक के मामले में सेल्फसफीशिएन्ट नहीं है। हमें सोचना है कि इसका कारण क्या है। हमारे साबिक प्राइम मनिस्टर साहब श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा देश को दिया था जय किसान जय जवान, उससे किसानों ने महसूस किया कि अब उसको भी मुल्क में एक सम्मान और एक इज्जत मिली है और इस अहसास के बाद यहां के किसानों ने जितनी पैदावार इस सूबे की बढ़ा कर दिखाई उसके ऊपर आज भी यह प्रदेश फख्र करता है। अगर किसी दूसरे सूबे का किसान यह कह दे कि यहां का किसान निकम्मा है, कुछ जानता नहीं तो दूसरे प्रदेश के किसानों का यह भ्रम है। वह सब कुछ जानता है। लेकिन अफसोस है कि यहां उसको समाज में वह सम्मान नहीं दिया जाता जिसका कि वह मुस्तहक है। कहते तो हम सब हैं कि वह हमारा अन्नदाता है लेकिन असल हालत क्या है और उसे समाज में आज भी कितना सम्मान मिलता है वह हमसे और आप से छिपा नहीं है। मैं चार लाइन अमेरिका के प्रसीडेन्ट की आपकी इजाजत से पढ़ कर सुनाऊंगा और माफी चाहूंगा कि वह अंग्रजी में है और अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं उनका तर्जुमा भी कर दूंगा। श्री टामस जेफर्सन जो यू० एस० ए० के तीसरे प्रेसीडेन्ट थे और जहां के लोग चांद पर पहुंचने की तैयारी में लगे हैं और जिनकी उम्मीद है कि वही पहले चांद पर पहुंचेंगे और जो दूसरे मुल्कों को जिन्दा रखने के लिये अन्न देते हैं इसलिये कि हम अपनी नदामत को दूसरों का अन्न खा कर भूल सकें। वहां पर किसानों को क्या सम्मान मिलता है। इस संबंध में उन्होंने यह चार लाइन कहीं हैं कि "cultivators of the earth are the most valuable citizens. They are the most vigorous, the most independent, the most virtuous, aud they are tied to their country, and wedded to its liberty and interests by the most lasting bonds.....our Governments will remain virtuons for many centuries as long as they are chiefly agricultural."

मैं इसका हिन्दी में तर्जुमा किये देता हूं। उनका कहना है कि जो जमीन जोतने वाला है वह ईमानदार है, अपने मुल्क के प्रति वफादार है और अपने मुल्क की इन्टेग्रिटी को मात करता है और हमारी सरकार जब तक समाज के अन्दर उनको सम्मान देती रहेगी, हमारी सरकार मजबूत रहेगी लेकिन हमारे देश में और खास तौर से हमारे प्रदेश में आज भी अगर उस किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

के पास १०, २० या ३० रुपये लगान के बकाया रह जाते हैं तो आपके कलेक्शन अमीन उसकी बेइज्जती करते हैं और उसे जेल में बन्द करवा देते हैं। दूसरी तरफ बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी तरफ लाखों रुपये सेल्स और दूसरे टैक्सों के बाकी हैं लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी सदन में सवाल पूछने पर जवाब दिया गया कि १५–१६ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का आज भी बकाया पड़ा हुआ है लेकिन कोई भी बड़ा आदमी जेल नहीं गया। यही नहीं जब ऐसे बड़े-बड़े आदमी हमारे मंत्री महोदय को मिलने के लिये कौंसिल हाउस में आते हैं तो माफ करेंगे, मंत्री जी उन्हें मिलने में भी तरजीह दी जाती है। आज यह इज्जत हमारे प्रदेश में हमारे गरीब किसान को मयस्सर नहीं है।

हम यह समझते हैं कि आबपाशी के जरायें बढ़ाने से पैदावार बढ़ेगी। इस मद में भी हमारे प्रदेश में बहुत खर्चा हो गया। लगभग २१ करोड़ रुपया हमने तीनों प्लानों में सिंचाई के जरायें बढ़ाने के लिये किया। २ हजार से बढ़कर ८ हजार ट्यूबवैल उत्तर प्रदेश में सरकारी हो गये और अब इस राष्ट्रपति के शासन में और बढ़ गये होंगे। इस प्रकार लगभग साढ़े ८ हजार हो गये हैं। नहरें भी खुदी हैं वह १,१०० मील हो गयी है लेकिन अगर ट्यूबवैल्स का सर्वे किया जाय तो उनमें से कितने ही ऐसे ट्यूबवैल्स मिलेंगे कि जिनका डिस्चार्ज २० हजार गैलन से ज्यादा न होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ५० फीसदी कुयें अर्थात् स्टेट ट्यूबवैल्स ऐसे हैं जिनका डिसचार्ज ५० हजार गैलन से नीचा है। यही नहीं बार बार कहने पर भी उनकी गूलों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। न उन कुओं की बोरिंग ही करायी जाती है। रामपुर डिवीजन में एक गुलडिया कुंवा नं० १ है जो ८ से १० हजार गैलन के डिस्चार्ज पर चल रहा है, कई दफा सवाल उठाये गये। इस हमारी कांग्रेस सरकार को पहले मेरे सवाल के बाद यही मालूम नहीं हो पाया कि भगतपुर के ब्लाक में है या मुडापांडे के ब्लाक में है। आज भी वहां की हालत यह है कि गूलें टूटी हुयी हैं और बार बार शिकायत करने पर उनकी मरम्मत नहीं होती है। जहां तक आबपाशी के काम को बढ़ावा देने की बात है मैं समझता हूं कि उसकी तादाद न बढ़ाकर उसकी एफीशियेन्सी को बढ़ाना चाहिये।

एक तौमडिया डैम है जिस से एक नहर निकली है जो कि ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद की तहसीलों में पानी देती है। लेकिन जब वहां पर किसानों को पानी की आवश्यकता होती है, उस समय उनको नहीं मिल पाता और जब जरूरत नहीं होती है तो उनके चने के खेतों में पानी ही पानी भर जाता है। वहां के किसान इस प्रकार से बड़े परेशान हैं।

ला ऐंड आर्डर की बात के ऊपर सबको चिन्ता है। कांग्रेस के शासन काल में ही ला ऐंड आर्डर बिगड़ा है। बहरहाल यह बात निश्चित है कि ला ऐंड आर्डर को बिगाड़ने की जिम्मेदारी दो ही पार्टियों पर है चाहे बी० के० डी० पर हो अथवा कांग्रेस पर हो। (व्यवधान)। दोनों एक ही चक्की के पाटें हैं। हम तो मक्का के दाने की तरह पिस कर टूट गये। जितनी प्रोग्रेसिव पार्टीज थीं सबको नुकसान रहा। इस समय गुप्ता जी प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं लिहाजा उन पर इसकी जिम्मेदारी है कि ला ऐंड आर्डर को कंट्रोल में रखें। नया हाउस आया है। कुछ पुराने हैं कुछ नये हैं। भगवान सहाय जी इस बात को कहते रह गये। मेरी भी गुजारिश है और सारे सदन की तरफ से मैं यह कहूंगा कि हम लोग जो एम० एल० एज हैं, लाख डेढ़ लाख जनता का हम में से हरएक प्रतिनिधि है। उसका काउ आफ इंसियत बनाइये। आफिशियल सर्किल में हमारी क्या हैसियत है, क्या हकूक हैं और क्या अख्तियारात हैं। डेढ़ डे की जिन्दगी में उससे वास्ता पड़ता है। वहां प्रतिबन्ध लगना चाहिये जहां अपनी ताकत से ऊपर काम कर बैठते हैं और वहां रेस्ट्रक्शन्स हटने चाहिये जहां हकूक की पायमाली होती है।

कुछ चीजें सरप्लस हैं जिन पर अखराजात को बचाया जा सकता है। गवर्नर साहब का ओहदा है। उनको देखकर शहंशाह मुगलिया और अंग्रेजों का जमाना याद आता है। दिल्ली में जाते हैं तो लाल किला देख लिया जाता है और लखनऊ में आते हैं तो आसफउद्दौला

का इमामबाड़ा देख लिया जाता है। मत दिखलाइये राजभवन। कितना लम्बा-चौड़ा अहाता राजभवन में पड़ा हुआ है। ७, ८ मेम्बर हम वहां गये तो डेढ़ घंटा बैठे रहे। राज्यपाल महोदय को हमसे डेढ़ घंटे तक मिलने का मौका नहीं मिला जब कि सदन में हमको आना था। यह शान शौकत आप क्यों दिखलाते हैं। इसको खत्म कीजिये, यह प्रजातंत्र का जमाना है। हम लोग उस गरीब वोटर के जरिये से चुन कर आये हैं जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जिसके सर पर साया नहीं है और जिसके पास दो जून खाने को नहीं है। किन्तु उसके वोट की कीमत वही है जो बड़े बड़े सेठ और साहूकारों की है। प्रजातंत्र के अन्दर जनता को यह विश्वास होना चाहिये, जनता यह समझे कि इस लखनऊ शहर के अन्दर बैठा हुआ उसका प्रतिनिधि उसकी नुमाइन्दगी कर रहा है, उसके ऊपर कहीं ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। इन सारी बातों की तरफ ध्यान दिया जाय। ६०करोड़ का यह जो सप्लीमेंटरी बजट आया है यह आगे आने वाली डेफिशिट फायनेंसिंग की तरफ इशारा करता है। अगले साल १७५ करोड़ रुपये के लिये आपको रिसोर्सेज ढूंढने हैं। पता नहीं कौन-कौन से टैक्स लगेंगे। खुदा खैर करे। क्या हश्र होगा। इतना बड़ा ६०करोड़ का सप्लीमेंटरी बजट इस सदन में कभी नहीं आया और यह ६० करोड़ का सप्ली-मेंटरी बजट और फिर वोट आन एकाउन्ट और उसके बाद असली बजट। इन सारी चीजों को सामने रख कर १७५ करोड़ रुपया आपको अदा करना है। आप जब पिछले चुनाव में चुन कर आये थे तो आपने तो अपने किसानों का सवाया लगान एबालिश किया था। कहीं ऐसा न हो कि रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिये आप फिर सवाया लगान लगायें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस तरफ को नहीं जायेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

माननीय, वित्त मंत्री ने जो अनुपूरक अनुदान १९६८-६९ का इस सदन के समक्ष रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय, इस अवसर पर, माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में बनी हुई सरकार ने जो शासन की बागडोर सम्भालते ही इस विषम और कठिन परिस्थिति में प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का जो पहला और साहसिक कदम उठाया है उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं। इस अनुपूरक अनुदान में इस प्रदेश के चतुर्मुखी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षकों को और प्रारंभिक शिक्षकों को उनका वेतन-क्रम और मंहगाई भत्ते को दे कर बहुत हद तक उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। इसी प्रकारसे गोरखपुर, इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालय जो कि घाटे में चल रहे थे उनको भी करीब २७-२८ लाख रुपये देकर उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी केवल टाउन्स में सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल की सुविधा देने का प्रयत्न किया गया है। इन बड़े नगरों में पांच अस्पताल रहेंगे और महिलाओं के लिये भी एक अस्पताल रहेगा जिसमें कि राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा की सुविधायें दी जायंगी। सिंचाई में भी लिफ्ट इर्रीगेशन का एक साहसिक कदम उठाया गया है। उससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई की जायगी। इस सब के लिये वित्त मंत्री और सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं।

जहां मैं अनुपूरक अनुदान के लिये बधाई देता हूं वहां कुछ मुझे शंकायें हैं उनको भी मैं व्यक्त करना चाहता हूं। गोरखपुर, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में सन् ६० से बराबर घाटा पड़ता चला आया है और सरकार बराबर उनको अनुदान के रूप में उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करती रही है। सन् ६० में रुपया दिया गया, सन् ६३ में रुपया दिया गया और उसके बाद भी जब घाटा पूरा नहीं हुआ तो उन्हों फिर अब की मांग रखी अब उनको २८ लाख रुपया दिया गया।

[श्री कृष्णचन्द्र---]

[इस समय १ बज कर १० मिनट पर, अधिष्ठाता श्री नरेन्द्र सिंह, (पिथौरागढ़) पीठासीन हुये ।]

माननीय वित्त मंत्री कुछ रोशनी डालें कि इन तीनों विश्वविद्यालयों में क्यों घाटा पड़ रहा है ? उनके सम्बन्ध में कोई कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है जिसके परिणाम-स्वरूप आपने निश्चय किया है कि घाटा पड़ने के कारण इन विश्वविद्यालयों को सहायता की जाय। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और इसके सम्बन्ध में कोई कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाय ।

जहां तक माध्यमिक शिक्षक और प्रारम्भिक शिक्षकों के महंगाई--भत्ते और वेतन के बढ़ाने का प्रश्न है उसके लिये हम आभारी हैं कि इस संकट काल से प्रदेश को निकालने का यत्न किया गया है। किन्तु इसके साथ ही साथ अब समय आ गया है जबकि शिक्षा के सारे प्रश्नों पर विचार करना चाहिए और सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिये। जब माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षकों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है और रोज-रोज हड़तालें होती हैं तो इसका असर प्रशासन पर पड़ता है। अनुपूरक बजट में यह भी कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में जो वृद्धि की गई है उसका कुछ अंश प्रबन्ध समितियों को भी देना पड़ेगा मैं नहीं जानता कि शिक्षा मंत्री जी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबन्ध समतियों से इस सम्बन्ध में कोई सलाह--मश्विरा किया है या नहीं। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है शिक्षा मंत्री जी ने या बित्त मंत्री जी ने प्रबन्ध समितियों से कोई सलाह--मश्विरा नहीं किया है। इसलिये मैं नहीं जानता कि वह कहां तक उचित है कि बिना उनसे सलाह--मश्विरा किये हुये इस तरह वक्तव्य देने से स्थिति सुलझ सकेगी। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक प्रबन्ध समितियों से सलाह--मश्विरा नहीं किया गया है तो अब कर लेना चाहिये।

श्रीमन्, सिंचाई के सम्बन्ध में साहसिक कदम उठाया गया है। इस बजट में सूखा क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश की गई है। सूखा क्षेत्र के लिये जो डीप इर्रीगेशन और कुओं की जो आयोजना है उसको अस्थायी न होकर स्थायी होना चाहिये क्योंकि दुर्भाग्य से सूखे की स्थिति प्रदेश में हर साल पैदा होती रहती है। पिछले ३-४ वर्षों से यह स्थिति लगातार होती चली आ रही है। इसलिये इसका स्थायी रूप से प्रबन्ध करना चाहिये। बुन्देलखण्ड में भी सूखा पड़ता है इसलिये यहां पर भी वही कार्य करने चाहिये जो पूर्वी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में किये जा रहे हैं। वहां पर भी डीप इर्रीगेशन, कुवें तथा नलकूप का प्रबन्ध करना चाहिये और पानी को उठा कर सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। हम लोग वर्षों से कहते आए हैं कि यहां नलकूपों का निर्माण होना चाहिये और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह प्रयोग किया जायेगा कि वहां नलकूप बन सकते हैं या नहीं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस में जल्दी करनी चाहिये। अनुपूरक अनुदान को रख कर प्रदेश की तरक्की के लिये कदम उठाया गया है। मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां कार्य अधूरे पड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की अक्षमता के कारण या किसी वजह से वे कार्य पूरे किये जाने चाहिये। आखिर इन पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ है और अगर ये पूरे नहीं होते तो यह जनता के साथ अन्याय की बात है।

मेरे जिले में जामनेर बांध बन रहा है। वह १९६१ में शुरू हुआ और आज तक यानी १९६९ तक उस पर कुल डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हो पाया है। मैं आपको आंकड़े बतलाता हूं जिससे आपको अनुमान हो जायेगा कि जामनेर बांध के निर्माण में कितनी अदूरदर्शिता और लापरवाही बरती गई है और किस तरह से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है। श्रीमन्, यह बांध १९६०-६१ में बनना आरम्भ हुआ था जिस पर ६०-६१ में १९ हजार रुपया खर्च हुआ, ६१--६२ में ढाई लाख, ६२-६३ में २ लाख ७७ हजार, ६३-६४ में २३ लाख, ६४-६५ में ४२ लाख, ६५-६६ में करीब २२ लाख, ६६-६७ में करीब २२ लाख, ६७-६८ में करीब १८ लाख और ६८-६९ में १९ लाख रुपया खर्च हुआ। वहां पर अभी काम हो रहा है।

प्रारम्भ में इस बांध की लागत का अनुमान २ करोड़ रुपये के ऊपर था लेकिन अब उसका मीजान ४ करोड़के ऊपर पहुंचेगा। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि जिस वर्ष में इस बांध पर १७ लाख रुपये का काम हुआ उस वर्ष इस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा हुआ ३ लाख ३३ हजार रुपया और जिस साल ४२ लाख रुपये का काम हुआ तब इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा था १ लाख ९२ हजार रुपया। तो श्रीमन्, इस जामनेर बांध के निर्माण पर जो इतना विलम्ब हो रहा है वह जनता के प्रति अन्याय है। इस जामनेर बांध से ३० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। इस जामनेर बांध को सन् १९६७-६८ में तैयार हो जाना चाहिये था लेकिन आज १९६९ में ऐसा लगता है कि इस बांध के पूरा होने में कम से कम ५ वर्ष और लग जायेंगे और सन् १९७४-७५ से पहले यह समाप्त नहीं हो सकेगा। अभी तक जामनेर बांध पर पक्का काम शुरू नहीं हुआ है।

मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं और उनसे मुझे शिकायत है कि जब वे मुख्य मंत्री हुए सन् १९६७ में तो उन्होंने जामनेर बांध पर पक्का काम के लिये रुपया नहीं दिया जिसकी वजह से वह काम आज तक ढीला पड़ता आ रहा है। वहां कच्चे काम की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जामनेर बांध पर जो मेकेनाइज्ड सब डिवीजन उसका खर्चा एक लाख रुपया हर साल है। बड़े-बड़े बुलडोजर वहां पड़े हुए हैं जिनकी वहां कोई जरूरत नहीं है। जामनेर बांध पर कच्चे काम के लिये जो सारा इस्टेबलिशमेंट है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये। आप चाहे अनुपूरक बजट रखें, चाहे जो टैक्स लगावें, जनता से जो पैसे लें, हम इसके लिये सहर्ष तैयार हैं लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि एक-एक पैसा जो आप जनता की जेब से लेना चाहते हैं उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिये, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये और इसके लिये प्रशासन के अधिकारियों में क्षमता आनी चाहिये, उनको ईमानदार होना चाहिये, उनमें कार्यकुशलता होनी चाहिये, उनमें जल्दी से कार्य को करने की लगन होनी चाहिये।

श्रीमन्, वाराणसी में एक बांध बना जो ४ वर्ष में पूरा हो गया। माताटीला बांध भी जो अधिक लागत का था ५ वर्ष में पूरा हो गया लेकिन यह जामनेर बांध सन् १९६१ से ६९ तक चल रहा है। पता नहीं कितनी सरकारें आयेंगी और बदल जायेंगी, कितने विधायक आयेंगे और चले जायेंगे लेकिन जामनेर बांध का कार्य समाप्त नहीं हो पायेगा। ऐसी मुझे आशंका है। जितनी मुझ में आज शक्ति है, उस पूरी शक्ति के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य को जल्द लिया जाना चाहिये और बांध दो वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिये जिससे वहां की ३० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके। पहले इस बांध की लागत ढाई करोड़ रुपये थी जो पूरा होते-होते साढ़े ४ करोड़ हो जायेगी। अगर सन् १९६७ तक ही बांध पूरा हो गया होता तो ढाई करोड़ रुपये में ही बांध तैयार हो जाता। बाकी जो दो करोड़ रुपया और व्यर्थ में इसके ऊपर बर्बाद होगा उसके लिये कौन जिम्मेदार है, मैं नहीं कह सकता।

श्रीमन्, अभी उस तरफ के साथियों ने चर्चा की कि मध्यावधि चुनावों में अराजकता की स्थिति कांग्रेस वालों ने पैदा की है। यह आतंक, भय कांग्रेस वालों ने पैदा किया है। मैं चाहता था कि प्रारम्भ से ही इस प्रश्न को न उठाया जाता। चुनाव समाप्त हो गये हैं। प्रशासन को चलना है और जब तक सरकारी और विरोधी पक्ष में सद्भावना ही न होगी उस समय तक शासन का कार्य सुचारु रूप से चलने में कठिनाई पैदा हो सकती है। किन्तु लगता है कि विरोधी दल का प्रयास यह है कि अभियुक्त न्यायाधीश बन जाय और न्यायाधीश अभियुक्त बन जाय। मैं इसको अनुचित समझता हूं। जो कुछ चुनाव में हुआ उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भूल सकते तो इसका फैसला होना चाहिए कि किसने आतंक फैलाया, किसने भय और बल का प्रयोग करके वोटों को लिया और खरीदा। मैं प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में क्या हुआ नहीं जानता लेकिन अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में जानता हूं। विरोधी दल के प्रतिनिधि ने मेरे क्षेत्र में डाकुओं की सहायता ली। चुनाव की लड़ाई में बी० के० डी० के प्रतिनिधि ने डाकुओं को जीपों पर सवार करके कनवेसिंग किया। डाकुओं ने चिट्ठियां भेजीं सैकड़ों हजारों की तादाद में जिसमें कहा गया कि अगर बी० के० डी० के उम्मीदवार को नहीं चुना गया तो लूट लिये जाओगे, घर जला दिया जायगा, बरबाद कर दिये जाओगे। आज वह चिट्ठियां रखी

[श्री कृष्ण चन्द्र—]

हुई हैं। श्रीमन्, आज भी चुनाव के बाद मकानों में आग लगायी जा रही है, आज भी आदमियों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। सुना गया है कि आज भी डाकू वसूल कर रहे हैं उस खर्चे को जो कि बी० के डी० के उम्मीदवार ने खर्च किया था।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय चौधरी चरण सिंह विरोधी दल के नेता के रूप में आये हैं। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि एक प्रजातन्त्र की निरपेक्षता में विश्वास रखने वाला, गांधीवाद में विश्वास रखने वाला दल विरोधी दल के रूप में बैठा है और यह भी खुशी है कि वह दल जो समाज को साम्प्रदायिकता की ओर ले जाना चाहता था वह कमजोर हो गया है, उसकी रीढ़ टूट गयी है। इसलिए मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि अगर आपने यह प्रश्न उठाया है तो इसका फैसला होना चाहिए। जनता को मालूम होना चाहिए कि किस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। श्रीमन् मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह किसी वक्त मेरे क्षेत्र में जाने का कष्ट करें और निष्पक्ष रूप से आकर इस बात की सत्यता को देखें कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं वह सही है या नहीं। और वह आरोपों को सही नहीं पाते हैं तो मुझे बंड देंगे, मैं इस सदन से इस्तीफा देना भी स्वीकार कर सकता हूं। यदि चौधरी साहब यह महसूस करें कि यह सही है तो केवल इतना कह दें कि मेरे क्षेत्र में जो बी०के०डी० के उम्मीदवार ने किया है वह गलत किया है। माननीय चौधरी चरण सिंह सदन में इतना कह दें कि ऐसा कुकृत्य झांसी जिले में हुआ है, श्री कृष्णचन्द्र शर्मा के क्षेत्र में जो हुआ है वह गलत है, अनुचित है और वह नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना पर चौधरी साहब जरूर ध्यान देंगे। (व्यवधान) मेरी बड़ी सद्भावना है चौधरी साहब के प्रति, जितनी विरोधी दल की आपकी है उससे ज्यादा ही है। चौधरी साहब हमारे नेता रहे हैं, उनके कार्यकलाप, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्पक्षता, उत्साह और साहस पर हम को गर्व रहा है। इसलिए चाहे चौधरी साहब उधर आज बैठे हों हमारे मन में उनके लिए आपसे अधिक स्थान है। उसका वास्ता देकर मैं निवेदन करने की जुर्रत करता हूं कि इस स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए और इसको भूल जाने की कोशिश करना चाहिए लेकिन अगर नहीं भूल सकते हैं तो माननीय चौधरी चरण सिंह और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि यह समय है कि जनता जान जाय कि किस तरफ से ज्यादती हुई। इसकी जांच की जानी चाहिए। अदालती जांच हो सकती है, कमीशन आफ इनक्वायरी हो सकता है। जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है मैं चौधरी साहब से प्रार्थना कर सकता हूं वह जाकर जांच कर लें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायण (जिला बेकनिया)—

अधिष्ठाता महोदय, सरकारी पक्ष से इस चुनाव सम्बन्धी चर्चा का बड़े विस्तार से वर्णन हुआ और यह अतिरंजित चित्र जो आ रहे हैं दोनों पक्ष से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा झांसी के माननीय सदस्य ने कहा है यह बड़ा आवश्यक है कि सरकार एक निष्पक्ष कमीशन जो हाईकोर्ट के जज का हो उसको नियुक्त करे कि किस दल ने भूल की है। प्रजातन्त्र अहिंसात्मक ढंग से चलता है। प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों का पालन आवश्यक है। चुनाव में जिस दल या व्यक्ति ने ज्यादती की है उसके खिलाफ जनता का रोष स्पष्ट होना चाहिए और हम लोगों को उसकी निन्दा करनी चाहिए।

जहां तक उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का सवाल है। पिछड़ापन दो दृष्टि से होता है—एक आर्थिक दृष्टि से और दूसरा शैक्षिक दृष्टि से। अगर शिक्षा की दृष्टि सही बन जाय, आदमी की ठीक से शिक्षा हो जाय जैसा कि चौधरी चरणसिंह जी ने कहा "ह्यूमन फैक्टर", इन्सान ठीक बनने लगें तो सारी नियोजन की व्यवस्थाएं ठीक चलने लगें। लेकिन अगर इंसान ठीक नहीं है तो करोड़ों अरबों रुपया कर्जा लेते जाइये उसका दुरुपयोग होगा। मैं उनके भाषण की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। "ह्यूमन फैक्टर" कैसे बनेगा? जब अंग्रेज आये तो

सबसे पहले १८५४ में एक 'उड' रिपोर्ट डिस्पैच की गयी। सन् १८८२-८३ में एक कमीशन बना जिसने कहा कि प्राइमरी शिक्षा बहुत आवश्यक है। उसका जिक्र मुडालियर कमीशन की रिपोर्ट में है। १९४७ में जनप्रिय सरकार आयी ? उसके बाद बीस वर्ष हो गये। संविधान के अनुच्छेद ४५, अध्याय ४ के अन्तर्गत दस वर्ष की सीमा रखी है, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए। यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है। अंग्रेजों ने भी कहा था कि प्रारम्भिक शिक्षा--- बहुत आवश्यक है।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सारे बजट और अनुपूरक बजट की कुंजी इस शिक्षा में है। मैं आपकी आज्ञा से यह दो लाइन अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं---

"Since it was very costly for the Government to maintain Secondary Schools it was thought that the Government should take over the entire responsibility of Primary education leaving Secondary education to private enterprize. The Commission recommended that "Secondary Education as far as possible be provided on the Grant-in-aid basis and that the Government should withdraw as early as possible from the direct management of Secondary Schools."

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस कमीशन ने सन् १८८२-८३ में ही यह कहा कि प्राइमरी शिक्षा सरकार चलाए और दूसरी श्रेणी की शिक्षाओं को और लोग चलाएं। क्योंकि उसी समय से प्राइमरी शिक्षा के गुरुत्तर महत्व का अनुभव कर लिया गया था लेकिन प्राइमरी शिक्षा के बारे में १८८२-८३ में एक निश्चित राय हो जाने पर भी इतने पुराने फैसले पर जो अंग्रेजों के समय में किया गया था इस समय तक कोई अमल नहीं किया गया है। आज प्राइमरी शिक्षा की क्या स्थिति है ?

इस प्रदेश में सात करोड़ की आबादी में ६० लाख बच्चे प्राइमरी शिक्षा में पढ़ रहे हैं, किन्तु उसमें गुणात्मकता का अभाव है यानी उसकी क्वालिटी बिलकुल गिरी हुई है। संख्या तो बढ़ गई दिखाने के लिए कि ६० लाख बच्चे हैं लेकिन शिक्षा का स्तर बिलकुल गिरा हुआ है। शिक्षा विभाग की मेरे पास एक पत्रिका है १९६७-६८ की। उसको देखने से मालूम होता है कि प्राइमरी शिक्षकों का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है। इसलिए अध्यापक को जो बिलकुल एक पीसफुल कम्युनिटी (शान्तिमय समुदाय) थी उसको आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्योंकि वह जानता है कि यह सरकार बिना आन्दोलन किए कोई बात नहीं सुनती है। वह बात चाहे जितनी ही न्यायोचित क्यों न हो। आन्दोलन और स्ट्राइक शासन की अदूरदर्शिता का ही परिणाम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा की क्या प्रगति हमारे प्रदेश में होती रही है। सन् १९५० में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक सर्वे कराया था---"रिगार्डिंग एजूकेशनल डेवलपमेंट टू फाइन्ड आउट वेज (ways) एण्ड मीन्स", उसने तय किया कि २० प्रतिशत सारे बजट का शिक्षा पर खर्च होना चाहिए उसके बाद एक दूसरी कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में बनाई जिसके सदस्य हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री खेर जी भी थे। उसने यह सिफारिश की थी कि कुल बजट का २० प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाए और कुल शिक्षा पर व्यय का ६० प्रतिशत प्राइमरी शिक्षा पर व्यय हो। भारतवर्ष में औसत शिक्षा पर व्यय २९.७ प्रतिशत है। किन्तु उस पर कितना ध्यान दिया गया ? आज १९६८-६९ में यह हालत है कि २९.७, प्रतिशत से घटकर १९.८ प्रतिशत पर प्राइमरी शिक्षा का बजट आ गया है। जबकि और प्रदेशों में इस प्राइमरी शिक्षा पर बजट बढ़ा है। बिहार में २० प्रतिशत से ऊपर है, केरल में यह ३७ प्रतिशत है।

मैं कहता हूं कि इस प्रदेश का पिछड़ापन शिक्षा के कारण है और उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है जिससे कि यह स्थिति है। १९६७-६८ में ४१ परसेंट बजट का प्राइमरी शिक्षा पर लगा था इसके पूर्व ४८ प्रतिशत था। उसके बाद भारत के और सूबों को हम ले रहे हैं। २९.७ से उत्तर प्रदेश में १९.८ पर इस वक्त आ गया। केरल में ३७ प्रतिशत है, महाराष्ट्र में ३३ प्रतिशत है और आसाम में २७ प्रतिशत और बिहार में २० प्रतिशत से ऊपर है। यहां टाप हैवी एजूकेशन है, डिग्री कालेजेज जो हिन्दुस्तान में हैं उनका खर्च ३३३.३ प्रति छात्र है और उत्तर प्रदेश में वह ४१४.९ है। माम्यबर, यहां पर ११ विश्वविद्यालय हैं, २०८ डिग्री

[श्री दीपनारायण—]

कालेजेज हैं और दो विश्वविद्यालय और खोलने की बात हो रही है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मुझे पहाड़ के साथियों और अन्य साथियों जिनके क्षेत्रों में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता हो, डिग्री कालेज खुलें, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था कि यह दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। यह तो नहीं होना चाहिये कि यूनिवर्सिटीज खुलती जायं, कालेजेज बढ़ते जायं और प्राइमरी शिक्षा नीचे हटती जाय। यह हमारी बुद्धि के खिलाफ है और जितनी कमेटीज और कमीशन्स बैठी हैं उनकी रिपोर्ट्स के भी खिलाफ है। पारसाल "कोठारी आयोग" की रिपोर्ट आयी जिसमें शिक्षा के सभी अंगों पर प्रकाश डाला गया था। उसमें भी प्राइमरी शिक्षा पर बल दिया गया है। उसके पहले मुदालियर कमीशन आया था लेकिन उसकी रिपोर्ट पर भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने शिक्षकों और अध्यापकों के बारे में बहुत सी बातें कही थीं। डाक्टर राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट आयी और उसके पहले आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट १९४७–४८ में बेटर मैनेजमेंट के लिये आयी। इन सब की सिफारिशें क्या हैं? बराबर कमेटीज बनती गयीं और ज्यों ज्यों कमेटीज बनती गयीं त्यों-त्यों शिक्षा में कार्य दक्षता गिरती गयी। हम सब जानते हैं कि जब सरकार कुछ नहीं करना चाहती तब उसके लिये कमेटी बना दी जाती है। हम सब लोग प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले यहां बैठे हुये हैं लेकिन क्या हम कभी प्राइमरी शिक्षा जो प्रजातन्त्र की बुनियाद है उसके बारे में अधिक बल देने के लिये माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी पर जोर देते हैं।

माननीय सहायक जी ने अभी दो चार दिन हुये कानपुर में एक भाषण दिया था जिसे मैंने अखबारों में पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि वे शिक्षकों और शिक्षा की समस्या को शीघ्र से शीघ्र हल कर देंगे और अगर नहीं कर पायेंगे तो वे त्याग-पत्र दे देंगे। मैं उनको उनकी इस घोषणा के लिये बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा है कि उनको जो आलमारी मिली है उसका जब ताला उन्होंने खोला तो उसमें कुछ नहीं मिला है। मैं जानता हूं कि वह आलमारी डबल लाक की है। बड़ी ताली मुख्य मंत्री जी के पास है, उनकी केबिनेट के पास है। मैं उनकी घोषणा से तो संतुष्ट हुआ लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपनी घोषणा पर दृढ़ रहें और बड़ी ताली लाकर उस आल्मारी को ठीक से खोलें और जब तक वे बड़ी ताली से उसको नहीं खोलेंगे तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है।

शिक्षकों के लिये कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट पार साल दी थी सरकार ने उसको मान लिया है आयोग ने और गवर्नर महोदय ने भी जो केन्द्रीय सरकार की सिफारिश की थी उसमें भी यह कहा था कि १५० रुपये और ९८ रुपये जो महंगाई भत्ता मिलता है मिला कर २४८ रुपये प्रायमरी शिक्षक की तनख्वाह होनी चाहिये थी। लेकिन क्यों नहीं उसको पूरक बजट में डाला गया। पूरक बजट मूल बजट का एक तिहाई है। पूरक बजट तो डोमेस्टिक बजट की तरह से होता है। अगर १० रुपये के खर्चे के लिये १० सौ रुपये खर्चे को एंटीसिपेट करे तो वह घर दीवालिया हो जाता है। यही हालत आपके बजट की है, बड़े-बड़े आई० ए० एल० और फाइनेंस एक्सपर्ट्स हमारे बजट को एंटीसिपेट करते हैं और बजट का एक तिहाई और आधा तक अनुपूरक बजट हो जाता है यह बहुत दुःख की बात है। इसलिये जो तरीका है उसमें कहीं न कहीं खामी जरूर है और इसीलिये वे प्रापरली एंटीसिपेट नहीं कर पाते। वे प्रापरली समझ नहीं पाते इसीलिये फेल हो जाते हैं।

जहां तक शिक्षकों के वेतन की बात है, सरकार ने पहले तो उन्हें अन्तरिम जिला परिषदों और फिर जिला परिषदों के अधीन कर दिया और फिर ब्लाक को दिया। ये ब्लाक और जिला परिषदें जो शिक्षा के व्यापारी ठेकेदार से हैं वे शिक्षा को पता नहीं कहां ले जा चुके हैं। बदायूं के एक साथी ने कहा था कि बदायूं की जिला परिषद् के अध्यक्ष ने इसलिये ३७ अध्यापकों को मुअत्तल कर रखा है। मेरे मित्र शर्मा जी अभी कह रहे थे कि चुनाव में बी० के० डी० के लोगों ने क्या किया। मेरे मित्र अगर बदायूं की बात को गलत साबित कर दें तो चाहे जो

सजा दें दीजिये, मुझ से इस्तीफा भी ले लीजिये, मुझे एतराज नहीं होगा। लेकिन ३७ अध्यापकों को वहां इसलिये सजा मिली है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिये चुनाव कूपन्स नहीं बेंचे थे।

मान्यवर, यह अहम मामला दिल्ली जा चुका है और इस पर इन्क्वायरी बैठ चुकी है। और इस पर कार्यवाही करने के लिए विचार किया जा रहा है। बदायूं, नैनीताल, बरेली, और बनारस में ६-६ महीने का वेतन बाकी है। तीन महीने का वेतन तो लगभग हर जगह ही बाकी है। मैं अपने जिले देवरिया की हालत को बतलाऊं कि वहां पर २२, २३ हजार प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक हैं। जो जिला परिषद् का अध्यक्ष आकर उन की तनख्वाह एक रुपया भी अगर काटता है तो २२, २३ हजार रुपया हो गया। किसी ने गांधी स्मारक निधि का विचार किया या कोई दूसरी योजना रख दी तो उसने २, ३ लाख का इन्तजाम कर लिया। इस तरह से तमाशा हो रहा है। कूपन बेचकर ६०-७० हजार रुपया अध्यापकों की मारफत ले लिया गया। अध्यापकों से कह दिया कि यह तुम्हारा काम है। उसने भी सोचा कि चेयरमैन को खुश रखो, तो फिर सब काम हो जायगा। यह जो शिक्षा का तरीका है इस के विषय में सोचने की आवश्यकता है। इस के अन्दर राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। अगर राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो मानव के अन्दर की जो कमजोरी है उसको किस तरह से दूर किया जायगा। मैं चाहता हूं कि तत्काल इस प्राइमरी शिक्षा को सरकार अपने हाथ में लेकर अच्छा वेतन देकर इस को चलाये। जिस प्रकार से कान्वेंट में शिक्षा दी जाती है कि उनका स्तर किसी तरह से भी नहीं गिरा है, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से जो शिक्षा चल रही है उस में यह क्या तमाशा हो रहा है ?

आप हायर सेकेन्डरी की बात को देखें। इस विषय में बहुत से कमीशन बैठ चुके हैं। १९४७ के बाद आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी बनी जब कि सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा मन्त्री थे, १९५२ में। उस समय इन्टरमीडियेट एजुकेशन पर एक बिल बना जो सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और वहां से पास हो कर आया। उस कमेटी ने उस में बड़ी बड़ी स्कीम रखी थी लेकिन हाउस में वह नहीं आया। पता नहीं किन कारणों से या हाउस ने दिलचस्पी नहीं ली वह बिल यहां नहीं आ सका। शायद उस में कुछ खर्चा बढ़ने वाला था इस वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वह गिर गया। उसके बाद श्री कमलापति जी त्रिपाठी १९५७ में शिक्षा मन्त्री हुये। उन्होंने इन्टरमीडियेट अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५८ में पास कराया। उस ऐक्ट में ऐसी खामियां थीं कि जो पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता था। मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं था। आरबिट्रेशन कहता है कि इतने दिनों में वेतन दिया जायगा। फिर मैनेजर हाई कोर्ट में चला जाता है तो वहां पर ५, ५, वर्ष लग जाते हैं। वहां पर समय अधिक लग जाता है और अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पाता है। वह परेशान रहता है। इस तरह की दिक्कतें हैं।

युनिवर्सिटी के विषय में निवेदन करूं। गोरखपुर यनिवर्सिटी के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी, लखनऊ यनिवर्सिटी, गोरखपुर युनिवर्सिटी के लिए इस अनपूरक बजट में साढ़े १० लाख, १० लाख और ६ लाख ९५ हजार की सहाय ा इन विश्वविद्यालयों को दी जा रही है। हमारे साथियों ने भी कहा कि यह सहायता दी जा रही है अच्छी बात है। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिये। जांच क्यों नहीं होती है कि इस तरह से क्यों खर्च हो रहा है ? यह खर्चा इसी लिए ज्यादा हो रहा है कि वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हेवी है। अगर पैसा दिया जाता है तो उस के हिसाब से इलाहाबाद युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की तनख्वाह १,५०० हो गयी। अपने आप तनख्वाह बढ़ गयी। वाइस चांसलर (Vice Chancellor) पद के लिए ४, ४, नाम भेजे गये हैं। प्रिफरेंस की गोपनीयता है। जब इस तरह से प्रिफरेंस प्रगट रहता हो तो फिर किस तरह से यह शिक्षा चलेगी ? गोरखपुर विश्वविद्यालय के वही वायस चांसलर हुये जिन्होंने वि० वि० का विरोध किया था। वह चार वर्ष तक वायस चांसलर रहे। इस तरह की खामियां हैं। इस लिए मैंने बताया कि यह सारी दिक्कतें हैं। मेरा निवेदन यही है कि युनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी शिक्षा तक के अध्यापकों की यही हालत है उस में सुधार किया जाय।

[श्री दीप नारायण—]

अब मैं देवरिया की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक है गंडक योजना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा फाइनेंस्ड है और ५.२ करोड़ से ६२ करोड़ हो गयी है। उस में १९६० में एलाइनमेंट बना था। उस से देवरिया के आधे जिले को सींचने की योजना है। आज ९ वर्ष हो गये, पटेल कमेटी आयी, क्रैश प्रोग्राम आया, बहुत से टघूबवेल सरकारी भी बनाये गये और यह नहर काटती हुई उधर से आती है, हजारों आदमी परेशान हो रहे हैं। लोकल लेविल पर इंजीनियर लोग कहते हैं कि इस में परिवर्तन नहीं हो सकता है। बड़ी भारी समस्या है। तो मैं सिंचाई मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ९ वर्ष हो गये एलाइन्मेंट हुये, बड़े-बड़े परिवर्तन हो गये हैं, इस लिए उस के अनुसार उस ऐलाइनमेंट को ठीक करायें तो किसानों को लाभ हो।

गन्ने की बात कहना चाहता हूं, हमारे साथियों ने भी कही। गन्ने के दाम कैसे बढ़ें? जो भी हो, पर देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के किसानों को गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही हैं और वहां का गन्ना अधिकारी १० रुपये से १०० रुपये तक कटौती कर के कोई फण्ड इकट्ठा कर रहा है, तब पर्चियां देता है। ६ गाड़ियों तक किसान को एक पर्ची नहीं मिली है। एक महीना गन्ना लेट पेरना दिसम्बर में शुरू हुआ। ३ महीने हो गये, वहां की क्लाइमेटिक कन्डीशन्स और स्वायल कन्डीशन्स ऐसी हैं कि मार्च के बाद गन्ने को वह जमीन सुखा देगी और वह सूख रहा है। २४ मिलें हैं उधर की और एक ही इन्डस्ट्री यह वहां रह गयी है। जो किसानों की बैकबोन है फाइनेंस की, वह टूट चुकी है और टूट रही है और सरकार मौन है। कृषि मन्त्री वहां गये थे, एक डेपुटेशन उन से मिला, पर उन्होंने कोई तवज्जह नहीं की और किसान चिल्ला रहा है। मैं पुनः सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मान्यवर, इस समस्या का समाधान सरकार निकाले।

श्री डूंगरसिंह (जिला नैनीताल)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा इस हाउस में जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह निश्चित बात है कि जब सरकार विकास का काम करेगी और देश के उत्थान के लिए चलेगी तो विकास के कामों में अधिक से अधिक रुपया खर्च करने की कोशिश करेगी उस के लिए टैक्स भी लगाये जायेंगे, यह भी निश्चित है। सिंचाई मन्त्री ने सिंचाई और पुल की योजना में खासकर जो थोड़ा खर्चा किया है वह बहुत सोच-समझ कर कर किया है। पुलियों की योजना में ८ पुल बने हुये हैं और नैनीताल जिले में एक पुलिया चांपी पुर—बदरपुर मार्ग पर जिसकी मांग १० वर्ष से चली आ रही है, उसका आयोजन किया गया है। इस पुलिया के बनने से मोटर मार्ग का रास्ता हमेशा के लिए खुल जायेगा और सीमावर्ती इलाकों को भी इस से लाभ पहुंचेगा। मैं इस के लिए माननीय वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। सिंचाई के सम्बन्ध में भी जो भी योजनायें चलाने का निर्णय लिया गया है उस के लिए भी मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इस के अतिरिक्त मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां नैनीताल जिले में लिफ्ट इरिगेशन की बहुत आवश्यकता है। खटीमा का जो क्षेत्र है वह अधिष्ठाता महोदय, बहुत ही उपजाऊ है। वहां चौरस मैदान है। शारदा नदी के किनारे सारी आबादी है, किन्तु वह नदी इतनी ज्यादा गहरी है कि उस से कोई नहर नहीं निकाली जा सकती है। इसलिए वहां पर लिफ्ट इरिगेशन की बहुत जरूरत है। अगर वहां पर इसका प्रबन्ध कर दिया जाय तो वहां हजारों मन गल्ला पैदा हो सकेगा।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने स्कूलों के लिए पर्याप्त धन खर्च करने की व्यवस्था की है, किन्तु जो हमारे पर्वतीय जिले हैं वहां पर और अधिक कार्य करने की जरूरत है। वहां के लिए अधिक धन व्यय करने की जरूरत है। हमारे यहां जिला परिषदों की आय के साधन बहुत कम हैं। वह आर्थिक संकट में हैं। नैनीताल जिला परिषद् ने पिछले ८—१० सालों

से बराबर सरकार को लिखा कि वहां की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपाय खोजने की कृपा की जाय। नैनीताल जिला परिषद् को सब से ज्यादा आमदनी सेस से होती है। इस समय करीब ८० हजार रुपया उस से मिलता है। यह १८ प्रतिशत के हिसाब से मिलता है। सन् ५६—६० के बीच जो सेटिलमेंट हुआ उस में जमीन का लगान वगैरह सभी बढ़ गया, लेकिन सेस का जो रुपया जिला परिषद् को सन् ४० में मिलता था, वही आज भी मिल रहा है। जितना लैन्ड रेवेन्यू बढ़ाया गया है, उसी हिसाब से सेस की रकम भी बढ़ा कर दी जानी चाहियें, यह उचित मांग है और इस को माननीय वित्त मन्त्री महोदय को स्वीकार करना चाहिये। अभी वहां शिष्टमंडल कल ही माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय नियोजन मन्त्री से मिला भी था। उसने वहां के सारे आंकड़े प्रस्तुत किये। उस हिसाब से पौने तीन लाख रुपये की आवश्यकता है।

इसके अलावा जिला परिषदों के अध्यापकों का समय से रुपया नहीं मिल पा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र की जिला परिषदों की आय के साधन कम होने से न तो अध्यापकों को समय से वेतन ही मिल पा रहा है, न निर्माण के कार्य ही हो पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

महोदय, जहां तक यातायात के साधनों का मामला है, मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री महोदय, यातायात विभाग से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जबतक आवागमन के साधन सुलभ नहीं हो जाते तब तक पर्वतीय प्रदेश का उद्धार नहीं हो सकता। जो भी एग्रीकलचरल प्रोडक्शन हम करते हैं कृषि की उत्पादन की जितनी चीजें, चाहे वह फल हों, अनाज या आलू हों वे ठीक तरह से बाजार में नहीं आ सकतीं और न ही उन की बिक्री हो पाती है और न ही उचित रूप से उनका मूल्य मिल पाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यातायात को सुलभ करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में अधिक से अधिक धन, आने वाले साल में खर्च करने की कृपा की जाय। पर्वतीय प्रदेश में जल संकट की तरफ भी मैं आप के माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय प्रदेश के हजारों हजारों स्थान हैं जहां पर लोग गर्मी के दिनों में चार चार मील जाकर गहराई से घोड़ों पर पानी लाते हैं और इस तरह से वहां पानी का साधन बन पाता है।

वित्त मन्त्री महोदय ने पानी की योजना पर भी काफी रुपया खर्च किया है जैसे टेहरी-गढ़वाल, चमोली और पिथौरागढ़ में। मगर जिन माननीय सदस्यों ने पर्वतीय प्रदेशों को अच्छी तरह से देखा है वे जानते हैं कि पर्वतीय प्रदेश के एक गांव में भी लाखों रुपया खर्च करने पर पानी की सुविधा नहीं प्राप्त हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि पानी, सड़क, शिक्षा ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं माननीय मंत्रियों के विभिन्न विभागों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय तुरन्त ही सुविधायें दिलाने के लिए कदम उठाने की कृपा करेंगे। मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान नानक सागर डैम की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। जहां पर कर्मचारी वर्ग की लापरवाही से, थोड़ी सी सूझ-बूझ न होने से सैकड़ों आदमियों की जानें गयीं, सैकड़ों एकड़ जमीन समाप्त हो गयी। संविद सरकार का जमाना था। माननीय मन्त्री महोदय के आने की कोई तिथि थी, बरसात का मौका था, वहां पर यह कहा गया था कि एक छोटे कर्मचारी ने यह कहा कि बरसात के मौके में पानी सागर में बिन्दु से आगे निकल गया है और अब खतरा है, डैम बह जायेगा। कहा यह गया कि मन्त्री महोदय का दौरा है, लबालब भर जाने दीजिये। उसका नतीजा यह हुआ कि सागर का किनारा टूट गया और उस के टूट जाने से १८–१९ गांव नैनीताल के और २५–३० गांव पीलीभीत के बह गये। सारी जमीन रेगिस्तान हो गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन गांवों को और उन गांवों के द्वारा बरबाद हुये व्यक्तियों को आज तक किसी तरह से राहत देने की कोशिश नहीं की गयी है। उस जमाने में हमारे क्षेत्र से चुने हुये माननीय सदस्य यहां आये थे और सौभाग्य से इस सरकार के माननीय मन्त्री भी थे। माननीय मन्त्री महोदय से वहां के लोगों ने यह निवेदन किया, तो माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस तरह

[श्री डूंगर सिंह]

के डैम तो बहुत से टूट जाते हैं, किन-किन को राहत मिलती है ? नतीजा यह रहा कि आज तक उन गरीब बेचारों को किसी प्रकार की भी राहत नहीं दी गयी, न जमीन उपलब्ध करायी गयी और न किसी तरह से अन्न आदि की सुविधा दी गयी है । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से इस बात का निवेदन करूंगा आप के द्वारा कि इस बात की तुरन्त जांच की जाय कि किस के कसूर से इतना बड़ा भारी नुकसान हुआ । करोड़ों रुपये सरकार के खजाने से खर्च हुए और सैकड़ों आदमियों की जानें गयीं । मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय अवश्य ही इस मांग पर ध्यान देने की कृपा करेंगे । इधर हमारे पर्वतीय प्रदेश की बागवानी से भी आमदनी का माध्यम साधन रहा है ।

पहाड़ों में सब से पहला जरिया बागबानी का गिना जाता है । १५-२ साल से हम पहाड़ी इलाके के लोग सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि उद्यान विकास विभाग का अलग विभाग खोला जाय और कम से कम एक उपमन्त्री के स्तर के मन्त्री को वह विभाग सौंपा जाय । इसी प्रकार से इस विभाग का ठीक प्रकार से संचालन हो सकता है । लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया । अभी तक तो ऐग्रीकलचर डायरेक्टोरेट में फ्रूट यूटिलाइजेशन का विभाग खोल दिया गया है जिस को न कुछ अधिकार हैं और न उस के पास रुपया ही है । मैं कृषि विभाग से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार संस्तुति सरकार को पेश करें जिस से हम पर्वतीय जिलों के लोगों को बागबानी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके । हिमांचल प्रदेश में हमारे यहां से पीछे यह कार्य प्रारम्भ किया गया था लेकिन वे लोग हम से बहुत आगे निकल गये हैं क्योंकि उन की अपनी सरकार है, उन के अपने साधन हैं । वे बागबानी के लिए हर प्रकार के साधन सुलभ कराते हैं । वहां यातायात का बड़ा अच्छा प्रबन्ध है । लेकिन आप के यहां बहुत से ऐसे स्थान हैं कुमायूं डिवीजन में, जहां बड़े बड़े बगीचे हैं और बड़ी भारी तादाद में सेब का उत्पादन होता है, लेकिन यातायात आदि में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि जो बगीचा २० हजार में बिकना चाहिये वह ५ हजार में ही बिकता है । सारा पैसा वैसे ही खर्च हो जाता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पर्वतीय प्रदेशों में बागबानी की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । इस के अतिरिक्त पंतनगर में तथा और ऐग्रीकलचर कालेजों में बागबानी का डिप्लोमा कोर्स भी चालू किया जाय, ताकि वहां के निकले हुये विद्यार्थी पर्वतीय क्षेत्र की विशेष रूप से सेवा कर सकें । अन्त में मैं, अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया ।

(श्री विजयबहादुरसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी)---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे शिकायत है कि कम्युनिस्ट पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

श्रीमन्, जो आदमी वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें को मौका दिया जाता है । हम लोगों को भी मौका देने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना स्थान ग्रहण करें । इस के लिए आप स्पीकर साहब से उनके कमरे में मिल लें कि किस पार्टी को कितना समय बोलने के लिए दिया जाय । सदन में इसका फैसला नहीं हो सकता । पार्टियों के चीफ व्हिप रूर गाइड करते है लेकिन जिन माननीय सदस्य पर चेयर की निगाह पड़ जाती है, उसको मौका दिया जाता है ।

*श्री विजयबहादुरसिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार की ओर से जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उसकी आलोचना करते हुये मैं मांग करता हूं कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट से न तो जनता को ही राहत मिली है, न गरीबों को ही राहत मिली है और न किसानों को ही मिली है और न मेहनतकश लोगों को ही कोई राहत मिली है। मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए इस बजट में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

इस समय मैं एक ऐसे जनपद की चर्चा करना चाहता हूं जिस की जन-संख्या १३ लाख के करीब है। मिर्जापुर के ऊपर अकाल की छाया मंडरा रही है। वहां के लोग अन्न के कारण से ही परेशान नहीं हैं, बल्कि उनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। १३ लाख जनता के पास खाने को अनाज नहीं है और उन के पास पानी पीने का भी कोई साधन नहीं है। मैं सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं। और साथ ही साथ सरकारी पक्ष का भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और मुझे दुख है कि यह जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है इस में हमारा जो एक पिछड़ा पहाड़ी मिर्जापुर का एक जनपद है, जहां की आबादी १३ लाख की है, और जहां की जनता आज अकाल के कगार पर खड़ी है, पानी तक के लिए जहां जनता त्राहि त्राहि कर रही है, जहां मौत की छाया पानी और खाने के बिना सिर पर मंडराती है वहां अगर आप जाकर देखें कि झोपड़ियों में खान नहीं है और खाने बिना गांव के गांव खाली हो गया हैं और पूरे ३०० वर्गमील के इस क्षेत्र में एक भी पशु नहीं रह गया है। आप जाकर देखें तो दूर तक गांव के गांव खाली और वीरान हो गये हैं। वहां की जनता नगरों की या दूसरे प्रदेशों की तरफ खाने की तलाश में निकल कर भाग गयी है, लेकिन दुख है कि मिर्जापुर जनपद के लिए इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं वहां की स्थिति को जाकर देखा है और माननीय राजस्व मन्त्री जी ने भी देखा लेकिन वहां की स्थिति देखने के बाद भी कोई धन इस अनुपूरक बजट में वहां के लिए नहीं रखा गया है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है कि वहां पर तत्काल त्रसित और दुखी लोगों के लिए कोई राहत पहुंचती।

मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि मिर्जापुर जनपद के लिए यह अकाल कोई नई चीज नहीं है। सन् १९०७—८ में भी वहां अकाल पड़ा था और उस समय यहां अंग्रेजी शासन था। उस समय की सरकार ने उस अकाल के समय वहां १८ लाख रुपया खर्च किया था। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस समय वस्तुओं की क्या कीमत रही होगी और १८ लाख रुपया जो राहत पर व्यय किया गया था उस का मूल्य क्या रहा होगा। सन् १९०७-८ में १८ लाख रुपया कुछ माने रखता होगा। लेकिन आज जब उस से भी भयंकर अकाल ६५—६६ में पड़ा और इस ६६—६७ में क्या दशा वहां की जनता की हुई, यह हम जानते हैं लकिन हमें दुख है कि अधिकारियों ने बराबर तथ्यों को छिपाया और कहते रहे कि वहां भूख से मौत नहीं हुई। लेकिन वस्तुस्थिति और ही थी, वस्तुतः यह अकाल पिछले अकाल से भी भयंकर था और यह इस से साबित है कि जिला अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दीं उन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन के अनुसार सन् ६८ में जो वर्षा हुई वह १६.८९ इंच थी और सन् १९६६ में भयंकर अकाल था तो १९ इंच वर्षा थी जो कि ३ इंच कम थी। जिले के अधिकारियों ने लिखा कि यह ६८ का अकाल सन् ६५ से सन् ६७ तक के अकालों से भयंकर है लेकिन अफसोस है कि कोई ठोस योजना वहां के लिए नहीं बनायी गयी। मैं यह आगाह कर देना चाहता हूं कि ६५ से ६७ तक हालत जो रही वह रही, लेकिन अब जो ६८ के अकाल की स्थिति है वह ऐसी है कि जिस में निश्चित ही मौतें होंगी, भूख से ही नहीं पानी की प्यास से भी मौतें होंगी। पानी पीने तक के साधन हमारे मिर्जापुर में नहीं है और सरकारी पक्ष की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और न अनुपूरक बजट में उसका कोई प्राविधान किया गया है। मेरा निवेदन है कि यदि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय बहादुर सिंह]

होते तो उनके सामने में एक दस्तावेज उपस्थित करता लेकिन हमारे पड़ोस के जिले के माननीय उप मुख्य मंत्री जी यहां हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि उनके यहां चकिया में ग्राम ओझ में दुखिया की मौत हुई या नहीं और वह जानते होंगे कि उनके वहां भूख और पानी की कमी के कारण कितने आदमी और जानवर मरे हैं और कितने लोग गांव छोड़कर बाहर चले गये हैं। आज जिला मिर्जापुर एक भयंकर स्थिति में है, हमने वहां की जनता की ओर से जिला अधिकारियों और माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने प्रार्थनायें उपस्थित कीं और मांगें रखीं और कहा कि अकाल पीड़ितों को समय रहते राहत दी जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, न इस अनुपूरक बजट में ही कोई प्राविधान किया गया है।

वहां पर एक सोन नदी है। अगर उस पर एक ५ या ६ करोड़ की योजना बना ली जाय तो उससे जो निरन्तर बहती रहती है इलाहाबाद और बनारस के गांवों सिंचाई हो सकती है। इससे मिर्जापुर के जनपद में भी सिंचाई हो सकती है। मिर्जापुर जनपद और हमारा जिला अकालग्रस्त है। किसी को खाने की नौबत नहीं आती। इस कार्य के लिये सरकार ने २२ करोड़ रुपया तक खर्च किया है। लेकिन अगर आप उसकी विस्तृत डिटेल देखें तो आप पायेंगे कि आधे से अधिक रुपया वहां के अधिकारियों या मंत्रियों के दौरों में खर्च हुआ है।

१८८३ में अंग्रेजों के जमाने में एक फेमीन कोड बना था। आज भी वह लागू है। १९५२ में कुछ संशोधन किये गये हैं। कहा जाता है कि टेस्ट वर्क खोल दिये गये हैं लेकिन आप देखिये कि वहां पर एक मजदूर को १०० या ६० नये पैसे मजदूरी के उन टेस्ट वर्क्स में मिलते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि इस एक रुपये या ६० नये पैसे में एक मनुष्य का जिसका एक परिवार भी होता है कैसे गुजर हो सकता है। मेरी कांग्रेस सरकार से यह भी चुनौती है कि आप मिर्जापुर जनपद में चलें और देखें कि वहां पर क्या हालत है। क्या वहां पर भूख से मौतें नहीं हो रही हैं? यह भी वहां पर देखा जाय कि वहां पर पानी है अथवा नहीं। अगर आप मिर्जापुर से राबर्टसगंज होते हुये दुद्धी की ओर चलें तो आप देखेंगे कि सड़कों के किनारों पर नन्हें मुन्ने बच्चे, औरतें और बूढी औरतें पात्र लिये हुये जाने वालों से पानी की भीख मांगती हैं लेकिन दुःख है कि हमारे मुख्य मंत्री जो उसी इलाके से आते हैं और जो सिंचाई एवं विद्युत् के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस संबंध में इस बजट में कोई प्राविधान नहीं कराया है कि जिससे उस क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की राहत मिल सके। इस जनपद में १३ लाख व्यक्तियों का प्रश्न है।

अब मैं सरकार का और विशेष रूप से अपने स्वशासन मंत्री का ध्यान नगर की समस्याओं की ओर ले जाता हूं। मिर्जापुर में जिस जलाशय से पीने के लिये पानी आता है वह नगर ११ मील की दूरी पर है। वह बिलकुल सूख गया है। जब वहां पर जो पाइप लाइन लगी है वह वहां पर जो पाइप लाइन लगी है वह १९१६ की बनी है इसके लिये साढ़े ११ लाख की मांग की गयी है लेकिन बजट में देखता हूं कि इस कार्य के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। आज मिर्जापुर जनपद के लिये मैं पूछना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिका जनपद के लिये कुछ पानी के लिये दिया जायगा या नहीं? श्रम मंत्री यहां नहीं हैं लेकिन आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि बड़ी खुशी की बात है केन्द्र में बिरला बन्धुओं की जांच हुई। काश जांच न्यायसंगत होती! हजारों मजदूर गन्दी बस्तियों झोपड़ियों में रह रहे हैं। उनके रहने के लिये कोई क्वार्टर नहीं हैं। रेनकोट में चलकर देखें कि किस तरह से वे मजदूर दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी दशा को देखें, समझें और बूझें।

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन पर मजदूरों की छटनी की जा रही है और उनसे उनकी रोजी व रोटी छीनी जा रही है। मिर्जापुर में चुर्क सीमेंट फैक्टरी है लेकिन सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है। मैं श्रम मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह मेरे पास चलकर इस बात की जांच पड़ताल करें कि रेनकोट के मजदूर झोपड़ों में रह कर किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। पानी का संकट, अकाल का संकट वहां है।

स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि मेडिकल जुरिसप्रुडेंस में जरा भूख से मौत की व्यवस्था का प्राविधान करा दें। मिर्जापुर जनपद में प्रति दिन भूख से मौतें हो रही हैं। आज भूख व गरीबी ने मिर्जापुर जनपद को इस तरह से दबोच रखा है जिस से विवश होकर रैनकोट में ६-६ वर्ष की लड़कियां व लड़के बाजार में लाये जाते हैं और ५० रुपये में गरीबी के कारण बेच दिये जाते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिये तैयार हूं कि ग्राम बोझ, तहसील चकियां, जिला वाराणसी में औरत गुलाबो की मौत भूख से हो गयी और ओबरा, तुर्रा, रैनकोट में ५, ६ वर्ष के लड़के व लड़कियां बेचे जाते हैं। यदि यह झठ साबित हो जाय तो मैं फिर इस सदन में कभी नहीं आऊंगा और अपने जनपद में ही रह कर वहां की जनता की सेवा करूंगा।

*श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के सामने वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक मांगें रखी हैं उनके संबंध में यह कहना चाहूंगा कि जिस सूझबूझ से उन्होंने सारी समस्याओं के बारे अनुपूरक मांगों को रखा है वह सराहनीय है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों, हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापको या और भी डिग्री कालिजों के जो अध्यापक हैं उनके बारे में भी जो आशायें उनको दिलायी गयी हैं वह इस बात का सबूत है कि यह लोकतांत्रिक सरकार उनकी समस्याओं से परिचित है और उनके लिये कुछ करने को कटिबद्ध है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली संविद सरकार ने जब ऐसी परिच्थितियां पैदा कर दीं कि उनके लिये स्ट्राइक पैदा के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान इस मौजूदा सरकार ने किया है जो सचमुच सराहनीय है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें कही गयी हैं जिनके बारे दो रायें नहीं हो सकती जैसे पानी, बिजली, सड़क, घर और खाद की समस्या का समाधान करना लेकिन इनके साथ जो मांगें हैं उनके बारे में जब तक हम और आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि आखिर यह धन कहां से आयेगा और हम ऐसी व्यवस्था नहीं करते कि जो धन आ रहा है उस का सही-सही उपयोग हो तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

हमारी पुरानी संविद की सरकार ने जितने कानून बनाये आज उन्हीं कानूनों के बारे में जब आज वह विरोध पक्ष म बैठकर बातें कहते हैं तो उनको सुनकर कभी-कभी हंसी भी आती है। कैसे बिजली के बारे म जो कानून उन्होंने बनाया उससे यह हुआ कि नलकूप लगाने वाले को १६-१७ हजार रुपये देने पड़ते थे। नतीजा यह हुआ कि पूर्वी जिलों के किसान जिनके पास धन नहीं था वे इतना रुपया साढ़े तीन परसेंट सूद पर कहां से जमा कर सकते थे इसलिये उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि चुप करके बैठे और जो पंपिंग सेट वगैरह खरीदे थे वह बेकार पड़े रहे। नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी जिलों के काश्तकारों ने उसका उपयोग किया क्योंकि उनके पास धन था। क्या यह साबित नहीं करता कि इस कानून बनाने का लक्ष्य यह रहा हो कि पूर्वी जिलों के लोग जो गरीबी में मर रहे हैं उनको और परेशान करके पश्चिमी जिलों के काश्तकारों की मदद की जाय? इतना ही नहीं, जो छूट लाइन के बारे में पुरानी कांग्रेस सरकार ने दी थी वह भी संविद सरकार ने खत्म कर दी और ६ हजार से ऊपर का सारा खर्च किसान को देना पड़ता था जबकि लाइन का खर्च कहीं-कहीं १३ हजार रुपये तक हो गया।

इसके अलावा जो खादें मिलीं वह सब की सब नकद पैसों पर मिलीं और कहा गया कि किसी भी सूरत में सुधार न दी जायं। उन्नतिशील बीजों के बारे में भी ऐसी और शर्तें लगा दी गयीं कि जिस से बड़े-बड़े काश्तकारों को ही उस से लाभ मिल सका और छोटे काश्तकारों को बीज नहीं मिल सका। जब संविद की सरकार थी तो उन्होंने ऐसे कानून बनाये और आज विरोध में बैठकर जब ऐसी बातें करते हैं तो कभी-कभी हंसी आती है। क्या मैं यह समझूं कि वही लोग जब ट्रेजरी बेंचेज पर बैठते हैं तो कुछ कहते हैं और जब विरोधी पक्षमें बैठते हैं तो कुछ कहते हैं? मनजी ने चैलेंज भी किया कि देवरिया जिले में जा कर देखें और कृष्णचन्द्रशर्मा जी ने जो चैलेन्ज किया उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। अगर प्रजातंत्र में सही चुनाव हुआ होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पांडेय]

और गरीब मजदूरों और हरिजनों को न रोका गया होता तो आज जो बी०के० डी० के सदस्य चुन कर आये हैं शायद उनकी तादाद ३५ से ज्यादा न होती । यही नहीं एस०एस०पी० के मेम्बर्स ने और उनके प्रेसीडेन्ट ने यह तसलीम किया है कि उनके साथ ज्यादती की गयी है ।

मैं यह नहीं सोच पाता हूं कि कानून की व्यवस्था के नाम पर जो ये विभागों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कहां तक ठीक है । अगर इनकी बात मानी जाय तो जिला परिषदों तोड़ दिया जाय, म्युनिसिपैलिटीज और जितने विभाग हैं उन सबको तोड़ दिया जाय । माननीय नेता विरोधी दल जब कांग्रेस में थे तो कंसालिडेशन का काम उन्हीं के जमाने में हुआ था । जो भ्रष्टाचार का नमूना इस विभाग में देखने को मिला क्या वह किसी और विभाग में देखा गया ? क्या जाहिर नहीं करता है कि जब वे ट्रेजरी बेंच पर बैठते हैं तो सरकारी अधिकारियों की मदद करते हैं और जब दूसरी तरफ बैठते हैं तो भ्रष्टाचार का नारा लगाते हैं ? कंसालिडेशन के काम में जिन अधिकारियों ने पैसा कमाया क्या उनका तबादला किया गया या उनको डिसमिस किया किया गया ? इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट ने जो ज्यादती की उसकी मिसाल नहीं मिलेगी । एक सी०आई०डी० के सिपाही को अधिकार दिया गया कि वह हाईकोर्ट के जजेज की निगरानी करे और उनके कंडक्ट की रिपोर्ट सरकार को करे । यह वह जमाना था कि अगर इसको पुलिस राज्य की संज्ञा दी जाय गलत नहीं होगा । अगर एक मामूली सिपाही की इतनी हैसियत बढ़ा दी जायगी तो लोकतंत्र व्यवस्था कैसे चल सकेगी ।

मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि संविद सरकार ने ट्यूबवेल्स के बारे में कानून नहीं बनाया । अगर गरीब काश्तकार हैं और उनके ज्वाइंट खाते में दस एकड़ जमीन हो तो वे ट्यूबवेल बना सकते हैं । इसके लिये पहले भी रूल था । अगर इस तरह का नियम न हो तो बनाया जाय कि दो ढाई एकड़ के काश्तकार भी ट्यूबवेव बना सकें । संविद सरकार ने ५ एकड़ के लिये किया लेकिन छूट इतनी कम थी कि ८ हजार रुपये खर्च करके पूरब के गरीब किसान ट्यूबवेल नहीं लगवा सकते थे । तो जो कानून बने हैं वे पश्चिमी जिले के काश्तकारों की भलाई के लिये ही बनाये गये हैं ।

आज जिला परिषद् के अध्यापकों के वेतन के बारे में शिकायत की जाती है लेकिन जिला परिषदों का कार्य सराहनीय है । धन की कमी के कारण दुरव्यवस्था हो सकती है । इसका इंतजाम होना चाहिये । उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है और १५/२० लाख के घाटे का उनका बजट रहता है । आपने यह कर दिया कि एक पैसे के घाटे के बजट को भी स्वीकार नहीं किया जायेगा । इसका नतीजा यह हुआ कि पहले उसको पूरा किया जाता है । इसके लिये जिला परिषदों का दोष नहीं है बल्कि अनुदान की रकम कम होने का दोष है । अगर अनुदान को बढ़ा दिया जायगा तो उनके कार्य में तरक्की हो सकती है और टीचर्स का उत्थान हो सकता है ।

मेरे मित्रों ने कहा कि स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कम रकम रखी गई है । एक तरफ तो आप मांग करते हैं कि अस्पताल बढ़ाये जायं, पीने का पानी का इन्तजाम हो, शिक्षा को बढ़ाया जाय वगैरह और जब दूसरी १७५करोड़ रुपये के घाटे की बात आई और टैक्सेज की बात सोची जा रही तो यह सवाल पैदा होता है कि टैक्स के नाम पर विरोधी दल के लोग गांवों में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि कांग्रेस सरकार तो केवल टैक्स लगाना ही जानती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके लिये पानी की व्यवस्था, अस्पतालों और स्कूलों को खोलने के लिये अगर टैक्स नहीं लगाये जायेंगे तो पैसा कहां से आयेगा? स्कूल और कालेजों के अध्यापकों को अच्छी तनख्वाह कैसे दी जा सकती है ? लोगों को उभाड़ने का काम चाहे जनता में हो, चाहे फैक्टरियों में हो, चाहे जिस फील्ड में काम करने वाले श्रमिकों में हो उनको उभाड़ने का काम हमारे विरोधी पक्ष के नेता करते हैं । जब उनकी मांग उनको कुछ दिलवाने के बारे में होती है तब वे सरकार से

कहते हैं कि उनकी मांगें उचित हैं और वह उनको मिलनी चाहिये। यह इस बात का सबूत है कि जहां तक लोकतांत्रिक ढांचे का प्रश्न है उसके लिये यह नियम है कि अगर विरोधी पक्ष की बात सही हो तो ट्रेजरी बेंच का फर्ज है कि वह उसकी बात को माने और विरोधी पक्ष का भी यह फर्ज है कि अगर ट्रेजरी बेंच कोई सही बात कहता है और उसमें तथ्य है तो वह भी उसको माने। अगर इस तथ्य को मानकर ट्रेजरी बेंच और विरोधी पक्ष के लोग कार्य करते तो यह समस्या सामने नहीं आती कि इस अनुपूरक अनुदान के ऊपर इतनी लम्बी चौड़ी बहस होती। ५९ करोड़ ९६ लाख रुपये की जो अनुपूरक मांग पेश की गयी है वह इस बात का द्योतक है कि गवर्नर राज्य में जो प्लानिंग कमीशन या कमेटियां थीं उन्होंने अदूरदर्शिता से काम किया जिससे एक-ब-एक इतनी तमाम समस्यायें हमारे सामने आ गयीं। जहां तक इस अनुपूरक बजट के द्वारा जनता की सारी आशाओं और आकांक्षाओं के पूरा करने की बात है मैं समझता हूं कि सारी आशायें व आकांक्षायें सैकड़ों वर्ष में भी पूरी नहीं हो पायेंगी। चाहे कोई भी सरकार हो, संविद की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो वह उसको पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकेगी जब तक कि उसके पास उनको पूरा करने के लिये अधिक से अधिक धन जनता से न मिले। मुझे आशा है कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुये इस अनुपूरक बजट को पास किया जायेगा।

जहां तक ला ऐंड आर्डर की बात है, उसका इस अनुपूरक बजट से कोई संबंध नहीं है लेकिन इस अनुपूरक बजट पर बोलते हुये किसी भी मित्र ने यह नहीं कहा कि फलां जगह मिस्यूज आफ फंड हुआ है और यह जो पैसा मांगा जा रहा है वह क्यों मांगा जा रहा है। जबकि इससे कम पैसे में ही काम चल सकता है। यह इस बात का द्योतक कि जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है वह अपनी जगह सही है। इसलिये मैं बड़े जोरदार शब्दों में इस हाउस से सिफारिश करूंगा कि जिस तरीके से यह अनुपूरक मांग रखी गयी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सब लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिये और इस अनुपूरक मांग को पास करना चाहिये तथा दोनों पक्षों को जनता से आग्रह करना चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में दे ताकि अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो १७५ करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है, जिसका संकेत गवर्नर महोदय ने अपने सम्बोधन में भी किया है, वह पूरा हो सके ताकि हमारा पिछड़ा प्रदेश आगे बढ़ सके। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यह प्रदेश पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश के और प्रदेश के मुकाबले में बहुत पिछड़ा हुआ है, उनसे हजारों, करोड़ों रुपये पिछड़ा है। इस पिछड़ेपन का विशेष कारण यह है कि अब तक जितने भी प्रधान मंत्री हुये वे इसी प्रदेश के हुये, और जब भी प्रदेश की कोई मांग आयी तो इस ख्याल से कि उन्हें कोई बेईमान न कहें पहले उन्होंने दूसरे प्रदेशों की ओर ध्यान दिया। यह इस बात का सबूत है कि कांग्रेस के नेताओं ने तमाम देश को सामने रखते हुये इस प्रदेश की सेवा की है, यहां के किसानों और मजदूरों की सेवा की है और उससे इस प्रदेश की प्रगति हुई है। भले ही इस प्रदेश की उतनी प्रगति न हुई हो जितनी कि होनी चाहिये, लेकिन दोनों पक्षों के सहयोग से इस प्रगति को आगे बढ़ाया जा सकता है।

जहां तक पर कैपिटा इन्कम के बढ़ने की बात विरोधी पक्ष ने कही है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई सरकार अकेले इस कार्य को कर सकती है। दुनिया के किसी देश की पर कैपिटा इनकम तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसकी आबादी के ऊपर कंट्रोल न हो। आज भी विरोधी पक्ष में कुछ ऐसे दल हैं जो इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि फेमली प्लानिंग के द्वारा आबादी को कंट्रोल किया जाय। जितने भी पहले के इतिहास हैं वे इस बात को जाहिर करते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि जनसंख्या कम हो। पहले जब जनसंख्या कम थी तो पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा थी। पर कैपिटा इनकम तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि प्लानिंग के तरीके से आपरेशन वगैरह करके जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया जाता। इसी से जनता का कल्याण हो सकता है। जय हिन्द!

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अच्छा होता, अगर इस सदन के समक्ष इस समय बजट होता बजाये इस पूरक बजट के, और उसे हमको देखने का मौका मिलता। एक तरफ महामहिम राज्यपाल का भाषण हुआ, बड़े-बड़े वायदे किये गये, बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं। ये सारी बातें और वायदे बजट में आते, उसमें वह चीजें शामिल होतीं तो हम यह पहचानने का प्रयत्न करते कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन यह सरकार जिसका आधार नीतियों पर नहीं, दलबदलुओं पर है, वह सरकार यह हिम्मत नहीं कर सकती कि किसी नीति को, राजनीति को लेकर सदन के सामने आये। विरोधी पक्ष में अलग-अलग पार्टियां हैं-बी० के० डी० है, जनसंघ है, संसोपा और पी० एस० पी० आदि कई दल हैं, जिनकी भिन्न-भिन्न नीतियां हैं। अगर आपकी राजनीति सही होती, तो जो प्रस्ताव आपने भुवनेश्वर में पास किये थे, आबाडी में पास किये थे उन नीतियों को लेकर सदन के सामने आते और आपको सदन का विश्वास मिलता। आप भूल गये हैं भुवनेश्वर और आबाड़ी के प्रस्तावों को, उनमें किये गये वायदों को, और आप तिकड़मबाजी के आधार पर, दलबदलुओं के अधार पर, बिना किसी राजनीति के सरकार चलाना चाहते हैं। यही कारण है कि यहां पर चुनाव के बारे में बात रखी गयी है। आपने राजनीति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा है। आप बी० के० डी० को गाली देते हैं और बी० के० डी० वाले आपको, किन्तु हमारे लिये आप दोनों पार्टियां बराबर हैं। एक बात मैं साफ जानता हूं कि कल तक बी० के० डी० वाले आपके आदमी थे, उन्होंने यह सब हथकंडे आपसे ही सीखे हैं और आज भी ये वही हैं।

आप नीतियों को लेकर आइये, कार्यक्रम को लेकर आइये, अपने प्रस्तावों को लेकर आइये और सदन का विश्वास प्राप्त कीजिये। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने नीतियों को छोड़ दिया है, कार्यक्रम को भी छोड़ दिया है। आप जाति के पीछे जाते हैं, धर्म के पीछे जाते हैं, मजहब के पीछे जाते हैं। मैं पहाड़ से चुनकर आया हूं। वहां अहीर नहीं हैं, यादव नहीं हैं, हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है, इसलिये आपने वहां पर राजपूत और ब्राह्मण का सवाल खड़ा कर दिया। आप पहाड़ की जनता को, जो भोलीभाली जनता है, राजनीति नहीं सिखाते, तिकड़म और जातिपांति सिखाते हैं। वहां पर जनता की पिछड़ी भावनाओं को लेकर आपने वोट मांगा।

श्री अधिष्ठाता—

"आप, आप" शब्द आप बहुत प्रयोग कर रहे हैं, 'आप' का मतलब चहां पर अधिष्ठाता से है, इसका आप ध्यान रखें।

श्री गोविन्द सिंह—

हरिजनों की समस्या को आप लीजिये। हरिजन भाई कांग्रेस से चुनकर आए हैं, उनसे मुलाकात हुई है, हमारी पार्टी से आए हैं उनसे मुलाकात हुई है, विरोधी पार्टी में चुन कर आए हैं, तो किसी भी पार्टी के हरिजन हों सभी को आज असंतोष है, क्योंकि उनका शोषण हो रहा है और उन्हें उचित न्याय समाज में और पार्टी में नहीं मिल पा रहा है। आप महात्मा गांधी की बात करते हैं।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, जो बजट पेश है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, माननीय सदस्य बिलकुल उसके बाहर जा रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं विषयान्तर जरूर है, आप बजट पर ही कहें।

श्री गोविन्दसिंह—

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था चुनाव के बारे मे मांग रखी गयी है, चुनाव के बारे में बहस हुई है, मैं दोनों पक्षों से पूछता हूं कि बड़ी सुन्दर बात है, क्यों नहीं एक आयोग गठित किया जाता ? क्यों नहीं इसकी खुली जांच की जाती। अगर बी०के०डी० ने भ्रष्टाचार किया तो वह दोषी है और अगर कांग्रेस ने किया है तो वह दोषी है, फिर जांच से क्यों घबड़ाते हैं ? क्यों नहीं न्यायिक जांच बैठायी जाती ? यह केवल चुनाव का सवाल नहीं है, राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। हमारा देश कहां जा रहा है। जहां जहां चुनाव के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं उनकी जांच के लिये आयोग बैठाया जाय।

श्रीमन्, सहकारिता की बात कही गयी है और उसके लिये इस अनुदान में मांग रखी गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हो रहा है इस प्रदेश के अन्दर ? लैंड सीलिंग ऐक्ट बना और वह इसलिये था कि भूमिहीन किसानों को जमीन मिले, खेतिहर मजदूरों को जमीन मिले। लेकिन क्या हुआ ? तराई के भूभाग से आप परिचित हैं, आप लखीमपुर खीरी में जाइये, बिजनौर जिले के अफजलगढ़ इलाके में जाइये, किसी मैदानी इलाके में जाइये, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सेठ बिड़ला जी महाराज, नये नये नाम लेकर, नयी नयी कम्पनियां बना कर कोआपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं ताकि उनकी जमीन न चली जाय और साथ ही उनके एक गरीब किसान भी, एक भूमिहीन किसान भी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाता है लेकिन आप के शासन में उस भूमिहीन किसान की सहकारी समिति रजिस्टर्ड नहीं होती है, बिड़ला जी की सहकारी समिति रजिस्टर्ड होती है। अफजलगढ़ में देखिये मिसाल मौजूद है, लखीमपुर खीरी में देखिये, मिसाल मौजूद है।

शिक्षा की बात कही गयी, उसके लिये मांग रखी गयी है। मैं, श्रीमन्, उस घोषणा का स्वागत करता हूं कि कुमायूं विश्वविद्यालय बनाया जायेगा लेकिन साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अकेले कुमायूं विश्वविद्यालय बनाने से ही पहाड़ों में शिक्षा की हालत में सुधार नहीं आ जायगा। टेहरी का ही हाल लीजिये। १३ सौ साल तक राजा साहब के सामन्ती शासन में हम लोग रहे। हम लोगों को पिछड़ा रखा गया है लेकिन २० साल हुये हमको आजाद हुये, एक भी डिग्री कालेज नहीं खोला गया। एक इण्टर कालेज जो पहले से चला आ रहा था आज वही कालेज वहां पर है। कांग्रेस के नेता जाते हैं, टेहरी में, मुख्य मन्त्री जी गये, माननीय राज्यपाल गये अन्दर, सब वादा कर आये कि डिग्री कालेज बनवा देंगे लेकिन वही राज्यपाल साहब जब अभिभाषण पढ़ते हैं तब उसमें डिग्री कालेज का जिक्र तक नहीं आता। केवल विश्वविद्यालय खुलने से ही समस्या हल नहीं होने वाली है। करोड़ों रुपया आप अल्मोड़ा पर खर्च करेंगे, नैनीताल पर खर्च करेंगे लेकिन कितने लोग उस खर्च को बरदाश्त कर सकते हैं जो लड़कों को नैनीताल भेजकर लड़कों को पढ़ाने में होता है ? टेहरी गढ़वाल अल्मोड़े से काफी दूर है। होना तो यह चाहिये कि नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के अन्दर एक एक डिग्री कालेज हो साथ ही टेहरी-गढ़वाल में भी एक डिग्री कालेज जरूर बने। जो नैनीताल जा सकता है वह लखनऊ भी आ सकता है और इलाहाबाद जाकर भी पढ़ सकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि टेहरी गढ़वाल की ७ लाख जनता एक डिग्री कालेज के लिये तरस रही है लेकिन उसे कोई डिग्री कालेज खोलने का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

अध्यापकों का हाल लीजिये। अजीब बातें हैं। हमारे टेहरी गढ़वाल में महाराजा के शासन में, राज्य के विलीनीकरण से पूर्व जो अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर हाई स्कूल में थे उनकी तनख्वायें कम हैं लेकिन जो नये अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं उनकी तनख्वाहें बयादा हैं। मिसालें मौजूद हैं कि स्कूल के हेडमास्टर की तनख्वाह वहां के चपरासी से कम है। जबर रिप्रेजेंटेशंस किये गये, यूनियन लगातार लड़ती आ रही है लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में वे विचार करें। उसके साथ ही टेहरी गढ़वाल में अध्यापक १०, १० और १५, १५ साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी

[श्री गोविन्दसिंह]

तक वे अस्थायी हैं और जिस दिन सरकार चाहे उनको एक महीने का नोटिस देकर कान पकड़ कर अलग कर सकती है। अन्दाजा लगाइये कि उन अध्यापकों की जिन्दगी के बेहतरीन दिन सेवा में गुजर गये लेकिन आज भी वे अस्थायी हैं। उनके बारे में शिक्षा मंत्री जी के निवेदन है कि वह कुछ करने का प्रयत्न करें। यहां पर यह प्रश्न आया है और इसको अनुदान में भी रखे गया है कि जो सरकारी अध्यापक पहले थे उनको जिला परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया जाय। मेरा निवेदन है कि यहां पर यह प्रश्न जरूर है लेकिन पहाड़ी में जिला परिषद् की क्या हालत है और उनकी कितनी आय है इस पर भी विचार किया जाय। आप श्रीमन्, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं हैं। जिला परिषदों के स्कूल की भी दयनीय हालत है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गया तो वहां पर देखा कि कांग्रेस के २० साल के शासन के बाद भी हाई स्कूल की पढ़ाई एक गुफा के अन्दर चल रही है। पहाड़ की कन्दराओं में हाई स्कूल की पढ़ाई चल रही है। स्कूल के पास बिल्डिन्ग नहीं है। जो बिल्डिंग है वह भी टूटी फूटी है। उनके पास अच्छे टीचर नहीं हैं। वे स्कूल आप जिला परिषदों को सौंपना चाहते हैं। मैं आप के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अगर वह स्कूल जिला परिषदों को ट्रान्सफर करना है तो उसके लिये सरकार हमको विशेषरूप से अनुदान देने की कृपा करे अन्यथा इससे हमारी शिक्षा और ज्यादा खराब हो जायगी।

अन्त में मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि सरकार के इस बजट से एक और इशारा मिलता है। वह यह है कि शायद आने वाले बजट में जनता पर टैक्स लगाये जांयगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की हालत बहुत खराब हो चुकी है। टैक्स के भार से जनता की कमर टूट चुकी है। अगर टैक्स लगाया जायगा तो उससे और मंहगाई बढ़ेगी। जनता में संघर्ष उभरेगा, मजदूरों में संघर्ष पनपेगा, और किसानों में संघर्ष पैदा होगा। सरकार दमन का सहारा लेगी लेकिन हम उस दमन का मुकाबला करेंगे। मैं साफ तौर पर यह चेतावनी दे देना चाहता हूं कि ऐसा काम न कीजिये। लगातार २० साल की नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है। इन नीतियों से मंहगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जनता अब और मंहगाई को बरदाश्त नहीं कर सकती है। धन्यवाद।

श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह जो बजट हमारे सामने है सप्लीमेंटरी, उसके मुताल्लिक हमारे लायक दोस्त जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने यह कहा कि इस वक्त पूरा बजट सामने आना चाहिये था। उनको शायद खयाल नहीं है कि पूरा बजट लाने के लिये कुछ समय की दरकार होती है। अगर इसलिये पूरा बजट इस वक्त सामने नहीं आया और यह आगा है तो इसके लिये कुछ मजबूरी थी। इसी वजह से पूरा बजट सामने नहीं आ सका है। जो यह सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने आया है उसके मुताल्लिक बोलते हुये हमारे लायक दोस्त ने बहुत जोर के सभी टीचरों के मुताल्लिक बयान किया। मैं समझता हूं यह सही है क्योंकि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से आये हैं और अपने इलाके की मुसीबतों को सरकार के सामने रखना उनका हक है। मगर इसके साथ बड़े जोर के साथ निहायत सख्ती से उन्होंने यह फरमाया कि अगर कोई टैक्स लगाया जायगा तो उसका मुकाबला किया जायगा और खून खराबा होगा। मैं आप के माध्यम से यह बतलाना चाहता हूं कि टैक्स सरकार को लगाना पड़ता है। दुनिया में कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं होगी जो बिला टैक्स लगाये चल जाय। अगर आप स्कूल बनायेंगे या बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे तो उसके लिये पैसा कहां से आयेगा। आप कहते हैं कि पैसा मत लो और काम सब हो तो यह नामुमकिन है।

मैं समझता हूं विरोधी दल को हकूमत चलाने का मौका मिल चुका है और उन्होंने देख लिया है और उनको भी अनुभव हो गया है। आखिर एक जमाने के बाद उनकी ख्वाहिश

पूरी हुई और उन्होंने इन कुर्सियों पर बैठ कर देख लिया है कि किस तरह से हकूमत चलाई जाती है हकूमत में बैठ कर और शासन को चला कर उनको काफी अनुभव हो गया है कि काम किस तरह से होता है और हमें इस बात का अफसोस जरूर है कि शायद उनकी ख्वाहिश पूरी न होती, लेकिन "इस घर को आग लग गयी घर के चिराग से"। हमारी ही कमजोरियों का फायदा उन्हें मिल गया वरना विरोधी दल हमारे प्रान्त में सौ वर्ष तक इस काबिल नहीं हैं कि उन कुरसियों पर पहुंच सकें। फिर भी वहां बैठने पर उन्हें अनुभव हो गया कि हुकूमत चलायी कैसे जाती है। ऐसी रस्साकशी और ऐसी हालत हुई कि एक तरफ एक पार्टी कहे कि सब पर टैक्स लगे, दूसरी पार्टी कहे कि उन पर टैक्स लगे, तीसरी कहे कि उन पर नहीं, उनपर लगे। इसी गड़बड़ में कैबिनेट बरखास्त हो गयी और हम खामोश तमाशाई की तरह देखते रहे। लेकिन हम बधाई देते हैं चौ० चरण सिंह को कि उन्होंने हुकूमत का भार अपने कंधे पर लेकर उसको बहुत खूबसूरती के साथ बरदाश्त कर लिया और कांग्रेस का ही पुराना सिपाही उस भार को उठा सकता था वरना उनको १० दिन भी हुकूमत चलाना मुहाल था। चौधरी साहब के बयानात की स्याही अभी सूखी भी नहीं है फिर भी सुबह से सुन रहे हैं, वह, वह तकरीरें हो रही हैं कि सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति शासन की हमारे ऊपर आ गयी कि हम ही उसे लाये। आप जरा थोड़ा सा वर्क उलटें पिछली कहानी की ओर और जिनको आप ने मुख्य मन्त्री बनाया था उनके बयानात को पढ़ लीजिये कि कौन लाया राष्ट्रपति शासन। हम लाये या आपके कारनामे लाये? इस वास्ते इन बातों को सदन में दोहराकर बिना वजह वक्त खराब नहीं करना चाहिये। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और अब बधाई देता हूं अपने नेता को कि कितने जोरों के साथ उन्होंने एक सेकेण्ड के अन्दर इस्तीफा दे दिया और विरोधी दल को मौका दिया। मेरा ख्याल है कि विरोधी दल को हमेशा हमेशा के लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, ऐसी शायद इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं है। हम खामोशी के साथ बाहर तमाशाई रहे और समझते रहे कि आपसे यह गाड़ी चलने वाली नहीं और फिर यह भार हमें उठाना पड़ा। जबकि प्रान्त में बड़े बड़े पहाड़ गिरे तो कांग्रेस से जिस खूबी के साथ इतने बड़े डिजास्टर का जो बी० के० डी० ने किया उसका मुकाबला किया यह काबिले ऐतराफ है।

इन चन्द शब्दों के बाद मैं अपने मकसद पर आया हूं। हमारा जिला बस्ती जो किसी जमाने में सूबे का सब से बड़ा जिला था वह इस बजट में बिलकुल गायब है इसमें, कहीं उसका जिक्र ही नहीं है। आपके द्वारा वित्तमंत्री जी, मुख्य मन्त्री जी और तमाम मंत्रिगण से यह प्रर्थना करूंगा कि हमारे बस्ती जिले ने क्या कसूर किया है कि जहां से हम १५ में १० कांग्रेसी चुनकर आये हैं और सूखे का भार उठाया है उस जिले को जहां और भी ताकत देनी चाहिए थी वहां उसको गायब कैसे कर दिया? हमारे क्षेत्र में दो सड़कें इतनी इम्पार्टेंट हैं जिनके लिए सन् १९६२ में जब मैं मेम्बर था, मैंने सवाल उठाया और दोनों मंत्रियों को जो उसके बाद हुए अपने क्षेत्र में ले गया। हमें अश्वासन दिया गया कि यह बनायी जायगी। मगर बाद में चीन की लड़ाई आयी और हालत ने रोक लगायी। अब हम उम्मीद करते हैं कि हालत सुधर गयी है। हालांकि रूस और चीन की आपस में जंग हो रही है, फिर भी कहीं छींटा हमारी तरफ न आ जाय, घबराहट होती है। तो मुझे यह कहना है कि हमारे जिले में रुधौली से धानपुर तक एक ६ मील की सड़क जाती है वहां पर एक पुलिया की निहायत जरूरत है। सार्वजनिक विभाग के मंत्री श्री गिरधारी लाल जी उस जगह को देख भी आये हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम उसे जरूर बना दिया जायेगा। इसके अलावा अगर यह ६ मील की डुमरियागंज से भडरिया तक एक सड़क लेट्रल रोडसे मिलाकर बना दी जाय तो जनता को बड़ी सुविधा हो जायेगी। देवरियागंज से बांसी तक भी निहायत जरूरी सड़क है। हमारे यहां जनाना अस्पताल है, सन् १९६२ में वह खुला, मगर आज तक वहां लेडी डाक्टर नहीं पहुंची हैं। कहते हैं कि डाक्टरनी की कमी है, मगर उसका भी हल हमें ही ढूढ़ना होगा। वहां लेडी डाक्टर भेजने का प्रबन्ध करना चाहिये।

पिछले १० महीने के संविद सरकार के जमाने में हमारे क्षेत्र में दो बार बलवे हुए। संविद सरकार ने उन दिनों हमारे यहां की जरा भी परवाह नहीं की। वे लोग बेचारे जो बलवे

[श्री जलील अब्बासी]

से १०० कोस दूर थे उनको फंसा दिया गया, बेगुनाह मुसलमानों को तथा हिन्दुओं को फंसाया गया। मुसलमान लुट गये, हिन्दू गलत फंसाये गये, दोनों के दोनों तबाह हो कर रह गये। मैंने उन दिनों काफी भागदौड़ की, चौधरी साहब से भी मिला, मगर कुछ नहीं हुआ। सरकार बनाना आसान है, मगर उसकी जिम्मेवारियों को निभाना बहुत कठिन है। हमारी कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझती है। माननीय विकल जी ने जो उस वक्त कहा था कि कांग्रेस सरकार जो २० साल में नहीं कर पायी वह हम २० महीने में कर दिखायेंगे। उनकी बात बड़ी पक्की थी, उन्होंने वह सब १० ही महीने में कर दिखाया। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों की ताईद करता हूं, समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी दल भी इसको पास करेगा और जो जिम्मेवारियां हमने ली हैं उनको पूरा करने का हमें मौका देगा।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

श्रीमन्, इस राज्य में जो प्रथम अनुपूरक बजट सदन के सामने आया था वह करीब साढ़े ३१ करोड़ रुपये का था। यह जो दूसरा अनुपूरक बजट हमारे सामने आया है वह करीब ६० करोड़ रुपये का है। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रपति शासन जिन पद चिन्हों पर चला था, उसी पर यह सरकार भी चलेगी। सारा अनुपूरक बजट करीब ९१ करोड़ का है। ३६६ दिन का राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के बाद, जब कि जनता के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हों, इतने रुपये का अनुपूरक बजट लाना बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे दुःख होता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी गांधी जी के नाम का उल्लेख किया गया है। आज यह चित्र हमारे सामने महात्मा गांधी का है जो प्रकट करता है कि महात्मा गांधी शान्ति के प्रतीक थे। मैं अनुदान लेने वालों से कहूंगा कि विचारो अपने अनुदान संख्या १७ और १८ को। क्या कहा है तुमने ? तुमने गांधी शताब्दी मनाने के लिये मांग की है दो लाख रुपये की। कहा है कि ७५ हजार रुपया पहले दिया जा चुका है और दो लाख रुपया अब दिया जायगा जबकि हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है। लोग भुखमरी और गरीबी से त्राहि त्राहि कर रहे हैं। इस सादगी के बापू की जन्मशती पर इस प्रकार खर्च किया जाय। क्या यह न्यायसंगत है ? इसी प्रकार एक अनुदान संख्या २८ को आप देखें। उस पर भी अधिक रुपया खर्च करने की मांग की गई है। यह बात साबित करती है कि यह राज्य कुराज्य है। अधिष्ठाता महोदय, राज्य की जनता जान चुकी है कि जब चीन का आक्रमण हुआ था तो चीन के आक्रमण पर कितने कोष खोले गये और उसका कितना दुरुपयोग किया गया। आज भी हमें यही शंका हो रही है कि बापू के नाम पर इस धन का कितना दुरुपयोग किया जायेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं गांधी जी के नाम लेने वालों से कहूंगा कि देखो अनुदान संख्या २० को जिसमें परिवार नियोजन के नाम पर औषधियों के खर्च करने की बात की गई है। महात्मा गांधी परिवार नियोजन के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो सरकार कृत्रिम साधनों से परिवार नियोजन करती है वह पिशाचिनी सरकार है। आज सरकार जनता को औषधियों को बांटकर अनुदान की मांग कर रही है। यही, नहीं एक अनुदान में तो एक हजार एकड़ भूमि पर खेती करने का जिक्र भी किया गया है। उस खेती के उत्पादन का क्या होगा। खेती के उत्पादन का कहीं जिक्र नहीं है। लगता है कि जैसे बंजर गांव घाटे का कह कर चीन को दिया गया उसी प्रकार यह भी घाटे की खेती रहे सरकार की। यही नहीं जब हम इनके सारे क्रियाकलापों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अनुपूरक जो बजट है वह एक खिलवाड़ मात्र है और फिजूलखर्ची की निशानी मात्र है। इसी प्रकार भूमि भवन कर की वसूली के सम्बन्ध में अनुदान संख्या ५ को देखिये। दस लाख में करीब ६ लाख के खर्च होगा। इन बातों को कह कर यह मांग की जा रही है। भूमि भवन कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की वसूली के नाम पर तो मैं कहूंगा कि जो भूमि भवन कर आपत्कालीन था, चीन के आक्रमण के समय पर लगाया गया था उसकी वसूली में कितना रुपया हम खर्च कर रहे हैं। यह अपव्यय है। इसे रोकिये।

स्वास्थ्य विभाग में कृषि अधिकारी की नियुक्ति का ब्यौरा दिया गया है। जब हर जिले में एक कृषि अधिकारी है तो स्वास्थ्य विभाग में इस पद को बढ़ाने की क्या जरूरत है और यह कहां तक न्यायसंगत है? अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे भाइयों ने संविद सरकार की निन्दा की और राष्ट्रपति शासन की बात कही। जानते नहीं, राष्ट्रपति शासन लाया कौन? तुम अपने परिवार को सम्हाल नहीं पाये। तुम्हारा परिवार टूटा। संविद सरकार बनी और संविद सरकार अगर टूटी तो नीचता के लिये टूटी, कुर्सी के लोभ के लिये नहीं टूटी और आज भी मैं कहता हूं कि तुम्हारी सरकार दिन गिन रही है और कुर्सी के लोभ में टूटेगी। इस तरह की बात, अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था, इस अनुदान के अवसर पर। चूंकि कुर्सी-पक्ष के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा ही दुःख होता है। मैं बलिया जिले का रहने वाला हूं और जानता हूं कि सिंचाई के लिये दिये गये पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। ट्यूबवैल्स और ताजियां केवल कागज पर बना दी जाती हैं और सारा पैसा इंजीनियरों की जेब में चला जाता है, गूलों का पैसा ओवरसियर की पाकिट में चला जाता है। इंजीनियर को उसमें से हिस्सा मिलता है। जब तक यह भ्रष्टाचार और भैया भतीजावाद इस विभाग में है तब तक जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया इसी प्रकार लुटाया जाता रहेगा। जो आजकल हमारी सरकार में मुख्य मन्त्री हैं वे सन् १९६२ में चुनाव के सिलसिले में हमारे यहां गये थे और हमारे यहां एक सड़क को बनाये जाने का आश्वासन दिया लेकिन उसके लिये रुपया इस बजट में भी नहीं रखा गया है। यह कैसी सरकार है जिसके जमाने में एक एक साल में दो दो अकाल पड़ जायं। यह एक खेतिहर प्रदेश के लिये बड़े कलंक की बात है। लेकिन उसके बारे में सरकार की ओर से कोई खास कदम नहीं उठाये गये हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण से मालूम पड़ता है कि केन्द्र य सरकार ने रुपया नहीं दिया है। आप केन्द्रीय सरकार का मुंह देख रहे हैं और केन्द्रीय सरकार अमेरिका का मुंह देख रही है। आप इस बात को क्यों भूल जाते हो कि अपनी चादर के अनुसार ही लोगों को अपने पैर फैलाने चाहिए। १७५ करोड़ रुपये के नये कर लगाने की बात कही गयी है और इस प्रकार से राज्य की जनता की कमर को तोड़ा जायगा। इसलिये क्योंकि यह बजट जनता को रा[illegible] देने वाला नहीं है, इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं।

*श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। मैं योग्य वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंटरी बजट के समर्थन में कुछ निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। मान्यवर, हमारी लोकप्रिय सरकार का यह पहला सत्र है जो राष्ट्रपति शासन के बाद अस्तित्व में आयी है। लोकप्रिय सरकार का सब से पहला कार्य है जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना अतः उसी के अनुरूप इस सरकार ने यह सप्लीमेन्टरी बजट प्रस्तुत किया है जो अत्यन्त सराहनीय है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह तो कल्याणकारी राज्य के लिये बहुत उपयोगी बजट है। इससे बेहतर बजट पेश नहीं हो सकता था। इसमें किसानों की भलाई के लिये सब से अधिक धनराशि सिंचाई और उर्वरकों पर खर्च की जा रही है। इसके लिये इसमें ८ करोड़ रुपया रखा गया है।

इसके अलावा ६ करोड़ रुपया ऋण के रूप में हम ने उर्वरकों के लिये सेन्टर से मांगा है। इस तरह से कुल १५ करोड़ रुपया इस बजट में केवल किसानों के लाभ के लिये रखा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजपाल]

तो ६० करोड़ के इस अनुपूरक बजट में से किसानों के हित के लिये १५ करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया है, सीधा लाभ इससे किसानों को होगा इसलिये हम इस बजट को बहुत अच्छा समझते हैं और इसकी सराहना करते हैं। इसके अलावा शिक्षा जो प्रदेश के लिये बहुत ही मौलिक और आवश्यक चीज है उस के लिये भी पौने तीन करोड़ रुपये का प्राविजन है। माध्यमिक शिक्षकों के लिये जो मंहगाई भत्ता कालेज और स्कूलों में दिया जायगा यह भी बहुत ही आवश्यक और सराहनीय है। इसके अलावा पूर्वी जिलों का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहां पीने के पानी का अभाव है उनके लिये भी काफी मात्रा में धन उपलब्ध किया गया है, इसके लिये हम अगले बजट का इंतजार नहीं कर सकते थे। अधिकतर इस में जनकल्याण योजनायें ही रखी गयी हैं और यह ऐसी नहीं थी कि जिनको कि हम आगे के लिये रख सकते। अब तो मार्च में केवल दस बारह दिन ही रह गये हैं और इस समय यही आवश्यक है कि हम इन अनुपूरक मांगों को स्वीकार करें। इसमें केवल ३९ मदें हैं और ३ मदें जो प्रशासनिक हैं उन को छोड़ कर सभी जनकल्याण योजनाओं से सम्बन्धित हैं। इसलिये सदन को इन्हें स्वीकार करना चाहिये, यह एक उत्साहवर्द्धक और सराहनीय अनपूरक बजट है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इन को सहर्ष स्वीकार करे।

श्री मनफूलसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, कि हमारी सरकार ने जो अनुपूरक मांगें रखी हैं सदन के सामने उनमें सैद्धान्तिक रूप से हमारे सूबे का भला करने के लिये कोई चीज नहीं है। इसमें सैद्धान्तिक तरीका हो सकता था, जैसा कि इन अनुपूरक मांगों को पढ़ने से पता चलता है कि हमारी सरकार ने उन सिद्धान्तों को भूलने की कोशिश की है जिनके आधार से वह पूंजीपतियों की तिजोरियों में बन्द सिक्कों को बाजार में, प्रचलन में ला सकते थे। वह ८० प्रतिशत सिक्के जो आज चन्द आदमियों की तिजोरियों में कैद कर लिये गये हैं उन को निकालने की कोशिश कोई नहीं है। अगर वह धन प्रचलन में आये तो स्वतः हमारी अर्थ व्यवस्था को एक नया रूप मिल सकता है। लेकिन उस छिपे धन को निकालने की इस सरकार की कोई योजना नहीं है और न इस बजट में ही उसका कोई संकेत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर यह सरकार गांधी जी का नाम लेकर इन्हीं सिद्धान्तों पर चलती रही जिनके आधार पर देश के गरीबों का, देश के किसान मजदूरों का लगातार शोषण हुआ है तो शायद इस सरकार को ऐसे बजट बार बार सदन में भविष्य में रखने का अवसर नहीं मिलेगा और जितने प्रलोभन और लालच देकर यह किसानों को बहकाने वाले बजट लाये गये हैं और प्रजातंत्र के नाम पर जो इस तरह से किसानों और गरीबों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया जाता है और उनके खून पसीने की कमाई पर यह सब तमाशा होता है वह ज्यादा दिन अब टिक नहीं सकेगा।

मैं सदन का और विशेषकर गवर्नमेन्ट बेंचेज का ध्यान दिलाऊंगा कि संविद सरकार ने अपने काल में इस बात को समझने की कोशिश की थी और उसने कुछ निर्णय लिये थे जिससे गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को कुछ राहत मिली थी। आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स जिन के द्वारा देहात के लोगों का शोषण होता था उन को अब राहत मिली है इन मैजिस्ट्रेटों से। वह चीज जिनके जरिये से संविद सरकार ने साम्प्रदायिकता को मिटाने की कोशिश की थी जैसे शैक्षिक संस्थाये, जिनका नाम साम्प्रदायिक था उन का अनुदान बन्द करने की बात की गई थी। लेकिन ऐसी बातों की तरफ इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। साम्प्रदायिकता के नाम पर बननेवाली सरकार, यह कांग्रेसी साम्प्रदायिकता की बुनियाद पर बनने वाली सरकार जो विरोधी दलों को इस नाम से विभूषित करने की कोशिश करती है सरकारी बेंचेज की तरफ देखे। मैं समझता हूं कि आगे इस बात पर नहीं सोच सकेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है कि वह वर्ग जो इस सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की है, खेतिहर मजदूर, उसके लिए एक भी पैसा नहीं है लेकिन ऊपर चुनाव की बात आती है तो सब से पहले खेतिहर मजदूर से वोट लेने की कोशिश की जाती

है। सदन में आने के बाद और सरकार बनाने के बाद खेतिहर मजदूर को जिसके लिये बजट में एक रुपया भी नहीं होता है बिल्कुल भुला दिया जाता है। मैं सरकार से यह कह देना चाहता हूं कि अगर सरकार इसी सिद्धान्त के आधार पर चली कि अमीर और अमीर हो जाय और गरीब और गरीब हो जाय तो चलने वाली नहीं है। वह सरकार जो गांधी जी के सिद्धान्तों का नारा लगाती है और उन गरीबों को भूलाकर पूंजीपतियों की संरक्षक है वह सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगी।

आज से पहले इस सरकार ने देहात वालों के साथ पक्षपात किया है। सन् १९६७ के पहले हम देखा करते थे कि शहर के रहने वाले पूंजीपति किसानों का गल्ला ३० रुपये हिसाब से ले लिया करते थे और फिर उन्हीं किसानों को ७५ रु० मन के हिसाब से बेच दिया करते थे। इस अनुपूरक बजट में इस संबन्ध में भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिससे खेतिहर मजदूर किसान को कोई राहत मिल सके।

इस अनुपूरक बजट में एक बात विशेषरूप से हरिजनों की आयी जिनके लिए इसमें केवल ४३ लाख ४३ हजार का प्राविधान रखा गया है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाय तो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में केवल ३ प्रदेशों को छोड़कर जैसे गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, किसी सूबे में हमारे जो हरिजन, शिक्षित हुये हैं, वे प्रतिशत में बहुत कम हैं। ७.१४ का अनुपात है। अगर कांग्रेस सरकार इस वर्ग से हमदर्दी रखती है, और प्रजातंत्र सरकार कहलाने का दावा करती है और जिस वर्ग के लिए गांधी जी ने हमेशा ललकार कर कहा है कि जब तक इस वर्ग के लोगों को बराबर की लेविल में नहीं ले आवेंगे तब तक हम चैन से और संतोष से नहीं बैठेंगे, तो कोई काम चलने वाला नहीं है। हमारे संविधान में १० साल का समय दिया गया था लेकिन हम देखते हैं कि आज २० साल में भी इस ओर कुछ नहीं किया गया है और न ही इस बजट में कुछ प्राविधान किया गया है। मैं यह कहूंगा कि अगर देश और प्रदेश में सिद्धान्तों के आधार पर गांधी जी की आत्मा को सुख देना चाहते हैं तो दोस्तों और साथियों आपको यह समझना होगा कि बी० के० डी० के नेताओं पर, जो सच्चे अर्थों में गांधीवादी हैं, साम्प्रदायिकता का नारा लगा कर अगर आप पनपना चाहते हैं तो आप चन्द ही दिनों के मेहमान हैं, ज्यादा दिन आप की हुकूमत टिक नहीं सकेगी। हमारे बी० के० डी० नेता ही सूबे में वे नेता थे जिन्होंने कहा कि हम उन संस्थाओं को कोई अनुदान नहीं देंगे जिनका नाम साम्प्रदायिकता पर होगा और साम्प्रदायिकता के बल पर खड़ी होने वाली संस्थाओं का डट कर विरोध करेंगे। क्या कांग्रेस ने कोई ऐसा ऐलान किया और इस तरफ कोई कदम उठाया ?

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रदेश में खेतिहर मजदूर की संख्या बहुत अधिक है और लगभग २१ प्रतिशत हरिजन हैं, लेकिन उनके विकास के लिये इस अनुपूरक बजट में कोई अनदान नहीं रखा गया ताकि उनको राहत मिल सके। आप प्रजातंत्र का नारा देकर, गांधी के नाम की झूठी दुहाई देकर ही ज्यादा दिन इस प्रदेश में हुकूमत में नहीं रह सकते।

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो अनपूरक बजट रखा है मैं उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इस प्रदेश में अभी थोड़े दिन हुए जब संविद सरकार बनी थी और उसने हरिजनों तथा किसानों की दुहाई दे कर जो थोड़ा सा अपना रूप दिखाया वह इस प्रदेश की जनता के सामने आया। आज यहां बड़ा डंडा पीटा जाता है कि चौधरी साहब किसानो के हरिजनो के बड़े हमदर्द हैं, रूस में भी इसी तरह से दो दल हो गये थे। एक मैनशेविक तथा दूसरा बोलशेविक। मैनशेविक दल के नेता थे चौधरी चरण सिंह और बोलशैविक दल के नेता थे लेनिन। चौधरी साहब ने एक ही पार्ट संविद सरकार के मुख्य मन्त्री हो कर अदा किया है और एक ही चीज हुई कि जितने बड़े-बड़े पूंजी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाप्रसाद]

पति थे इस प्रदेश के उनसे सत्ता छीनने के लिये संविद सरकार बनाई और सत्ता का उन्होंने बड़ा ही दुरुपयोग किया। माननीय चरण सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ने हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन, जो इतने पददलित थे पिछले २० सालों में कांग्रेस ने गांधी जी के आदर्शों को सामने रख कर उनके पद जिन्हों पर चल कर वह कार्य किया कि कांग्रेस की बदौलत ही उनमें यह जागृति पैदा हुई .....

(इस समय ३ बज कर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कि हरिजनों के अन्दर शिक्षा का प्रसार हुआ। उनके बेटे पी० सी० एस० तथा आई० ए० एस० में बैठने लगे और प्रशासन में हिस्सा लेने लगे।

अन्त में मेरा निवेदन है कि ४३ लाख जो हरिजनों के सम्बन्ध में खर्च किया जा रहा है वह बहुत थोड़ा है। आज बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पानी पीने की भी सुविधा नहीं है। सिचाई के साधन भी छोटे काश्तकारों के पास नहीं पहुंच पाये हैं। कुछ गांवों में यातायात भी बहुत खराब है। पिछली चीन की लड़ाई में कुछ सड़कें ली गयी थीं गोंडा जिले में लेकिन वह वैसी की वैसी पड़ी हैं। ढाई मील की सड़क ऐसी है जो गोतीगंज स्टेशन को जोड़ती है। साथ ही साथ गोंडा, फैजाबाद और गोरखपुर तक पहुंचती है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन उसको छुआ भी नहीं गया। आज अगर हम तरबगंज जाना चाहें तो दस रुपये खर्च होते हैं। अगर हम डुमरियागंज को तरबगंज से मिला दें तो हेडक्वार्टर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर इन दो सड़कों को सरकार बना दे तो बहुत बड़ा काम हो जायगा।

जहां तक सिचाई का सवाल है १४ नलकूप हमारे क्षेत्र में लगे हुये हैं जिनमें से ७ बेकार पड़े हैं। सरकार उनको चलाये या कोई कारखाना स्थापित करे जिससे वह चल सकें। गोंडा जिला एक ऐसा जिला है जो त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है। न पूर्व में है न पश्चिम में है। वहां हर साल बाढ़ आती है। इस साल तो इतनी बड़ी बाढ़ आयी है कि वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गये हैं। पहली बाढ़ आयी तब फसल उग रही थी। दूसरी बाढ़ में वह दाने दाने को मोहताज हो गये। इसके अलावा वहां अभी तक गन्ना खड़ा हुआ है। उसके लिये पर्चियां नहीं मिलती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह इन समस्याओं की ओर ध्यान दे कर वहां की जनता को राहत पहुंचायें।

*वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का अत्यन्त आभारी हूं कि उसने आज के अनुपूरक अनुदानों की मांग के समय कुछ उपयोगी सुझाव दिये और उन मांगों के प्रति भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जोकि शायद अपनी जगह पर उचित हों और जिनके सम्बन्ध में समय आने पर कुछ विचार कर के किया जा सकना भी संभव हो।

श्रीमन्, अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति भी कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी ओर से जाहिर की। यह दूसरा अनुपूरक अनुदान है। पहला अनुपूरक अनुदान पार्लियामेंट के सामने आया था जो ३१ करोड़ रुपये का था। यह दूसरा अनुपूरक अनुदान ६० करोड़ रु० का है। कई प्रकार की शंकायें पैदा की गयीं। उनमें मोटे तौर पर यह कि यदि बजट आ जाता है तो शायद यह अनुपूरक अनुदान न पेश होता। यह भी कहा गया कि अनुपूरक अनुदान बहुत बड़ा है। मैं अत्यन्त नम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि बजट आता शायद तो भी अनुपूरक अनुदान पेश करना पड़ता क्योंकि अनुपूरक अनुदान संविधान के अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत पेश किये जाते हैं सदन के सामने और मोटे तौर पर तीन कार्यों के लिये पेश किये जाते हैं। पहला यह कि चालू कार्य जिनको सदन ने स्वीकार किया है उसमें यदि आकस्मिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप से अधिक व्यय हो जाय तो उसकी स्वीकृति सदन दे दे। दूसरा यह कि यदि कोई नये व्यय की मद प्रारम्भ हो जायें और जिसके सम्बन्ध में बजट में कोई प्राविधान नहीं था तो उसको भी सदन अनुपूरक अनुदान के रूप में स्वीकार कर ले और तीसरी बात यह है कि यदि चालू कार्य में अधिक व्यय हो जाय तो उस को सदन स्वीकार कर ले और उसके सम्बन्ध में अपनी अनुमति प्रदान कर दे। मैं निवेदन करना चाहता था कि यह भ्रान्तिपूर्ण धारणा है कि अनुपूरक अनुदान इसलिये पेश किये गये जिससे पूरा बजट पेश न किया जाय। एक बात अवश्य स्वीकार करता हूं कि हम लोग अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि सदन को पूरा बजट दे सकें। हम विचार कर रहे हैं और कुछ घटनायें घट गई हैं उनको स्वीकार कर के हमें चलना पड़ेगा। आखिर कैसी घटनायें और क्यों घटीं। यह दुःखद इतिहास है और जनतंत्र प्रणाली के इतिहास में इस प्रकार की घटनायें न जाने कितने प्रकार से किन किन देशों में, कब कब घटी हैं। इसलिये जो यह घटनायें घट गई हैं उनको नये तौर पर स्वीकार कर के हमें प्रदेश के शासन का भार दिया है तो हमें समय दीजिये कि हम विचार कर लें।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कुछ नीतिय के आधार पर हम यहां पहले भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं और उनको मैं अपनी ओर से बार बार कहूं तो यह अच्छा नहीं लगता। हमने चुनाव-पत्र में अपनी नीतियों की घोषणा की थी। मोटे तौर पर सदन को मैं बताऊं कि कृषि की ओर हमारा सब से पहला ध्यान है कि कृषि उत्पादन बढ़े। इसके लिये हमने प्रायोरिटीज तय की हैं। इसके साथ साथ पेय ज [illegible] की व्यवस्था करने की भी हमारी इच्छा है। हम जानते हैं कि जहां जल का शुद्धिकरण हुआ वहां से रोग नष्ट हुये हैं। हमारे ज्ञान में है और यदि कोई राष्ट्र शुद्ध जल भी अपनी जनता को न दे सके तो यह अच्छी बात नहीं है और यह एक लज्जा की बात है। यदि इसके सम्बन्ध में हम प्राथमिकता रखें तो अनुचित नहीं होंगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हम कृषि उत्पावन के बढ़ाने के लिये उससे संबंधित सामग्री किसानों को देना चाहते हैं। जैसे इर्रीगेशन के साधन, विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनायें, सरकारी और प्राइवेट नल कूप बढ़ायें, यह हमारी प्राथमिकता है। कुछ और भी बातें हैं और हम लोगों ने विचार किया है। मोटे तौर पर मैं आप के द्वारा सदन से इतना कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिकता का हमने निश्चय किया है उससे हम डिगेंगे नहीं और निश्चित रूप से प्रदेश को देंगे।

आज श्रीमन्, जो अनुदान सदन के सामने है उसके संबंध में कुछ और भी भ्रान्ति है। मेरे मित्रों ने जिक्र किया था कि इस अनुदान से संबंधित जो साहित्य वितरित किया गया है उसमें किस तरह से अनुदान उपस्थित किया गया है, उसका पूरा विवरण नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान, जो साहित्य का दूसरा भाग है, उसमें विवरण है और यहीं नहीं बल्कि इसमें जिन मदों मे आवश्यकता पड़ी उनका भी विवरण है। यदि इन मदों का छोटा सा रूप रखा जाय तो मोटे तौर पर वह इस प्रकार से होगा। यह हमारे यहां राजस्व लेखा--जिसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर कहते हैं--उसमें इस वर्ष आयोजना के अतिरिक्त जो हमने व्यय रखा है और इस अनपूरक अनदान के द्वारा इस सदन के सामने हमने मांग प्रस्तुत की है वह ९ करोड़ ९२ लाख रुपये की है। इसमें, आयोजनागत एक करोड़ ८ लाख रुपया है और राजस्व लेखे से बाहर जो रकम इसमें व्यय किये गये हैं वह इस प्रकार से है। ३ लाख रुपये की एक योजना के बाहर और ८ करोड़ १ लाख रुपये की योजना के अन्तर्गत मांग रखी गयी है। ऋणों और अग्रऋणों के संवितरण के अन्तर्गत ५ लाख रुपये की एक मांग और ६ करोड़ ९४ लाख रुपये की दूसरी मांग योजना के अन्तर्गत रखी गयी है। ऋणों के प्रतिदान के अन्तर्गत ३३ करोड़ ९४ लाख रुपये की रकम है और इस प्रकार से आयोजना के बाहर जो हमारा व्यय है इस प्रदेश में जिसकी स्वीकृति हम इस अनपूरक अनुदान द्वारा इस सदन से चाहें वह ४३ करोड़ ९४ लाख रुपयो है और योजना के अन्तर्गत १६ करोड़ तीन लाख रुपया है। इस प्रकार से ५९ करोड़ ९७ लाख रुपये की मांग है।

[श्री लक्ष्मीरमण प्राचार्य]

सदन के सामने एक प्रश्न आया है कि ६० करोड़ रुपये की जो मांग है उसको मूल बजट में आना चाहिये था। इस सम्बन्ध में इस सदन को मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये आपको अधिक चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। यह जो बजट साहित्य है उसके अन्दर आप देखने की चेष्टा करें तो उससे आप को स्पष्ट मालूम हो जायगा कि यह मांग ऐसी नहीं है जिसके लिए आगे चल कर धन की कोई कठिनाई पड़े। मोटे तौर पर जो यह मांग है वह ३३ करोड़ ९४ लाख रुपये की है और यह ३३ करोड़ ९४ लाख रुपये की जो मांग है वह लिखा पढ़ी में है। वह इस प्रकार से है कि इसमें से १८ करोड़ ७४ लाख रुपया जो है उसे रिजर्व बैंक से हम समय समय पर लत रहते हैं। जब रिजर्व बैंक में रुपया कम हुआ तो उसे जमा कर लिया जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर उसमें से निकाल लिया जाता है। इस तरह से यह रुपया वहां आता है---जाता और निकलता रहता है। इसके अलावा १५ करोड़ ११ लाख रुपया उर्वरक या खाद की खरीद के लिये मांग की गयी है। यह रुपया किसानों को लोन के रूप में दिया जाता है और हम उसे समय समय पर अदा करते रहते हैं और समय समय पर नये लोन आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह रुपया हमें कहीं और से निकाल कर देना पड़ेगा। मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि योजना के अन्तर्गत जो धनराशि है वह करीब १६ करोड़ रुपये की है। यह जो हमने १६ करोड़ रुपये की मांग की है और जो सदन के विचारार्थ है, मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह धन जो हमारे पास है, उसके लिये हमें किसी नये साधन की आवश्यकता नहीं है और वह इस प्रकार से है कि साढ़े ४ करोड़ रुपया तो रामगंगा परियोजना के निर्माण के लिये मांग की गयी है। मेरे एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि रामगंगा परियोजना के लिये अब साढ़े ४ करोड़ रुपये की मांग क्यों की गयी है, पहले इसको क्यों नहीं मागा गया। मुझे दुःख है कि अगर बजट साहित्य का अध्ययन किया गया होता तो यह बात स्पष्ट हो जाती क्योंकि उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है।

इसके अलावा ७ करोड़ रुपये स्वीकार करने के लिये इस बजट में और प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में सदन को बतला दूं कि कदाचित कार्य अधिक होगा और जब अधिक कार्य होगा तो खर्च भी अधिक होगा। साथ ही ३१ मार्च तक ११ करोड़ रुपये का काम कर लेना है। तो यह जो साढ़े ४ करोड़ रुपया है उसे हमें कहीं दूसरी जगह से नहीं लेना है। साढ़े चार करोड़ रुपया हमको स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलेगा। वह यहां के सिचाई विभाग को प्राप्त होगा और उसके द्वारा इस मांग की पूर्ति हिसाब के खाते में होगी। इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ३.१७ करोड़ रुपया हमें सिचाई के छोटे और बड़े कार्यों के लिए चाहिए। यह रुपया भी हम को उसकी बचत से प्राप्त हो जायगा। इसी तरह से हम कुछ कर्जा देते हैं पम्पिंग सेट के लिए और दूसरे कार्यों के लिए उसके लिए हम को २ करोड़ ९४ लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें भी हमारा बचत का एक करोड़ रुपया होगा। एक करोड़ ३१ लाख रुपया हम को स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से प्राप्त हो जायगा। इसी तरह से २७ लाख रुपये का प्राविधान पेय जल के लिए है, २५ लाख रुपया प्रदेशीय फाइनेंसेस कारपोरेशन को देने का प्राविधान है, यह भी बचत द्वारा प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार से जो ५९ करोड़ ९७ लाख रुपये की सदन से मांग है उसमें ३३ करोड़ ९४ लाख रुपया यह है जो बड़े ऋणों में, उर्वरकों का ऋण देने के लिए चाहिए या रिजर्व बैंक के खाते में लिखत पढ़त होगी उसके लिए प्राविधान है जिसके सम्बन्ध में हमें अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना है। शेष रहता है २६ करोड़ ३ लाख रुपया। इसमें ९ करोड़ ९२ लाख रुपया ऐसा है जो कि राजस्व लेखे में व्यय होगा। १६ करोड़ ३ लाख रुपया वह है योजना के अन्तर्गत जिसका प्राविधान हमारे बजट में नहीं था और जिसकी आवश्यकता पड़ेगी जो सेविंग के द्वारा और दूसरे प्रकार से पूरा होगा। ५९ करोड़ रुपये की जो हमारी मांग है उसके लिए हमारे पास आवश्यक साधन हैं।

एक बात और स्पष्ट कर दूं। आज जिस आयव्ययक पर अनुपूरक अनुदान हम पेश कर रहे हैं और इसके पहले जो संसद के सामने आया वह आयव्ययक एक सरकार द्वारा यहां पर पेश

किया गया था उसी आयव्ययक पर आज हम लोग कार्य कर रहे हैं। यह स्थिति में इस सदन के सामने जरूर रख देना चाहता था। आज केन्द्र में फाइनेंस कारपोरेशन काम करता है। वहां एक प्लानिंग का कार्य भी प्लानिंग बोर्ड कर रहा है। दोनों स्थानों से हमें निश्चित रूप से धन प्राप्त होना चाहिए। हमारे मित्रों ने बहुत सी बातों का जिक्र किया। यदि मैं यह कह दूं कि बहुत सी बातें उनमें से न्यायोचित हैं तो कदाचित गलत बात नहीं कहता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे मित्र क्या चाहते हैं? न जाने कितने मित्रों ने यह जिक्र कर दिया कि यह जो अनुपूरक अनुदान है और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है वह इस बात का द्योतक है कि हमें बहुत सारे टैक्स अपने इस प्रदेश में लगाने हैं। एक माननीय सदस्य जो उधर बैठे थे, शायद कम्युनिस्ट पार्टी के थे ने भी ऐसी ही बात बड़े विश्वास के साथ कही। लेकिन मैं उनकी बात को समझ नहीं सका कि आखिर वह चाहते क्या हैं? क्या वह यह चाहते हैं कि खर्च करते चले जाओ और टैक्स कोई न लगाओ। यह एक विषम चक्र है, जिस पर हमें विचार करना पड़ेगा।

आज नेता विरोधी दल सदन में नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे इस समस्या के बारे में पूछता कि उनके क्या सुझाव हैं। शायद उनका भी यही सुझाव होता जो मेरी राय है और इसलिए वह शायद इस सदन में इस समय नहीं हैं। यदि वह सदन में होते तो मैं उनसे पूछता कि आखिर प्रदेश को चलाने के लिए क्या नक्शा उनके विभाग में है। हमारे मित्रों को शायद यह ज्ञान नहीं है सबसे कम पर-कैपिटा टैक्सेशन देने वाला हमारा यह प्रदेश है। यहीं पर-कैपिटा सबसे पुअर टैक्सेशन देने वाली बात का दुष्परिणाम हमें और आप सबको आज भुगतना पड़ रहा है। मालूम पड़ता है कि जनता के हितैषी उधर ही बैठे हैं और इधर जनता का हित चाहने वाला जैसे कोई है ही नहीं। मैं आज इस सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं---सदन के माननीय सदस्य बताएं कि इस प्रदेश को हम कैसे चलाएं आज? एक ओर तो आप की मांग है कि एक पैसा भी टैक्सेशन न लगाओ और जो टैक्स हैं उन्हें कम करते चले जाओ और दूसरी तरफ आप की मांग है कि शिक्षकों के वेतन बढ़ाओ और किसानों के टैक्स माफ कर दिये जाएं, कम कर दिए जायं, उन्हें तमाम प्रकार की छूट दी जाए। फाइनेंन्स कमीशन के सामने यह बात आ चुकी है, उसका कहना है कि सारे भारतवर्ष में इस प्रदेश ने सबसे कम टैक्स अपने यहां लगा रखा है। मुझे इस भावना से कोई विरोध नहीं है। फिर भी मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में टैक्स देने की इतनी क्षमता नहीं है जितने दूसरे प्रदेश के लोगों में है।

मैं यह जानता हूं कि टैक्स देने की एक सीमा होती है और उत्तर प्रदेश का निवासी उस सीमा तक पहुंच चुका है जिसके आगे टैक्स उस पर लगाना उसके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। मैं टैक्सेशन के बारे में आज तो यहां पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि मुझे आगे क्या करना है और सरकार क्या करेगी। किन्तु अभी मतदान होगा और उसके अलावा भी दूसरे अवसर आएंगे तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में सदन अपने सुझाव सरकार को दे कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में उसके क्या सुझाव हैं। मैं केवल इतनी बात और कहना चाहता हूं कि टैक्सेशन का जहां तक प्रश्न है, इस बारे में हमारी बहुत पुरानी मान्यता है कि प्रत्येक राष्ट्र एक भंवरे के समान है जो वृक्षों से फलों का रस चूसा करता है और उसके बदले में वह मधु दिया करता है 'मधुदोहं वृक्षेभ्राष्ट्रं भ्रमरा व पादपं"। तो उसी प्रकार से सरकार पुष्पों पर से रस चूसने के बाद रस देती है। आखिर इस प्रदेश के लिए क्या करना है यह आपको बताना है। भविष्य में भी आप कोई सुझाव दे सकें तो मैं बहुत अनुग्रहीत हूंगा। एक बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा समाजवाद की ओर प्रयास रहा है, इसलिए हम कोई भी ऐसा कार्य करने नहीं जा रहे हैं, जिसके द्वारा इस प्रदेश की दुर्बल, अशक्त और जर्जर लोगों पर कोई कर भार पड़े। एक बात और कहना चाहता हूं कि इसका एक दूसरा रूप भी है, जो यह है कि हमें अपने वित्तीय भार के लिए कुछ करना अवश्य ही पड़ेगा और वह क्या होगा, इसके बारे में यह सदन भी हमको राय देगा जब समय आएगा।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

श्रीमन्, मैं आज के प्रदेश की वित्तीय स्थिति इस सदन के सम्मुख रख देना चाहता हूं जिससे कि यह सदन इस पर गम्भीरता से विचार कर ले। प्रारम्भ में, श्रीमन्, बजट में जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर था उसके लिये ३५५.६१ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था और उसमें हमारे आमदनी के खाते में ३५६ करोड़ रुपये के लगभग था यानी हमारे पास लगभग ७७ लाख रुपये की बचत थी राजस्व खाते में। लेकिन जो हमारा कैपिटल का खाता था उसमें सब मिला कर हमारे पास लगभग २५.६ करोड़ रुपये का घाटा था। जैसे-जैसे समय बीतता गया हमारी स्थिति मोटे तौर पर इस द्वितीय अनुपूरक अनुदान के समय इस प्रकार की हो गयी है। हमारे यहां राजस्व के खाते में अब हमारे पास करीब १ करोड़ ६३ लाख रुपये की बचत है और जो हमारा खर्च का खाता है उसको लगभग ४१.१२ करोड़ रुपये का घाटा है। इस घाटे की पूर्ति के सम्बन्ध में मैं निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूं कि बहुत चिन्तित होने की बात नहीं है। इसके लिये हमारे पास निधियां हैं, वह धनराशियां हैं जिनसे हम इस व्यय को पूरा कर सकते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शुद्ध व्यय का खाता दोनों अनुपूरक अनुदानों में हमारे पास करीब १५ करोड़ रुपये का रह जायगा और उनमें से जो साधन हमारे पास हैं उनका जिक्र करना इसलिये जरूरी है क्योंकि माननीय सदस्यों ने उसका बहुत जिक्र किया। मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि हमारे पास १५.३२ करोड़ रुपया पहला धन है जिसे अंग्रेजी में बाट फार्वर्ड कहते हैं। ५.१७ करोड़ प्राविडेंट फंड का और ६.५२ करोड़ रुपया हमारे सिंकिंग फंड का है। इनके अलावा हमारे पास सिक्योरिटीज हैं जिनके द्वारा धन प्राप्त होता है। कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार से चिन्ता व्यक्त की मानों हम किसी दिवालिया राज्य में बैठे हों लेकिन ऐसा नहीं है। केवल इतनी बात है कि हम यह विचार करना चाहते हैं कि जिस वित्तीय स्थिति में हम हैं उस में चिन्तित हम नहीं हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमें और वित्तीय साधन उपलब्ध हों जिनके द्वारा हम प्रदेश की अधिक से अधिक सेवा कर सकें।

श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ में ही जिक्र किया था। यह जो हमने नया अनुपूरक अनुदान रखा है उसमें कुछ बहुमूल्य कार्य हमें करने हैं और जिन नीतियों का जिक्र इसमें किया गया है उनके सम्बन्ध में हमने कुछ कार्य प्रारम्भ किया है। मैं इस सदन का ध्यान उन कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस से यह समझा जा सके कि हम कितने बड़े कार्यों को जो पहले नहीं थे अपने हाथ में लेकर पूरा करना चाहते हैं। यह मध्यावधि चुनाव का खाता है जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कहा है। मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि यह अवसर नहीं है जब कि राजनीतिक चर्चा इस आय-व्ययक पर या अनुपूरक अनुदानों पर हो रही हो लेकिन इतना मैं आप से कहना चाहता हूं कि इन माननीय सदस्यों में हमारे कुछ भाई ये जो कि उधर बैठने वाले हैं और इधर बैठने वाले भी हैं दोनों ने दोनों को ही दोषी बतलाया है। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता किन्तु यह हमारे राजनैतिक इतिहास का एक अत्यन्त दुखद प्रकरण है और यदि इसको एक शब्द में कहना चाहूं और सदन के सामने रखना चाहूं तो मैं एक कवि का उक्ति ही सदन के सामने रख दूंगा उससे स्पष्ट हो जायगा कि इस दुखद प्रकरण के लिये कौन उत्तरदायी है :

"यह न पूछो कि किस किस ने धोखा दिया,
वरना अपनों के चेहरे उतर जायेंगे।"

मैं यह नहीं कहना चाहता था कि जो हमारे अपने लोग हैं वे तो अपने ही हैं। वे कौन लोग हैं यह उधर के भाई सब जानते हैं। इस सम्बन्ध में लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूं ..

चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

"इस कदर सदमे उठाये दोस्तों के हाथ से,
कि दुश्मनों की अदावत का गिला जाता रहा।"

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

हमारे दोस्तों को फिर भी धोखा देना लाजिम नहीं था। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुछ नीतियों को हमने प्रतिपादित किया है और उन नीतियों के सम्बन्ध में कुछ हमारे अनुपूरक अनुदानों में संकेत किया गया है। हमने शिक्षा के सम्बन्ध में, जिस का जिक्र हमारे दोस्तों ने किया है, इन तीन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में यह धन दिया है। इनको हमने २७ लाख ४५ हजार रुपये की धनराशि दी है। मेरे मित्र कह रहे थे कि आखिर ये जो विश्वविद्यालय हैं इनमें घाटा क्यों होता है? मैं इस सम्बन्ध में सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५६ से यह क्रम शुरू हुआ। यह हिस्सा ऐसे नहीं हुआ है कि बिना एकाउन्टेंट जनरल की जांच के हमने इस रुपये को उन्हें दिया हो। जब इस सरकार को निश्चित रूप से यह विश्वास हो गया कि यह धन सही तौर पर खर्च हुआ है तब इस धन को दिया गया। कदाचित् इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती थी कि हम विश्वविद्यालयों को इस धन के द्वारा चलाते रखें। यदि इनको धन की आवश्यकता है तो उनको धन दिया जाय। यदि विश्वविद्यालयों को बन्द करना पड़े तो यह अच्छी बात प्रवेश के लिये नहीं होगी। यह धन तीन बड़ी मदों के लिये दिया गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के महंगाई-भत्ते में जो वृद्धि की गई है उसके लिये ९ लाख १७ हजार रुपया दे चुके हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान के पुनरीक्षण में ४ लाख ७० हजार रुपया दे चुके हैं। प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों के अध्यापकों की उपलब्धि की सहायता खाते में १,७७,९२,७०० रुपये और प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की उपलब्धि में यानी जे० टी० सी० तथा सी० टी० के लिये ५२ लाख ५४ हजार रुपया इस अनुपूरक बजट की मांग में रखा गया है। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये जो पहले दर्जे से दसवें दर्जे तक सहायता पाते हैं, निःशुल्क के तौर पर उन को सहायता के लिये २९ लाख रुपये का प्राविधान इसमें किया गया है। यहां पर सिंचाई निर्माण कार्यों पर जो पूंजी लगाई गई है, उस पर हमको कुछ ब्याज देना पड़ता है उसकी रकम भी १ करोड़ रुपया है। इन मांगों के द्वारा मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सूखा ग्रस्त तथा अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में जल सम्भरण योजना के लिये करीब ८५ लाख ५३ हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही जिक्र किया, रामगंगा प्रोजेक्ट के लिए ४ करोड़ ५० लाख की रकम सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकार की गयी है। उन पर भी करीब २५ लाख ५० हजार का प्राविधान इन मांगों में किया गया है। राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए १ करोड़ ६१ लाख रुपये का प्राविधान है। ब्याज वाले ऋण और अग्रऋणों के रूप में ४ करोड़ की रकम स्वीकार की है और निजी नलकूपों पर विद्युतीकरण की योजनाओं पर यह रुपया खर्च किया जाय, ऐसा विधान है। मैं इतना ही कहना चाहता था कि जिन नीतियों को हमने स्वीकार किया इस समय, उनके अन्तर्गत ही इस रुपये का प्राविधान हमने करने की योजना की है। मैं एक बार पुनः सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह जो अनुपूरक अनुदान सदन के सामने रखे गये थे, कतिपय सिद्धान्तों के अनुरूप रखने की चेष्टा की गयी है और कुछ सिद्धान्तों के अनुरूप ही हम इन सिद्धान्तों को पूरी करना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक चर्चा इसके सम्बन्ध में यहां पर हुई। इतना ही दोबारा दोहराना चाहता हूं कि कृपा कर इस सदन के माननीय सदस्य इतने तथ्यों को हृदयंगम कर लें कि जनता ने आज इस प्रदेश में हम में से प्रत्येक को और प्रत्येक दल को देख लिया है। भगवान ने कुछ अवसर दिया कि हम भी यहां शासन करते रहे और लम्बा शासन हमने किया और भगवान ने अवसर दिया कि हमारे माननीय मित्र जो कि सामने बैठे हैं वह भी आ कर शासन की कुर्सियों को सुशोभित करें। मैं यही मांग करना चाहता हूं कि यह वित्तीय अनुदान है और जो नीति सम्बन्धी कार्य हमको सदन में करना पड़ेगा तो आज कृपा करिये और जनता के केवल इस निर्णय को तो स्वीकार कर लीजिये कि जनता ने आज आपको निकाल दिया और हमको स्वीकार कर लिया।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

(व्यवधान)।

मुझे दुख है कि हमारे माननीय मित्रों ने बुरा माना, लेकिन मैंने बुरा मानने के लिये नहीं कहा। केवल इतना कहा कि जब हम कार्य करने आये हैं तो कृपा करें और हमको कार्य करने दें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मैं सूचना दे रहा हूं कि नियम ५१ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करने की ५ सूचनाएं आयी थीं। चूंकि सामान्य विवाद यहां पर बहुत कुछ हो चुका, उसमें बहुत कुछ इन विषयों पर जिक्र हो चुका और कल, परसों और २४ तारीख को राज्यपाल के भाषण पर भी, उसके ऊपर विवाद में ये सब चीजें आ सकती थीं इसलिए मैंने कोई भी स्वीकार नहीं की है...

एक सदस्य—

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह उर्दू में नहीं दी गयी है, यह लोक महत्व का प्रश्न है, समझने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—

आप उसमें प्रार्थना कर सकते हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। अब अनुपूरक अनुदानों पर मतदान होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, नियम ५२ आदि के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आते हैं, कम से कम आप उन्हें यहां पढ़ दिया करें ताकि जो उसका विषय हो वह वहां सदन के माननीय सदस्य समझ लें। वैसे रिजेक्ट करने का तो आपको अधिकार है, पर उसे किसने रखा है और क्या है वह बताने की कृपा करें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस सदन में हम बहुमत में आये हैं, यह उन्होंने जानबूझ कर गलत बयानी की है क्योंकि सदन में उनकी पार्टी के २०९ सदस्य ही आये हैं, बहुमत इधर का है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप उसकी व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं वोट देकर।

श्री हुक्म सिंह (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे यहां ढाई लाख रुपये की सम्पत्ति पुलिस लूट कर ले गयी, आप उसे स्वीकार करके यहां कहने का अवसर दें, किन्तु आपने उसको स्वीकार नहीं किया, मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं।

(श्री हुक्म सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे कहा था कि आप उसके लिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे सकते हैं, वह मैं स्वीकार कर लूंगा।

१९६८-६९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या १—वृहत् ओत-कर

वित्त मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत् ओत-कर के अन्तर्गत १६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—वृहत् ओत-कर के अन्तर्गत १६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २—भू-राजस्व

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अन्तर्गत ६९,५२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अन्तर्गत ६९,५२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत ४,००,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत ४,००,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत १,९२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत १,९२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९—निर्वाचन

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—निर्वाचन के अन्तर्गत ३३,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—निर्वाचन के अन्तर्गत ३३,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ८२,०८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ८२,०८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री स्वामीप्रसादसिंह)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २२,९०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २२,९०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४—कारागार

कारागार मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत २८,२५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत २८,२५,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत २८,२५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—पुलिस

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत २,२२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत २,२२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १८—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत २,७२,६८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत २,७२,६ ,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १९—चिकित्सा

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत ९८,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८—६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत ९८,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८—६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ८५,४३,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८—६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ८५,४३,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८—६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८—६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८—६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत ८२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८—६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत ८२,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८—६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत २६,५३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत २६,५३,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४—सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत १५,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत १५,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—उद्योग

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त)—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ४३,४३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ४३,४३,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण

श्रीमती विद्यावती राठौर—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,३९,४८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,३९,४८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ४९,०४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ४९,०४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते है

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारी लाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३ सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत २,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत २,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार

श्री गिरधारी लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकर की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७-- परिवहन

श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७--परिवहन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--परिवहन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत २८,४५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत २८,४५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ७२,५४,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९-अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ७२,५४,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१--लेखन सामग्री और मुद्रण

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१-लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२--वन

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२--वन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--वन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मैं, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६-औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६---औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७---बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७---बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४,५१,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७---बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४,५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,१७,३६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८---६९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,१७,३६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री गिरधारी लाल---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १४,५४,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १४,५४,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६८---६९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २१,२६,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २१,२६,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५३--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ६,९९,०१,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ६,९९,०१,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८--६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(सदन में विनियोग विधेयक की प्रतियां बांटी गईं) ।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि अगर आपत्ति न हो तो विचार के लिए उपस्थित कर दें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी न जो ऐप्रोप्रिएशन विधेयक सदन क सम्मुख पेश किया है, मै सदन के समक्ष और खास तौर से वित्त मन्त्री जी के सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूं कि जब जब सप्लीमेंटरी बजट लाने की बात हो तो वह कृपा कर के उन बातों का ध्यान रखें । जब वित्त मन्त्री इस डिबेट का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंटरी बजट का अभिप्राय यह है कि अचानक इस तरह की घटनायें आ जायं या इस तरह से वा यात पैदा हो जायं या खर्चा हो जाय या खर्च करने की इस तरह से आवश्यकता पड़े तब सप्लीमेंटरी बजट की आवश्यकता पड़ती है । मान्यवर, मैं उनका ध्यान थोड़ा सा उस ऐप्रोप्रिएशन एकाउन्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जो १९६५-६६ की रिपोर्ट में है । अगर हम तमाम एकाउन्ट्स को देखें तो उस से पहले जितने भी एकाउन्ट्स हुये हैं और अगर उन्होंने ध्यान दिया हो और अगर न दिया हो तो कृपा कर के ध्यान दें कि सप्लीमेंटरी का अभिप्राय यह होता है कि उस की अर्जेंसी हो और सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह खर्चा हो जाय । लेकिन कुल उदाहरण मेरे पास कुछ विभागों के ऐसे हैं कि १९६५-६६ मे जो सप्लीमेंटरी इत्यादि दिये गये, सरकार ने इस तरीके से मांग की उसको भी खर्च नहीं किया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जेल विभाग में ५.५५ लाख फरवरी, १९६६ में सप्लीमेंटरी बजट द्वारा मांगे गये उस में से ४.५ लाख के करीब खर्च नहीं हो पाये । इसी तरीके से आगे चलकर दूसरे विभाग लें जैसे पुलिस विभाग तो उस में भी १.१३ करोड़ रुपया फरवरी, ६६ में सरेंडर किया गया, यानी इस तरीके से २२ परसेंट रुपया खर्च नहीं हो पाया । इसी तरीके से फूड ऐन्ड सिविल सप्लाईज तथा और भी महकमे हैं, अगर इन को देखा जाय तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आप ने अर्जेंसी समझी और सप्लीमेंटरी लिया, लेकिन किन्हीं कारणों से या सरकार की लापरवाही से वह खर्च नहीं हुआ, तो मैं वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को देखें कि आखिरकार कहां कमी रह गयी ।

दूसरी बात यह है कि वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया और उन्होंने जो उत्तर दिया, हमारा प्रदेश बहुत गरीब है । हमारे यहां जितनी ग्रान्ट्स हैं उन में अधिकतर भत्तों वगैरह के लिए ही रुपया मांगा गया है । प्रदेश में जितनी तनख्वाह एक अफसर पाता है उस से कहीं अधिक वह दौरे वगैरा में धन प्राप्त करता है । वित्त मन्त्री जी यह देखें कि सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह क्या है और वह भत्ते वगैरा से कितना धन प्राप्त करता है ।

तीसरी बात लोन्स और ग्रान्ट्स के बारे में है हमारे प्रदेश में कर्ज देने की प्रथा बहुत दिनों से चली आती है । क्या वित्त मन्त्री जी ने यह देखने की कोशिश की कि जो सप्लीमेंटरी द्वारा या रेगुलर बजट के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज, कोआपरेटिव्ज या एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ग्राम पंचायतें या जिन जिन संस्थाओं को आप ने १०/१५ साल में जिन शर्तों के साथ, जिस सूद पर और जिन कामों के लिए धन दिया है क्या उसकी कोई स्क्रुटिनी हुई है ? क्या कभी देखभाल की गयी है कि इन संस्थाओं को जिन नियमों के अनुसार और जिन कार्यों के लिए धन दिया गया है, उसका ठीक तरह से पालन होता है या नहीं ? मैं समझता हूं कि इस पर वित्त मन्त्री जी विचार करेंगे ।

चौथी बात यह है कि आप जो पहली, दूसरी, तीसरी तथा और अन्य योजना चलाते हैं तो पहले उनका जो एस्टीमेट बनता है, चाहे वह इरिगेशन का हो, चाहे बिजली का हो या किसी

भी दूसरे विभाग का हो, २/४ साल बाद वह बहुत बढ़ जाता है। मैं रिहन्द बांध का जिक्र करूंगा उस के ऊपर एक कमेटी बैठी हुई थी। इसी तरह से माता टीला बांध के ऊपर भी एक कमेटी बैठी हुई थी। शुरू में जो एस्टीमेट होता है, बाद में वह एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, दस गुना नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रकम बढ़ जाती है। मैं समझता हूं कि जहां तक इस धन का सम्बन्ध है यह टैक्स पेयर की बहुत गाढ़ी कमाई का है और एक एक पैसा उस के पास से आता है।

इन सब बातों की स्क्रुटिनी करेंगे और इस तरह का प्रबन्ध करेंगे जिस के द्वारा यहां पर ठीक तरीके से इस धन का युटिलाइजेशन हो सके। इन शब्दों के साथ जो सुझाव मैंने रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन पर सरकार विचार करेगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं अपने मित्र श्री धर्म सिंह के कुछ सुझावों के प्रति उनका आभार प्रकट करता हूं। वे स्वयं यहां पर इस सदन में सरकार का कार्य कर चुके हैं और उन को मालूम है कि सरकार का कार्य किस प्रकार से चलता है और उस में कुछ कठिनाइयां आती हैं लेकिन कठिनाइयों के बावजूद जो काम जनता का है, उन को पूरा करने की भी चेष्टा की जाती है। कभी कभी इस बीच में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। मेरे माननीय मित्र ने कुछ परियोजनाओं में बढ़े हुये व्ययों की ओर इशारा किया। मुझे भी ज्ञात है कि व्यय बहुत सी परियोजनाओं में बढ़े हैं, बहुत सी योजनाओं में ही नहीं बढ़े हैं बल्कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनायें हैं उन में भी बढ़े हैं। लेकिन क्या किया जाय? यह तो मेरे माननीय मित्र को कदाचित् मालूम ही है कि एक ओर इस देश में डि-वैल्यूएशन आया और उस की वजह से जितनी मशीनरी आती थी, जितने उपकरण हम विदेशों से लेते थे, उन सब के मूल्यों में वृद्धि हुई। तो इस में तो हमारा कोई वश है नहीं। इस बात के स्वीकार करने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि जब सारे देश में मंहगाई आयी, सरकारी मुलाजिमों के भत्ते बढ़े, तो लेबर चार्जेज भी बढ़े, और मेरी समझ में वह कोई अनुचित बात नहीं है। तो योजनाओं में जितना खर्च बढ़ा है, उन के पीछे डि-वैल्यूएशन, मंहगाई और लेबर चार्जेज की एक कहानी है। मैं तो इस सदन में आज यह कह देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से निरन्तर यही प्रयास किया गया है कि खर्चा न बढ़े लेकिन जब चीजों की कीमत बढ़ेगी तब तो खर्चा बढ़ेगा ही।

एक बार मेरे मित्र ने एक बात का और जिक्र किया था। वह जिक्र उन्होंने यह किया कि कुछ काम रह गये हैं और जो धन उसके लिए स्वीकार किया गया था वह खर्च नहीं होता। मुझे जितना ज्ञान है उस के अनुसार मैं इतना ही कहूंगा कि उस के दो रूप हैं। मेरे माननीय मित्र अनुच्छेद २०५ से परिचित होंगे जिस में दिया हुआ है कि जब कार्य पर अधिक व्यय होता है तो उस की मांग की जाती है चालू कार्य के लिए, कुछ नयी मदों के लिए भी रुपया ले लिया जाता है जो कि आकस्मिक न होकर आवश्यक कार्य होते हैं। जैसे इसी सदन में शिक्षकों के लिए अनुपूरक अनुदान के द्वारा अधिक धन का प्राविधान किया गया है और अधिक धन की मांग को सदन के सामने रखना पड़ेगा। इस के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। जैसे आज एक नयी नीति के अनुसार ४ करोड़ रुपया निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए रखा गया है तो यह हमारी एक नयी नीति का द्योतक है और इस प्रकार से बजटिंग का एक सिद्धान्त है। उस के अनुसार यदि कोई नया प्राविधान किया जाता है और नया कार्य करने के लिए इस सदन की अनुमति मांगी जाती है तो वह चीज सदन के समक्ष आयेगी और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इन नये कार्य में कोई अनावश्यक व्यय न हो।

टी० ए० की बात जो मेरे माननीय मित्र ने कही—मैं नहीं जानता टी० ए० के कुछ नियम बने हुये हैं जिन के अनुसार वह कर्मचारियों को मिलता है। उस के लिए धन का प्राविधान है, पता नहीं वह धन जो टी०ए० का है वह किसी की तनख्वाह से बाहर कैसे जाता है। यह जो हम कर्मचारीगण को धन देते हैं उस में कितना अपव्यय होता है, कितना नहीं, यह अपव्यय

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

की बात तो पुरानी दोहराई जाने वाली बात है। इस लिए उस में कहीं कोई चीज मुझे नहीं मालूम होती। यदि मेरे मित्र की जानकारी में कोई बात ऐसी आयी हो तो उन के बतलाने पर हम उस को देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने इस विनियोग विधेयक को इस सदन के सामने उपस्थित करता हूं और इस के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं और सदन की अनुमति मांगता हूं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

माननीय वित्त मन्त्री कह रहे थे कि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया है। उस के लिए २ करोड़ ३० लाख रुपये की मांग की है। लेकिन जो रुपया मांगा है वह तो जिला परिषद् के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आवर्तक अनुदान की मांग की है। तो जो ३१ मार्च को खत्म हो रहा है उसका भुगतान करने के लिए नहीं मांग रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

एक छोटे से सिद्धान्त से मेरे माननीय मित्र परिचित नहीं हैं। जो धन व्यय हो गया है उस को भी इस मांग के द्वारा सदन से स्वीकृत करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८—६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, १ अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८–६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९

३१ मार्च, १९६९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित प्रधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८–६९ का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहित निधि में से वर्ष १९६८–६९ के लिए ५९,९६,८४,६०० रुपयों का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो ३१ मार्च, १९६९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के संहित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ५९,९६,८४,६०० रु० (उनसठ करोड़ छिआनवे लाख चौरासी हजार छै सौ रुपए) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हैं।

अनुसूची

(धारायें २ और ३ देखिये)

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत कर ..	१६,८००	..	१६,८००
२	भू-राजस्व ..	६९,५२,७००	४,५००	६९,५७,२००
५	अन्य कर और शुल्क ..	४,००,८००	..	४,००,८००
६	स्टाम्प ..	१,९२,९००	..	१,९२,९००
९	निर्वाचन ..	३३,५०,०००	..	३३,५०,०००
१०	सामान्य प्रशासन ..	..	२,३४,०००	२,३४,०००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	८२,०८,८००	..	८२,०८,८००
१३	न्याय प्रशासन ..	२२,९०,२००	१,४३,८००	२४,३४,०००
१४	कारागार ..	२८,२५,५००	..	२८,२५,५००
१५	पुलिस ..	२००	..	२००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	२,२२,०००	१,०००	२,२३,०००
१८	शिक्षा ..	२,७२,६८,०००	२३,९००	२,७२,९१,९००
१९	चिकित्सा ..	९८,७००	२,९००	१,०१,६००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	८५,४३,९००	..	८५,४३,९००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास ..	२००	४३,६००	४३,८००
२२	उपनिवेशन ..	८२,०००	१,८००	८३,८००
२३	पशुपालन तथा मत्स्य पालन ..	२६,५३, ००	१,३००	२६,५४,३००
२४	सहकारिता ..	१५,८००	..	१५,८००
२५	उद्योग ..	३००	१,६००	१,९००
२६	नियोजन और समन्वय ..	४००	१७,२००	१७,६००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	..	३६,९००	३६,९००
२८	सूचना निदेशालय ..	५,१००	..	५,१००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	४३,४३,०००	३,२००	४३,४६,२००
३०	समाज कल्याण ..	१००	..	१००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	१,३९,४८,५००	..	१,३९,४८,५००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	४९,०४,०००	..	४९,०४,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	२,३००	१,९७,१००	१,९९,४००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संहित निधि पर भारित	राज्य की योग
		रु०	रु०	रु
३४	संचार–साधनों का सुधार ..	१,०१०	..	१,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्य के लिए सहायक अनुदान ..	१०१०	..	१००
३७	परिवहन ..	२०१०	..	२००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	२८,४५, ०१०	..	२८,४५,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	७२,५४,१००	१,३००	७२,५५,४००
४१	लेखन सामग्री और मुद्रण ..	१०१०	..	१००
४२	वन ..	२०१०	..	२००
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	१०१०	..	१००
	भारित विनियोग—			
	ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	.	१,२८,९९,७१०	१,२८,९९,७००
	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	३३,९३,४५, ०१	३३,९३,४५,०००
४६	औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	५,२०१	..	५०,२००
४७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	४,५०,००,०००	..	४,५०,००,००१
४८	सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	३,१७,३६,८००	..	३,१७,३६,८००
४९	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	१४,५४,४८०	..	१४,५४,४००
५०	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	२१,२६,७००	९,१००	२१,३५,८००
५१	पेंशनों का राशिमूल्य ..	..	२१,०००	२१,०००
५३	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	६,९९,०१,६००	..	६,९९,१,६१०
	योग ..	२४,६६,९५,७०१	३५,२९,८८,९००	५९,०६,८४,६००

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंश भाग जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६९ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस के बाद सदन ४ बजकर ५३ मिनट पर ,अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया) ।

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
१९ मार्च, १९६९ ।

———

संसद भवन